

<mark>पहली</mark> FIRST

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2022-2023

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर, December, 2022

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, 2022-2023

2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 75 अनुदान और 6 विनियोग शामिल हैं। ₹4,35,938.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें से कुल ₹3,25,756.69 करोड़ रुपये के निवल नकद व्यय वाले प्रस्ताव और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली से मेल खाने वाले कुल अतिरिक्त व्यय के प्रस्ताव कुल मिलाकर 1,10,180.59 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, ₹159 लाख, नई सेवा या सेवा की नई लिखत से जुड़े मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन को सक्षम करने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के टोकन प्रावधान की मांग की जा रही है।

2. निवल नकद व्यय से जुड़े अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2022-2023.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2022-23 includes 75 Grants and 6 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹4,35,938.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹3,25,756.69 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,10,180.59 crore. Besides, token provision of ₹159 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

			(करो	ड़ रुपए Rupees in Crore
अन्	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of iter	राजस्व ms Revenue	पूंजी जोड़ Capital Total
नक	द व्यय नाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा (क) परमाणु ऊर्जा सचिवालय विभाग के स्थापना व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Cash Outgo DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditue towards establishment expenditue Department of Atomic Energy	Y liture are of nergy	
	(ख) मैसर्स टीवीईएल (₹1216.08 करोड़) रूस से 6 से 11 को फिर से लोड करने के लिए (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए ईंधन की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए; और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु निर्माण कार्य	secretariat. (b) For meeting additional expend towards (i) procurement of fue KKNPP Unit 1 & 2 from M/s T (₹1216.08 crore) Russia for reload 11; and (ii) Supplies & Materia Minor Works (₹3.14 crore) u	el for VEL d 6 to	9.18
	(₹3.14 करोड़)। (ग) (i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (₹1407.29 करोड़) द्वारा यूरेनियम कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान (ii) न्यूक्लियर रीसायकल बोर्ड (₹166.30 करोड़) और (iii) स्थापना के विभिन्न शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹181.64	establishment. (c) For meeting additional expend towards (i) arrears payment to Ura Corporation of India Limite Nuclear Fuel Complex (₹140 crore) (ii) Nuclear Recycle E (₹166.30 crore) and (iii) under va	nium d by 17.29 Board arious	900.62
	करोड़)। (घ) स्वायत्त निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹5.10 करोड़), वेतन अनुदान सहायता (₹227.26 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (₹82 करोड़) और (iii) अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹283 करोड़)।	heads of establishment (₹181.64 cd) (d) For meeting additional expend towards (i) Grants-in-aid Ger (₹5.10 crore), Grants-in-aid -Sal (₹227.26 crore) for autonomous b (ii) Establishment expenditure usupplies and Materials (₹82 crore (iii) other establishment relations)	liture neral laries odies under e) and	862.25
रस	ायन और उर्वरक मंत्रालय	expenditure (₹283 crore). MINISTRY OF CHEMICALS	481.21 AND	481.21
6	उर्वरक विभाग (क) (i) स्वदेशी पीएंडके सब्सिडी (₹14,889.67 करोड़) और (ii) आयातित पीएंडके सब्सिडी (₹8,232.56 करोड़) के भुगतान के लिए।	FERTILIZERS 6 Department of Fertilizers (a) For payment towards (i) Indige P&K subsidy (₹14,889.67 crore) (ii) imported P&K subsidy (₹8,23 crore).) and	23,122.23

		राजस्व	पूंजी	जोड़
ानुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
(ख) 1. भुगतान के लिए (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (₹71,860.41 करोड़) और (ii) आयातित यूरिया सब्सिडी (₹14,304.15 करोड़) और (2) भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी	(b) For 1. payment towards (i) Indigenous Urea subsidy (₹71,860.41 crore) and (ii) imported Urea subsidy (₹14,304.15 crore) and (2) Subsidy support to Indian	0/1//72		(1 ((5
समर्थन (₹2.16 करोड़)। ' औषधि विभाग	Shipping Companies (₹2.16 crore).	86,166.72	80	5,166.72
अधिध विभाग (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), वेतन अनुदान-सहायता (₹0.70 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹1 करोड़) राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के तहत जन औषधि योजना के तहत (एनआईपीईआर) और (ii) सामान्य अनुदान सहायता (₹2.80 करोड़)।	7 Department of Pharmaceuticals (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹1 crore), Grants-in-aid Salaries (₹0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) and (ii) Grants-in-aid General (₹2.80 crore)			
(ख) 1. राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹21.69 करोड़) (ii) औषधि उन्नयन विकास योजना (पीपीडीएस) (₹1 करोड़) (iii) के तहत 1. सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए औषधियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (पीएलआई) (₹693 करोड़) और (iv) जन औषधि योजना (₹24.70 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (₹0.40 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹2.21 करोड़) एनआईपीईआरएस के तहत और 3. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तहत मजदूरी (₹0.02 करोड़) और प्रकाशन (₹0.02 करोड़) ।	under Jan Aushadhi Scheme . (b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (₹21.69 crore) (ii) Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS) (₹1 crore) (iii) Production Linked Incentive Schemes (PLI) for Pharmaceuticals (₹693 crore) and (iv) Jan Aushadhi Scheme (₹24.70 crore) 2. Grants-in-aid General (₹0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.21 crore) under NIPERs and 3. National Pharmaceuticals Pricing Authority under wages (₹0.02 crore) and Publication (₹0.02 crore).	21.69		2.70 21.69
ाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
 वाणिज्य विभाग (क) कॉफी बोर्ड के लिए (i) वेतन सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और सब्सिडी (₹1 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़) और अनुदान-अनुदान-चाय बोर्ड के लिए वेतन सहायता (₹50 करोड़) और (iii) सब्सिडी (₹0.50) मसाला बोर्ड। (ख) निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना के तहत राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹456 करोड़) और (ii) सब्सिडी (₹295 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भारत की 	INDUSTRY 10 Department of Commerce (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹1 crore) and Subsidies (₹1 crore) for Coffee Board (ii) Grants-in-aid General (₹4.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹50 crore) for Tea Board and (iii) Subsidies (₹0.50) Spices Board. (b) For meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General (₹456 crore) under the scheme National Export Insurance account and (ii) subsidies (₹295 crore) under the scheme Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products for recoupment of	2.00		2.00
आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	an advance drawn from the Contingency fund of India.	381.00		381.00
आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की		381.00		381.00

अनुदानों की पूरक मांगें,	2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(iii)
		(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के कार्यान्वयन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For recoupment of Advance from Contingency Fund of India for implementation of IT Modernization Project 2.0.		87.00	87.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
 खाद्य सब्सिडी (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को व्यय को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए (₹60110.32 करोड़) 2. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए ₹9955.29 करोड़) 3. सामान्य सहायता अनुदान के तहत (i) खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता तथा बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएफएसए योजना के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (₹0.50 करोड़) और (ii) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (₹1.03 करोड़) और 4. विभिन्न योजनाओं के तहत 'सब्सिडी' (₹40.17 करोड़)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹2 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल 	For meeting expenditure towards 1. food subsidy (i) to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) (₹60110.32 crore) 2. for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹9955.29 crore) 3. Grants-in-aid General under (i) Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA scheme' for UTs without legislature (₹0.50 crore) and (ii) Warehousing Development and Regulatory Authority (₹1.03 crore) and 4. 'Subsidies' under various Schemes (₹40.17 crore). This includes recoupment of advance of			

सहकारिता मंत्रालय

16 सहकारिता मंत्रालय

भूमि की खरीद के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए।

संस्कृति मंत्रालय

18 संस्कृति मंत्रालय

(क) 1. (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹0.50 करोड़), शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ, समारोहों और योजनाओं (₹215 करोड़), कला संस्कृति विकास योजना (₹105.86 करोड़) के तहत सामान्य अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, संग्रहालय का विकास (₹121.50 करोड़), बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹10 करोड़) (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹20 करोड़), अकादिमयों (₹47.03 करोड़) और पुस्तकालयों (₹15 करोड़) 2. अनुदान 2. (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹2 करोड़), संग्रहालयों का विकास (₹51.76 करोड़) और बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों (₹36 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹61.29 करोड़), अकादिमयों (₹31.38 करोड़) और पुस्तकालय (₹0.35 करोड़) (जिनमें से ₹100 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)।

MINISTRY OF COOPERATION

16 Ministry of Cooperation

of India.

For meeting additional expenditure on Major Works for purchase of Land.

80,348.25

... 80,348.25

109.78

109.78

MINISTRY OF CULTURE

18 Ministry of Culture

(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-Aid General under (i) Archaeological Survey of India (₹0.50 crore), Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹215 crore), Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹105.86 crore), Development of Museum (₹121.50 crore), Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹10 crore) (ii) Support to Museums (₹20 crore), Akademies (₹47.03 crore) and Libraries (₹15 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under (i) Archaeological Survey of India (₹2 crore), Development of Museums (₹51.76 crore) and Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹36 crore) (ii) Support to Museums (₹61.29 crore), Akademies (₹31.38 crore) and Libraries (₹0.35 crore) (of

		राजस्व	ङ् रुपए Ruped पूंजी	जोड़ जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
	which ₹100 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).	333.77		333.77
(ख) शताब्दी वर्ष और वर्षगाँठ, समारोहों और योजनाओं (₹0.50 करोड़), संग्रहालय के विकास (₹13.50 करोड़) और पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के विकास (₹3 करोड़) के तहत सामान्य अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) योजना के एनईआर घटक के लिए शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ, समारोहों और योजनाओं (₹1.50 करोड़) और संग्रहालय के विकास (₹22.55 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान।	(b) For meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General under Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹0.50 crore), Development of Museum (₹13.50 crore) and Development of Libraries and Archives (₹3 crore) (ii) Grant for Creation of Capital Assets under Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹1.50 crore) and Development of Museum (₹22.55 crore) towards NER component of the scheme.	20.25		20.25
रक्षा मंत्रालय 19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) प्रभारित किए गए व्यय हेतु परिव्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 19 Ministry of Defence (Civil) (a) For meeting expenditure towards charged expenditure.	0.50		0.50
(ख) (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय (₹50 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹165 करोड़) और रक्षा संपदा संगठन के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदानों (₹35 करोड़) के लिए	(b) For (i) establishment related expenditure of Border Road Development Board (₹50 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹165 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹35 crore) for Defence Estates			
(ग) तटरक्षक संगठन के पुर्जों की खरीद के लिए पीओएल (₹350 करोड़) और छोटे निर्माण कार्यों (₹150 करोड़) पर व्यय के लिए।	Organisation. (c) For expenditure on POL (₹350 crore) and minor works (₹150 crore) towards procurement of spares of Coast Guard	250.00		250.00
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक और सीमावर्ती	Organisation. (d) For construction of strategic and border	500.00		500.00
सड़कों के निर्माण के लिए। (ड.) रणनीतिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण	roads in NE region. (e) For construction of strategic and border		50.00	50.00
के लिए। 20 रक्षा सेवाएं (राजस्व) वायु सेना के परिवहन (₹9.03 करोड़), भन्डारों (₹10,644.06 करोड़), निर्माण कार्यों (₹386 करोड़) और अन्य व्यय (₹212.21 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (जिसमें ₹1,500 करोड़ ईंघन और ल्यूब्रीकेंट भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति	roads. 20 Defence Services (Revenue) For meeting additional expenditure towards transportation (₹9.03 crore), Stores (₹10,644.06 crore), Works (₹386 crore) and other expenditure (₹212.21 crore) of Air Force (of which ₹1,500 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency		450.00	450.00
के लिए हैं।	Fund of India for fuel and lubricants).	7,630.39		7,630.39
वित्त मंत्रालय 33 लोक उद्यम विभाग (क) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में निगमन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 33 Department of Public Enterprises (a) For recoupment of Advance from Contingency Fund of India for incorporation of National Land Monetization Corporation as Special			
(ख) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को इक्विटी योगदान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के	Purpose Vehicle. (b) For recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India for equity contribution to National Land	3.00		3.00
लिए।	Monetization Corporation.		150.00	150.00

				(करो	ड़ रुपए Rupe	
अनुव	ग्गन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
35	राजस्व विभाग (क) जीएसटी मुआवजा उपकर के अतिरिक्त अंतरण के लिए जीएसटी मुआवजा कोष (₹7083 करोड़) और राज्यों को जारी (₹6993.33 करोड़)। (ख) जीएसटी मुआवजा उपकर निधि (₹2917.99 करोड़) में अतिरिक्त अंतरण और राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए (₹2668.67 करोड़)।	35	Department of Revenue (a) For additional transfer of GST compensation cess to GST Compensation Fund (₹7083 crore) and releases to States (₹6993.33 crore). (b) For additional transfer to GST Compensation Cess Fund (₹2917.99 crore) and releases to UTs (₹2668.67	7,034.43		7,034.43
	(ग) प्रवर्तन निदेशालय के लिए भूमि और तैयार कार्यालय आवास की खरीद के लिए।		crore). (c) For purchase of land and ready built office accommodation for Enforcement Directorate.	2,916.99	30.00	2,916.99 30.00
36	प्रत्यक्ष कर (क) कार्यालय भवनों के अधिग्रहण, मरम्मत और नवीनीकरण और निर्माण के लिए। (ख) भूमि के अधिग्रहण और आवासीय भवनों के	36	Direct Taxes(a) For acquisition, repair & renovation and construction of office buildings.(b) For acquisition of land and construction		69.72	69.72
	निर्माण के लिए।		of residential buildings.		52.63	52.63
	मंत्रालय पुलिस		NISTRY OF HOME AFFAIRS Police			
	(i) विज्ञापन और प्रचार (₹1.12 करोड़), हथियार और गोला-बारूद (₹1.45 करोड़), कपड़े और तम्बू (₹95.61 करोड़), राशन की लागत (₹670.80 करोड़), डीटीई (₹762.36 करोड़), एफटीई (₹5.13 करोड़), पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹22.03 करोड़), जीआईए- सामान्य (₹833.16 करोड़), जीआईए- वेतन (₹0.41 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹148.50 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹44.55 करोड़), कार्यालय व्यय (₹414.31 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹21.31 करोड़), अन्य शुल्क (₹109.81 करोड़), पी.ओ.एल (₹129.02 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹787.62 करोड़), प्रकाशन (₹2.52 करोड़), किराया, दर : कर (₹3.46 करोड़), पुरस्कार (₹1.03 करोड़), वेतन (₹2833.97 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹9.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹0.30 करोड़), मजदूरी (₹1.71 करोड़) (ii) अनुदान ग्राम जीवंत कार्यक्रम (वीवीपी) के लिए पूंजीगत आस्ति (₹5 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.01 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.02 करोड़) के निर्माण के लिए (iii) छोटे निर्माण काम (₹1 करोड़), अन्य शुल्क (₹2) करोड़) सशस्त्र सीमा बल/स्वच्छता के तहत और कार्यालय व्यय (₹2 करोड़) (जिनमें से ₹24.61 करोड़ और ₹11.50 करोड़ जीएफआर 2017 के परिशिष्ट-10 के अतिरिक्त व्यय के लिए स्वीकृति के नियमितीकरण के लिए भारत की आकस्मिकता		For (i) Advertising & Publicity (₹1.12 crore), Arms & Ammunition (₹1.45 crore), Clothing & Tentage (₹95.61 crore), Cost of Ration (₹670.80 crore), DTE (₹762.36 crore), FTE (₹5.13 crore), Grants for creation of capital assets (₹22.03 crore), GIA- General (₹833.16 crore), GIA-Salaries (₹0.41 crore), Medical Treatment (₹148.50 crore), Minor Works (₹44.55 crore), Office Expenses (₹414.31 crore), Other Administrative Expenses (₹21.31 crore), Other Charges (₹109.81 crore), P.O.L (₹129.02 crore), Professional Services (₹787.62 crore), Publications (₹2.52 crore), Rent, Rate & Taxes (₹3.46 crore), Rewards (₹1.03 crore), Salaries (₹2833.97 crore), Secret Service Expenditure (₹9.50 crore), Supplies & Material (₹0.30 crore), Wages (₹1.71 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore), Other Administrative Expenses (₹0.01 crore), Professional Services (₹0.02 crore) for Village Vibrant Programme (VVP) (iii) Minor works (₹1 crore), Other Charges (₹2 crore) and Office Expenses (₹2 crore) under Shashatra Seema Bal/ Swatchta (of which ₹24.61 crore for recoupment of advance drawn from the			
53	निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए- चंडीगढ़ (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन	53	Contingency Fund of India). Chandigarh (a) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of judges of Hon'ble Punjab and Haryana High Court. (b) For meeting additional expenditure for	1,382.34		1,382.34
	और बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त ट्राय को गुज करने हेत्र।		payment of salaries and arrears of employees of Hon'ble Punjab and	132.00		132.00

Haryana High Court and District Court.

132.00

132.00

व्यय को पूरा करने हेतु।

				(करो	es in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त को पूरा करने हेतु।		(c)	For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of police department.	100.00		100.00
(घ) इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के और बकाया राशि के भुगतान के लिए अति		(d)	For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of	100.00	•••	100.00
व्यय को पूरा करने हेतु। (ड.) वेतन और बकाया राशि के भुगतान के	लिए	(e)	employees of engineering department. For meeting additional expenditure	19.63		19.63
वेतन (₹77 करोड़) और अनुदान सह वेतन (₹15.21 करोड़) के अतिरिक्त को पूरा करने हेतु			towards Salaries (₹77 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹15.21 crore) for payment of salaries and arrears.	48.21		48.21
(च) स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन बकाया राशि (₹22.86 करोड़) तथा राज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (₹15 क के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा हेतु।	कीय रोड़)	(f)	For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Health Department (₹22.86 crore) and Government Medical College and Hospital	10,21		10.21
(छ) अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों के		(g)	(₹15 crore). For meeting additional expenditure for	15.00		15.00
एवं बकाया राशि के भुगतान हेतु अति व्यय को पूरा करने हेतु। (ज) विद्युत विभाग के कर्मचारियों के वेतन बकाया राशि (₹40 करोड़) के भुगतान	एवं	(h)	payment of salaries and arrears of employees of engineering department. For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to	5.88		5.88
नगर निगम चंडीगढ़ को संपत्ति कर के भुख (₹5.62 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय करने हेतु।	ातान		employees of Electricity Department (₹40 crore) and for payment of property Tax to the Municipal Corporation,	40.00		40.00
(झ) परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन बकाया राशि (₹34.12 करोड़) के भुग एवं पी.ओ.एल. (₹18 करोड़) के भुग के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेत्	ातान ातान	(i)	Chandigarh (₹5.62 crore). For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to employees of Transport Department (₹34.12 crore) and for payment of	40.00		40.00
54 दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दी		Da	P.O.L. (₹18 crore). dra and Nagar Haveli and Daman and	34.12		34.12
(क) विभिन्न संस्थानों यानी दीव स्मार्ट व लिमिटेड, सिलवासा नगर परिषद् आवि		Diu (a)	For meeting additional expenditure for Grants-in-aid to various institutions i.e.			
सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त को पूरा करने के लिए (₹200 करोड़) (ख) पुलिस वाहन, पुलिस के लिए नए एच वीएचएफ संचार उपकरण की खरीद के	व्यय एफ/	(b)	Diu Smart City Limited, Silvassa Municipal Council etc (₹200 crore). For meeting additional expenditure for purchase of Police Vehicle, new HF/	46.90		46.90
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) विभिन्न सरकारी भवनों के नवीनीक		(c)	VHF communication equipment for Police. For meeting additional expenditure for		5.00	5.00
जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए अति व्यय को पूरा करने के लिए (₹30 कर	रिक्त	(-)	renovation, restoration and construction of various government buildings (₹30 crore).		18.00	18.00
(घ) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संब विभिन्न विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त (₹10 करोड़) की पूर्ति हेतु।		(d)	For meeting additional expenditure for various development works related to		10.00	10.00
(ड) पर्यटन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वि		(e)	medical & public health department (₹10 crore). For meeting additional expenditure for		7.00	7.00
कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय (₹30 करोड़) पूर्ति हेतु । 58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	की 58	Tra	various development works under Tourism Department (₹30 crore). Ansfers to Jammu and Kashmir		24.00	24.00
राजस्व/संसाधन अंतर (₹8106.69 करोड़) झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफअ के लिए अतिरिक्त व्यय (₹850 करोड़) को	ारपी)	Fo: (₹8	r meeting revenue/resource gap 106.69 crore) and additional expenditure			
क लिए आतारक्त व्यय (२८५० कराड़) का करने हेतु।	તૂરા		Jhelum Tawi Flood Recovery Project FRP) (₹850 crore)	8,956.69		8,956.69

			(करो	ड़ रुपए Ruped	Rupees in Crore)		
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
	पुडुचेरी को अंतरण राजस्व/संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए। ना और प्रसारण मंत्रालय	 59 Transfers to Puducherry For providing additional Central Assistance to meet the revenue/ resource gap. MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 	1,400.00		1,400.00		
61	(क) राज्य विशिष्ट अभियानों और 'न्यू इंडिया समाचार' के मुद्रण और वितरण के लिए (i) विज्ञापन और प्रचार (₹10.35 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए और विकास संचार एवं सूचना प्रसार के तहत एनिमेटेड वीडियो श्रृंखला, सरकारी पहल पर अभियान के आयोजन के लिए भी (ii) सहायता अनुदान सामान्य (₹10 करोड़), पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़), जीआईए-वेतन (₹0.01 करोड़) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए जीआईए-सामान्य [(स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)] (₹0.01 करोड़) (iii) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए दो इनडोर स्टूडियो के निर्माण के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹1.69 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹1.45 करोड़) (iv) महामारी के बाद की स्थिति में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अकादिमक गतिविधियों के बैकलॉग को ऑफसेट करने और समाशोधन के लिए जीआईए-जनरल (₹1 करोड़) और (v) जीआईए-जनरल (₹55 करोड़) और फिल्मी सामग्री योजना का विकास संचार और प्रसार के कार्यान्वयन हेतु एनएफडीसी को पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Advertising & Publicity (₹10.35) crore) for state specific campaigns and printing & distribution of 'New India Samachar' and also, for organising animated video series, campaign on Government initiative under Development Communication & Information Dissemination (ii) Grantin-aid General (₹10 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore), GIA-Salary (₹0.01 crore) and GIA-General [Swachchata Action Plan(SAP)] (₹0.01 crore) for National Film Development Corporation (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹11.69 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹1.45 crore) for construction of two indoor studios for Film and Television Institute of India (iv) GIA-General (₹1 crore) for offsetting and clearing backlog of academic activities in Satyajit Ray Film and Television Institute in the post pandemic situation under and (v) GIA-General(₹55 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) to NFDC for implementing Development Communication & Dissemination of Filmic Content scheme.	10.34		10.34		
	(ख) (i) प्रसार भारती के लिए वेतन संबंधी व्यय के लिए जीआईए-वेतन (₹209.22 करोड़) और (ii) ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत जी -20 आयोजनों हेतु जीआईए-जनरल (₹73.12 करोड़) के लिए।	(b) For (i) GIA-Salaries (₹209.22 crore) for salary related expenditure for Prasar Bharati and (ii) GIA-General (₹73.12 crore) for G-20 events under the scheme Broadcasting Infrastructure & Network Development.	190.88		190.88		
	तून और न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त व्यय (₹73.35 करोड़) को पूरा करने के लिए। भारत का उच्चतम न्यायालय	 MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 66 Election Commission For meeting additional expenditure under Information Technology (₹73.35 crore). 67 Supreme Court of India 	67.24		67.24		
51	उच्चतम न्यायालय संग्रहालय के उन्नयन एवं कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग हेतु कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure under Office Expenses for upgradation of Supreme Court Museum and outsourcing of staff.	4.01		4.01		

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY				
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) सौर ऊर्जा (ग्रिड) (₹398.97 करोड़), बायो- पावर (ग्रिड) (₹2.46 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹10 करोड़), सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना - अनुसूचित जाति उप-योजना (₹34 करोड़) और सौर ऊर्जा (ग्रिड) - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹50 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए सहायता अनुदान (₹100 करोड़ प्रदान करना और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान) (₹0.40 करोड़) (iii) पवन ऊर्जा (ग्रिड) के तहत ₹368 करोड़ की सब्सिडी, जिसमें अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना प्रत्येक के लिए ₹50 करोड़ शामिल हैं, के लिए।	For (i) providing grants for creation of capital assets for Solar Power (Grid) (₹398.97 crore), Bio-Power (Grid) (₹2.46 crore), Research and Development (₹10 crore), Solar Power (Grid) – Scheduled Caste Sub-plan (₹34 crore) and Solar Power (Grid) – Tribal Area Sub-plan (₹50 crore) (ii) providing Grants-in-aid for International Solar Alliance (ISA) (₹100 crore and National Institute of Bio Energy (₹0.40 crore) (iii) subsidy of ₹368 crore under Wind Power (Grid) including ₹50 crore each for Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Area Sub-Plan.	132.32		132.32	
पंचायती राज मंत्रालय 72 पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 72 Ministry of Panchayati Raj				
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए।	For providing additional funds to State Governments under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan.	37.20		37.20	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
75 केंद्रीय सतर्कता आयोग चिकित्सा उपचार (₹0.15 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.15 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹1.20 करोड़) के तहत स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	75 Central Vigilance Commission For meeting establishment expenditure under Medical Treatment (₹0.15 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.15 crore) and Office Expenses (₹1.20 crore).	1.50		1.50	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND				
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (i) घरेलू एलपीजी संचालन के तहत तेल विपणन कंपनियों को भुगतान (₹22,000 करोड़) (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹245 करोड़) (iii) भारत के लिए मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देना (₹215.62 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना (₹7210 करोड़) के लिए।	NATURAL GAS 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (i) payments to Oil Marketing Companies under Domestic LPG Operations (₹22,000 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹245 crore) for Numaligarh Refinery Expansion Project (iii) promotion of flagging of Merchant Ships for India (₹215.62 crore) (iv) providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) (₹7210 crore).	24943.68	2	24943.68	
योजना मंत्रालय 77 योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING 77 Ministry of Planning				
 (क) नीति आयोग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) अटल नवाचार मिशन के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹6.90 करोड़) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) (₹497.10 करोड़) (ii) राज्य सहायता मिशन 	 (a) For meeting additional expenditure towards NITI Aayog. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Grant-in-Aid General under Atal Innovation Mission (₹90 crore) and Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for 	21.94		21.94	

		(क	रोड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹6.50 करोड़) और अन्य शीर्ष (₹2.90 करोड़) (जिनमें से ₹400 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्निम की प्रतिपूर्ति के लिए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Sustainable Development Goals (SDGs) (₹497.10 crore) (ii) State Support Mission (₹0.50 crore) and (iii) other heads (₹2.90 crore) (of which ₹400 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India)			590.50
(ग) अटल नवाचार मिशन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Atal Innovation Mission.		10.00	10.00
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
 (क) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) के अवसंरचना विकास के तहत पूंजीगत आस्ति (₹39 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹22.46 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान हेतु। (ख) (i) सागरमाला के तहत प्रमुख कार्यों (₹33 करोड़) और (ii) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (पोर्ट अथॉरिटी), गुजरात स्टेट एडिमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि की पिरेयोजनाओं में सागरमाला डेवलपमेंट 	 78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways (a) For Grants for creation of Capital Assets (₹39 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹22.46 crore) under infrastructure development of Indian Maritime University (IMU). (b) For meeting expenditure towards (i) Major Works under Sagarmala (₹33 crore) and (ii) Investment for payment of equity by Sagarmala Development Company Limited in projects of 	13.08		13.08
कंपनी लिमिटेड द्वारा इक्विटी के भुगतान के लिए निवेश (₹46.57 करोड़) के प्रति अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	Vishakhapatnam Port Authority, Gujarat State Administrative Infrastructure Ltd etc (₹46.57 crore). THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION		70.79	70.79
80 राष्ट्रपति के कर्मचारी (स्टाफ), परिवार और भत्ते	AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 80 Staff, Household and Allowances of the President			
अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। 82 राज्य सभा राज्य सभा के सभापति/उपसभापति के 'अन्य	For meeting additional establishment expenditure. 82 Rajya Sabha For meeting additional hospitality	5.35		5.35
प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत अतिस्क्ति आतिथ्य व्यय को पूरा करने के लिए। 84 संघ लोक सेवा आयोग	expenditure under 'Other Administrative Expenses' of Chairman/Deputy Chairman, Rajya Sabha. 84 Union Public Service Commission			0.75
परीक्षाओं और चयनों (₹20 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹0.67 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Examinations and Selections (₹20 crore) and Administrative expenditure (₹0.67 crore).			20.67
रेल मंत्रालय 85 रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF RAILWAYS 85 Ministry of Railways For meeting additional expenditure under Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines.		12,000.00	12,000.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(क) राष्ट्रीय निवेश कोष(₹20 करोड़) से वित्तपोषित एनईए के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड	HIGHWAYS 86 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting additional expenditure towards Major Works for payment to			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** के तहत चल रहे कार्यों के लिए ठेकेदार को contractor for ongoing works under भुगतान के लिए प्रमुख कार्यों के लिए और Border Road Development Board for उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए सड़क शाखा के NEA - Financed from National तहत सड़क विकास कार्यों - राष्ट्रीय निवेश Investment Fund (₹20 crore) and Road कोष से वित्तपोषित (₹2920 करोड़) का Development Works under Road Wing अतिरिक्त व्यय परा करने के लिए। for North Eastern Areas-Financed from National Investment Fund (₹2920 2,940.00 2,940.00 (ख) अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए (b) For meeting additional expenditure 1. सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (₹13500 towards 1. Investment in National करोड़) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण Highways Authority of India (NHAI) (एनएचएआई) में निवेश। 2. स्थाई पुल शुल्क from Central Road and Infrastructure निधि (पीबीएफएफ) से निवेश के तहत Fund (₹13500 crore) 2. Investment अतिरिक्त खर्च को पुरा करना (₹4090.62)। from Permanent Bridge Fee Fund 3. मुख्य कार्य-(i) बाहरी सहायता योजना (PBFF) (₹4090.62 crore) 3. Major के तहत - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग Works (i) under Externally Aided गलियारा परियोजना (₹74 करोड़)। (ii) अन्य Scheme - World Bank, Green National योजनाओं (जीबीएस) (₹836 करोड़)। (iii) Highways Corridor Project (₹74 crore) राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत सामान्य घटक के (ii) Other Schemes (GBS) (₹836 crore) लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय मूल (iii) for General Component under कार्य - सीआरआईएफ से वित्तपोषित National Highways Original Works -(₹6266.40 करोड़)। (iv) अंतर्राज्यीय या Financed from CRIF (₹6266.40 crore) आर्थिक महत्व की सड़कों (₹100 करोड़)। (iv) Roads of Inter State or Economic (v) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के Importance(₹100 crore) (v) for लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - विश्व Externally Aided Schemes - World बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा Bank, Green National Highways परियोजना (जीएनएचसीपी) काउंटरपार्ट फंड Corridor Project (GNHCP) under (₹51 करोड़) के तहत। (vi) वामपंथी उग्रवाद Counterpart Fund (₹51 crore) (vi) under प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और Development of Road connectivity (NH राज्य सड़कों) के विकास के तहत and State Roads) in Left Wing Extremist (₹61 करोड़)। (vii) टीएसपी घटक के लिए Affected Areas (₹61 crore) (vii) under भारतमाला परियोजना वे तहत -Bharatmala Pariyojana for TSP सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹2250 करोड़)। component-Financed from CRIF 4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (₹2250 crore) 4. additionalTransfer to (एनएचएआई) के लिए सेंट्रल रोड एंड (i) Central Road and Infrastructure Fund इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) में इंटर (CRIF) meant for National Highways एकाउंट ट्रांसफर (₹13500 करोड़)। (i) अन्य Authority of India (NHAI) (₹13500 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं (₹8033.82 crore) and other National Highways करोड़) के लिए सीआरआईएफ को अंतर schemes (₹8033.82 crore) and (ii) खाता अंतरण। (ii) अंतरण स्थायी पूल शूल्क Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) निधि (पीबीएफएफ) (₹4085 करोड़)। (iii) (₹4085 crore) and (iii) National पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष Investment Fund meant for North East (₹2940 करोड़)। Region (₹2940 crore). 14,978.91 14,978.91 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87 ग्रामीण विकास मंत्रालय 87 Department of Rural Development (क) (i) 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' (एनईजीएफ) (a) For (i) providing additional funds for के लिए ₹16,400 करोड़ की अतिरिक्त National Employee Guarantee Fund धनराशि; और (ii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय (NEGF) (₹16,400 crore) and (ii) Grants ग्रामीण रोजगार गारंटी" योजना के अंतर्गत for Creation of Capital Assets (₹11,480 पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए ₹11,480 crore) under Mahatma Gandhi National करोड़ के अनुदान का प्रावधान। Rural Employment Guarantee Scheme. 16400.00 ... 16400.00 (ख) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (b) For providing Grants-in-aid General (एसपीएमआरएम) के लिए सामान्य अनुदान के रूप (₹85.84 crore) for Shyama Prasad

Mukherji Rurban Mission (SPMRM).

2.43

2.43

में अतिरिक्त धनराशि (₹85.84 करोड़) का प्रावधान;

		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
(ग) (i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से वित्तपोषित की जाने वाली पूंजीगत आस्ति (₹4,920 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान के व्यय के लिए और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर व्यय करने के लिए ₹28,422 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम) (₹352.47 करोड़) और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था योजना (₹37.78 करोड़) (iii) पीएमएवाई-आर हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से ₹13000 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि।	(c) For (i) providing additional funds to incur expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹4,920 crore) under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme and Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural (₹28,422 crore) and (ii) Grants-in-aid General under 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission' (SPMRM) (₹352.47 crore) and 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme (₹37.78 crore). ₹13,000 crore recouped against sanctioned from Contingency Fund of India for PMAY-R. (d) For providing additional funds to incur	28,774.47	2	8,774.47
(एसपीएमआरएम) के तहत सामान्य सहायता	expenditure towards Grants-in-aid			
अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए।	General under Shyama Prasad Mukherji			
	Rurban Mission (SPMRM).	0.59		0.59
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
91 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research			
व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹137.33 करोड़), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फैलोशिप (₹104 करोड़) और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए समर्थन (₹3.18 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹70 करोड़) और (iii) एपीसीटीटी (यूएन निकाय) में योगदान (₹0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹137.33 crore), Research Schemes, Scholorships and fellowships (₹104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹3.18 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹0.50 crore).	305.15		305.15
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
97 इस्पात मंत्रालय 'भारत में व्यापारिक जहाजों पर फ्लैग लगाना'	97 Ministry of Steel			
गोरत में व्यापारिक जहांजा पर पेक्षन लगाना योजना के तहत सब्सिडी (₹12.00 करोड़)।	For Subsidies (₹12 crore) under the scheme Flagging of Merchant Ships in India.	10.72		10.72
कुल नकद परिव्यय	Total Cash Outgo	2,94,703.86	31,052.83 3,	25,756.69
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹1,10,180.59 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/ विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका मिलान मंत्रालयों/ विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या तदनुरूपी बचतों से किया जाता है। मदें इस प्रकार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Gr supplementary grants/appropriations for ₹1,10, additional receipts/recoveries or corresponding sa The items are as follows:	180.59 crore	which are m	atched b
अनुदान की तकनीकी अनुपूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants	(ক	रोड़ रुपए Rupee.	s in Crore
		राजस्व	<u>पू</u> ंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण 	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
परमाणु ऊर्जा विभाग 3 परमाणु ऊर्जा	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy			

(i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (₹1407.29 करोड़) द्वारा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

For meeting additional expenditure towards $(i)\,arrears\,payment\,to\,Uranium\,Corporation$

		(करोड़ रुपए Rupees in Cror			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
अतिरिक्त बकाया भुगतान के लिए व्यय को पूरा करना; (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (₹166.30 करोड़); और (iii) स्थापना के विभिन्न शीर्षों के तहत (₹181.64 करोड़)।	of India Limited by Nuclear Fuel Complex (₹1407.29 crore) (ii) Nuclear Recycle Board (₹166.30 crore) and (iii) under various heads of establishment (₹181.64 crore).	892.98		892.98	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND				
7 आंषिध विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्थान ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीपीएल) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए	FERTILIZERS 7 Department of Pharmaceuticals For Rajasthan Drugs Private Ltd.(RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court's order to deposit before the National Company Law Tribunal.	1.80		1.80	
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL				
कोयला मंत्रालय (i) कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण के अंतर्गत ₹180 करोड़ की अतिरिक्त निधि; और (ii) कोयला खान में संरक्षण और सुरक्षा और अवसंरचना विकास हेतु कोयला क्षेत्र में विकास परिवहन अवसंरचना (डीटीआईसी) के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹36.59 करोड़)।	9 Ministry of Coal For (i) additional funds under Exploration of Coal and Lignite (₹180 crore) and (ii) subsidies under Scheduled Castes Sub plan for Development Transportation Infrastructure in Coalfields Areas (DTIC) (₹36.59 crore) towards Conservation & Safety and Infrastructure Development in Coal Mines.	154.64		154.64	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY				
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग 'निधियों की निधि' योजना के अंतर्गत निवेश (₹189.02 करोड़)।	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade For Investment (₹189.02 crore) under the scheme Fund of Funds.		62.44	62.44	
संचार मंत्रालय (क) (i) ग्रामीण वायर लाइन संचालन के लिए बीएसएनएल (₹18,127 करोड़) को व्यवहार्यता अंतराल निधियन प्रदान करना (जिसमें से ₹5000 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए) (ii) चैंपियन सेक्टर योजना के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (₹49.36 करोड़) और (iii) यूनिवर्सल सर्विस आबिलगेशन फंड से अनुसंधान और विकास (₹130 करोड़)	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 Department of Telecommunications (a) For (i) providing Viability Gap Funding to BSNL (₹18,127 crore) for rural wire line operations (of which ₹5000 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) (ii) recoupment of advance from Contingency Fund of India for Champion Sector Scheme (₹49.36 crore) and (iii) Research and development from Universal Service Obligation Fund (₹130 crore).	13,668.84	1	3,668.84	
सहकारिता मंत्रालय 16 सहकारिता मंत्रालय भूमि की खरीद के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COOPERATION 16 Ministry of Cooperation For meeting additional expenditure on Major Works for purchase of land.		44.22	44.22	
रक्षा मंत्रालय 19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) कैटीन स्टोर्स विभाग की आपूर्ति और सामग्री के	MINISTRY OF DEFENCE 19 Ministry of Defence (Civil) For supplies and materials of Canteen Stores				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue रक्षा सेवाएं (राजस्व) **Defence Services (Revenue)** (क) सेना के राष्ट्रीय कैडेट कोर के खिलाफ (a) For meeting additional expenditure अदालती आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त arising out of court orders against व्यय को पूरा करने के लिए। National Cadet Corps of Army. 0.20 0.20 (ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (b) For meeting additional expenditure के लिए परिवहन (₹500 करोड़), भृतपूर्व towards transportation (₹500 crore), सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (1,000 Ex-servicesmen Contributory Health करोड़), स्टोर (₹2,900 करोड़), कार्य (₹700 Scheme (₹1,000 crore), Stores (₹2,900 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹12 करोड़) crore), Works (₹700 crore), National और सेना का अन्य व्यय (₹500 करोड़)। Cadet Corps (₹12 crore) and Other जिसमें से ईंधन और लुब्रीकेंट के अग्रिम के expenditure (₹500 crore) of Army (of लिए ₹300 करोड़ और भारत की which ₹300 crore for fuel and lubricants आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईसीएचएस and ₹1,000 crore for ECHS for के लिए ₹1,000 करोड़ की प्रतिपूर्ति के recoupment of advance drawn from the लिए। 5,612.00 Contingency Fund of India). 5,612.00 (ग) परिवहन (₹150 करोड़), मरम्मत और दुरूस्त (c) For meeting additional expenditure करने के लिए (₹400 करोड़), स्टोर (₹1,700 towards transportation (₹150 crore), करोड़), कार्य (₹200 करोड़), संयुक्त स्टाफ repairs and refits (₹400 crore), Stores (₹386 करोड़) और नौसेना के अन्य व्ययों (₹1,700 crore), Works (₹200 crore), को पूरा करने के लिए (₹300 करोड़) के Joint Staff (₹386 crore) and other अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत expenditure (₹300 crore) of Navy (of के आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईंधन which ₹200 crore for recoupment of और लुब्रीकेंट के लिए ₹200 करोड़ के अग्रिम advance drawn from the Contingency की प्रतिपूर्ति के लिए है। Fund of India for fuel and lubricants). 3,136.00 3,136.00 (घ) वायु सेना के विरुद्ध न्यायालयी आदेशों से (d) For meeting additional expenditure उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के arising out of Court Orders against Air लिए। Force. 0.50 0.50 (ङ) परिवहन (₹9.03 करोड़), भंडार (₹10,644.06 (e) For meeting additional expenditure करोड़), निर्माण कार्य (₹386 करोड़) अन्य towards transportation (₹9.03 crore), व्यय (₹212.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय Stores (₹10,644.06 crore), Works (₹386 को पूरा करने के लिए। crore) and other expenditure (₹212.21 crore) of Air Force. 3,620.91 3,620,91 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION 23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 23 Ministry of Development of North Eastern Region पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीएम-डिवाइन) के लिए प्रधानमंत्री विकास For augmenting of funds towards major पहल हेत् प्रमुख निर्माण कार्य के लिए निधि को बढ़ाना works for Prime Minister's Development (₹350 करोड़) जिसमें से अनुसूचित जाति उप-योजना initiative for North East region (PM-के लिए ₹100 करोड़ और अनुसूचित जनजाति उप-DevINE) (₹350 crore) of which ₹100 crore योजना के लिए ₹110 करोड़ हैं। for scheduled caste sub-plan and ₹110 crore 80.00 80.00 for scheduled tribe sub-plan. MINISTRY OF ELECTRONICS AND इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय INFORMATION TECHNOLOGY 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **Ministry of Electronics and Information** 27 **Technology** निम्नलिखितों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने For meeting additional expenditure towards हेत् (i) बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (i) 'Professional Services' in respect of PLI हार्डवेयर के लिए पीएलआई के संबंध में for Large Scale Electronics and IT Hardware 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹2 करोड़) (ii) प्रमाणन (₹2 crore) (ii) Grants-in-aid General in प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) के संबंध में respect of Controller of Certifying सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) (iii) भारत Authorities (CCA) (₹1 crore) में सेमीकंडेक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र

(iii) Development of Semiconductor and

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी

जोड

राजस्व

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** का विकास, जिसमें सामान्य सहायता अनुदान Display Ecosystem in India, of which Grants (₹22.80 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन in Aid General (₹22.80 crore), Grants for के लिए अनुदान (₹0.20 करोड़), अन्य शुल्क Creation of Capital Assets (₹0.20 crore), (₹132 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष Other Charges (₹132 crore), Special घटक योजना (₹15 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-Component Plan for Scheduled Castes (₹15 योजना (₹10 करोड़) जिसमें से भारत की crore), Tribal Area Sub-Plan (₹10 crore), out आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए of which ₹13 crore for recoupment of 13 करोड़ रुपये आहरित किया गया (iv) सूचना advance drawn from the Contingency Fund प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को of India. (iv) Grants-in-Aid General (₹14.25 बढ़ावा देने के तहत सामान्य सहायता अनुदान crore) under Promotion of IT and ITeS (₹14.25 करोड़) (v) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा Industries (v) Other Charges (₹1457 crore), देने के तहत अन्य शुल्क (₹1457 करोड़), अनुसूचित Special Component Plan for Scheduled जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹164 करोड़) Castes (₹164 crore) and Tribal Area Sub-और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹131 करोड़) Plan (₹131 crore) under Promotion of (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर Digital Payments (vi) Other Charges in मैन्युफैक्चरिंग का संवर्धन (एमएसआईपीएस, respect of 'Promotion of Electronics and IT ईडीएफ एंड मैन्य्फैक्चरिंग क्लस्टर्स) के संबंध में Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & अन्य शुल्क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष Manufacturing Clusters)' (₹79.70 crore for घटक योजना के लिए ₹79.70 करोड़ और Special Component Plan for Scheduled जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए ₹67.84 Castes and ₹67.84 crore for Tribal Area Sub-करोड़) और (vii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जिसे Plan) and (vii) Grants-in-aid General अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (₹169.35 crore), Grants for Creation of मंत्रालय से स्वायत्त निकाय में अंतरित किया गया Capital Assets (₹85.16 crore) and Grants-है, के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹169.35 in-aid Salaries (₹65.49 crore) for Semi करोड़), पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान Conductor Laboratory, an Autonomous (₹85.16 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान Body transferred from Department of Space (₹65.49 करोड़)। to MeITY. 320.00 320.00 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 30 आर्थिक कार्य विभाग 30 Department of Economic Affairs (क) आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय की (a) For establishment related expenditure स्थापना से संबंधित व्यय (₹27.60 करोड़)। of Department of Economic Affairs Secretariat (₹27.60 crore). 23.62 23.62 (ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) (b) For contribution to International Fund में अंशदान। for Agricultural Development (IFAD). 14.40 14.40 (ग) अवसंरचना विकास- व्यवहार्यता अंतर-निधियन (c) For Assistance for Infrastructure (₹671.80 करोड़), स्वर्ण आरक्षित निधि Development - Viability Gap Funding (₹671.80 crore), Gold Reserve Fund (सॉवरेन स्वर्ण बॉड स्कीम 2015) (₹62 करोड़) के लिए सहायता। (Sovereign Gold Bond Scheme 2015) 510.61 510.61 (₹62 crore). (घ) निम्नलिखितों के लिए (i) भारतीय विकास (d) For (i) Interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) (रणनीतिक विदेशी परियोजना के लिए Development and Economic Assistance रियायती वित्तपोषण) के अंतर्गत ऋण सीमा Scheme (IDEAS) (Concessional Financing for Strategic Overseas हेत् ब्याज समकरण सहायता (₹20 करोड़), Projects) (₹20 crore) (ii) SCO meetings (ii) एससीओ बैठक (₹4.26 करोड़) और (₹4.26 crore) and (iii) Contribution for वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए अंशदान Global Environment Facility (₹9.50 (₹9.50 करोड़)। 26.80 26.80 crore). 32 Department of Financial Services 32 वित्तीय सेवाएं विभाग (a) For making payment of dues & arrears (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के of wages to casual labour employees अनुपालन में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण of the Board for Industrial and Financial बोर्ड (बीआईएफआर) के नैमितिक श्रमिक Reconstruction (BIFR) in compliance कर्मचारियों को देय राशि और बकाया मजदूरी of order of Supreme Court of India. 0.65 0.65 का भुगतान करना। (ख) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के स्थापना संबंधी (b) For meeting additional establishment related expenditure of Debt Recovery अतिरिक्तं व्यय को पूरा करना। Tribunals. 10.77 10.77

... 1,600.00

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
 (ग) निम्नलिखितों के लिए (i) विरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत विरिष्ठ नागिरकों के लिए पेंशन योजना के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति (₹16.98 करोड़), (ii) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत संवर्धनात्मक अभियान कार्यकलाप (₹2.99 करोड़), (iii) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंतर निधियन (₹522 करोड़), (iv) स्वावलंबन योजना के लिए सरकारी सहयोगदान (₹1.31 करोड़)। (घ) संकटग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी की गई प्रतिभूतियों का शोधन (₹254.99 करोड़)। 		(c) For (i) reimbursement of subsidy under Pension Plan for Senior Citizens under Varishtha Pension Bima Yojana (₹16.98 crore) (ii) promotional campaign activities under Atal Pension Yojana (₹2.99 crore) (iii) gap fund under Atal Pension Yojana (₹522 crore) and (iv) Government co-contributions for Swavalamban scheme (₹1.31 crore). (d) For redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund. (₹254.99 crore).	96.94 153.77		96.94 153.77		
35 राजस्व विभाग (क) उच्च अल्कलॉइड उत्पादन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹40.89 करोड़)।	35	Department of Revenue (a) For meeting additional expenditure for higher alkaloid production (₹40.89)					
(ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर का अतिस्क्ति अंतरण (₹7083 करोड़) और राज्यों को जारी किए गए (₹6993.33		crore). (b) For additional transfer of GST compensation cess to GST Compensation Fund (₹7,083 crore) and	37.11		37.11		
करोड़)। (ग) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर का अतिरिक्त अंतरण (₹2917.99		releases to States (₹6,993.33 crore). (c) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹2,917.99 crore)	7,041.28		7,041.28		
करोड़) और संघ राज्य प्रदेशों को जारी (₹2668.67 करोड़)। 36 प्रत्यक्ष कर	26	and releases to UTs (₹2,668.67 crore). Direct Taxes	2,668.67		2,668.67		
भूमि अधिग्रहण और आवासीय भवनों का निर्माण।	30	For acquisition of land and construction of residential buildings.		107.37	107.37		
गृह मंत्रालय निम्नलिखितों के लिए (i)विज्ञापन और प्रचार (₹1.12 करोड़), शस्त्र और गोला-बारुद-(₹1.45 करोड़); कपड़े और तंबू-(₹95.61 करोड़); राशन की लागत-(₹670.80 करोड़); पुंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - (₹22.03 करोड़); सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए)- सामान्य (₹833.16 करोड़), विकित्सा उपचार- (₹148.50 करोड़); लघु निर्माण कार्य-(₹44.55 करोड़), कार्यालय व्यय-(₹414.31 करोड़); अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई) (₹21.31 करोड़); अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई) (₹21.31 करोड़), अन्य शुल्क (₹109.81 करोड़), पीओएल- (₹129.02 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं- (₹787.62 करोड़), प्रकाशन- (₹2.52 करोड़) , किराया, दर और कर-(₹3.46 करोड़), पुरस्कार - (₹1.03 करोड़), ; वेतन (₹2833.97 करोड़), गुप्तचर सेवा व्यय (₹9.50 करोड़); आपूर्ति और सामग्री (₹0.30 करोड़), भत्ते (₹1.71 करोड़), (ii) विलेज वाईब्रेंट प्रोग्राम (वीवीपी) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5.00 करोड़), ओएई (₹0.01 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.02 करोड़) (iii) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)/स्वच्छता के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹1 करोड़), अन्य शुल्क (₹2 करोड़) और कार्यालय व्यय-(₹2 करोड़)		Police For (i) Advertising & Publicity (₹1.12 crore), Arms & Ammunition (₹1.45 crore), Clothing & Tentage (₹95.61 crore), Cost of Ration (₹670.80 crore), DTE (₹762.36 crore), FTE (₹5.13 crore), Grants for creation of capital assets (₹22.03 crore), GIA- General (₹833.16 crore), GIA-Salaries (₹0.41 crore), Medical Treatment (₹148.50 crore), Minor Works (₹44.55 crore), Office Expenses (₹414.31 crore), Other Administrative Expenses (OAE)(₹21.31 crore), Other Charges (₹109.81 crore), P.O.L (₹129.02 crore), Professional Services (₹787.62 crore), Publications (₹2.52 crore), Rent, Rate & Taxes (₹3.46 crore), Rewards (₹1.03 crore),Salaries (₹2833.97 crore), Secret Service Expenditure (₹9.50 crore), Supplies & Material (₹0.30 crore), Wages (₹1.71 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore), OAE (₹0.01 crore), Professional Services (₹0.02 crore) for Village Vibrant Programme (VVP) (iii) Minor works (₹1 crore), Other Charges (₹2 crore) and Office Expenses (₹2 crore)					

under Sashastra Seema Bal(SSB)/Swatchta. 1,600.00

(₹2 करोड़) और कार्यालय व्यय-(₹2 करोड़)।

		(करो	(करोड़ रुपए Rupees in Cro		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of it	राजस्व ems Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
53 चंडीगढ़ (क) वेतन और बकाया के भुगतान के लिए वेतन हेतु (₹77.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹15.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) स्वास्थ्य विभाग (₹22.86 करोड़) और राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (₹15.00 करोड़) के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expentiowards Salaries (₹77 crore Grants-in-aid Salaries (₹15.21 for payment of salaries and arrea (b) For meeting additional expenditus payment of salaries and arrea employees of Health Depart (₹22.86 crore) and Govern Medical College and Ho (₹15 crore).	e) and crore) ars. 44.00 ure for ars of tment		44.00 22.86	
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND UF AFFAIRS	RBAN			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (क) राष्ट्रपति संपदा के लिए लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	60 Ministry of Housing and Urban At (a) For meeting expenditure expentowards Minor Works for Presing Estate.	nditure		8.66	
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-Iक के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹46.74 करोड़), (ii) संपत्ति कर के बकाया के भुगतान और दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) (₹0.49 करोड़) परिसर के नवीनीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान-(₹0.47 करोड़) और (iii) सुव्यवस्थित शहर अभियान परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹15.00 करोड़), बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5.00 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹330.90 करोड़)	(b) For meeting expenditure to (i) Grants for Creation of Capital (₹46.74 crore) for Kochi Metro Project Phase-IA in Financial 2022-23 under MRTS & Metro Project Phase-in-aid General (₹0.47 for payment of outstanding arresproperty tax and for renovation Delhi Urban Art Commission (D) (₹0.49 crore) premises (iii) Administrative Expenses (₹15 Grants-in-aid General for Useritories (UTs) without legisl (₹5 crore) and Grants for Creat Capital Assets (₹330.90 cror completion of project Smart Mission.	wards Assets o Rail I Year rojects crore) ears of ion of DUAC) Other crore), Union latures tion of e) for		350.90	
(ग) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत क्रेडिट गारंटी योगदान के लिए कॉर्पस फंड के साथ-साथ स्थापना संबंधी व्यय हेतु (जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹80 करोड़)।	(c) For establishment related expenses well as Corpus Fund for Contribution under Contrib	nditure Credit Grants- Mantri Nidhi ch ₹80 vance y Fund			
(घ) स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों हेतु सहायता अनुदान सामान्य (₹100 करोड़) और राज्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1,549.10 करोड़)	of India.) (d) For meeting expenditure to Grants-in-Aid General for States crore) and Grants for creation of Cassets for States (₹1,549.10 crocompletion of projects under	c(₹100 Capital re) for Smart		283.93	
(ड) राष्ट्रपति संपदा के प्रमुख कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए।	Cities Mission. (e) For meeting expenditure towards Works for Presidents' Estate.	_	 1.91	1,649.10	
कानून और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE		1.71	1.71	

कानून और न्याय मंत्रालय

65 विधि और न्याय

(i) एलएडीसीएस के वृद्धिशील विस्तार और अन्य कानूनी गतिविधियों (₹20 करोड़) को पूरा करने

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

65 Law and Justice

For providing (i) additional Grants-in-aid to National Legal Services Authority for

जारुपा परा सूर्पर गान,	2022-2023 SULLEMENTART DEMANDS FO	K GRAITIS		(AVII)
		(करो	ड़ रुपए Rupee:	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (ii) भारत में समग्र न्याय दिलाने के लिए (दिशा) (₹8.15 करोड़) अभिनव समाधान डिजाइन करने की योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान सहायता और (iii) भारतीय मध्यस्थता परिषद को सहायता अनुदान - वेतन (₹0.75 करोड़) और अनुदान-सहायता-वेतन (₹0.75 करोड़)।	meeting incremental expansion of LADCS and other legal activities(₹20 crore) (ii) additional Grants-in-aid to the scheme of Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA) (₹8.15 crore) and (iii) Grants-in-aid-General (₹0.75 crore) and Grants-in-aid-Salary (₹0.75 crore) to Arbitration Council of India.	29.65		29.65
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण के लिए	71 Ministry of New and Renewable Energy For construction of 'Atal Akshay Urja Bhawan'.		2.00	2.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
लोकपाल के लिए भूमि के अधिग्रहण और भवन के निर्माण के लिए - प्रमुख कार्य (जिनमें से भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम	For Acquisition of land & construction of Building for Lokpal - Major Works (of which ₹95.91 crore for recoupment of			
की प्रतिपूर्ति के लिए ₹95.91 करोड़ हैं)।	advance sanctioned from the Contingency Fund of India.)		165.46	165.46
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (i) घरेलू एलपीजी संचालन के तहत तेल विपणन कंपनियों को भुगतान (₹22,000 करोड़) (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹245 करोड़) (iii) भारत के लिए मर्चेंट शिप को हरी झंडी दिखाने को बढ़ावा देने के लिए (₹215.62 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (₹7210 करोड़) के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना।	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (i) payments to Oil Marketing Companies under Domestic LPG Operations (₹22,000 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹245 crore) for Numaligarh Refinery Expansion Project (iii) promotion of flagging of Merchant Ships for India (₹215.62 crore) (iv) providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)			560.00
विद्युत मंत्रालय	(₹7210 crore).	560.00		560.00
79 विद्युत मंत्रालय बुनियादी ढांचे यानी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए।	 MINISTRY OF POWER 79 Ministry of Power For providing additional funds for creation of infrastructure i.e. roads and bridges. 		10.00	10.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
81 लोक सभा बकाया दावों (₹0.21 करोड़) को निपटाने के लिए घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	81 Lok Sabha For meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses to settle Outstanding claims (₹0.21 crore).	0.02		0.02
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों	(a) (i) Grants-in-aid General under Safety of Women on Public Road Transport for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** को संवितरण के लिए सामान्य सहायता disbursement to States/UTs (₹10 crore) अनुदान (₹10 करोड़) और राज्य सड़क and under Assistance to State Road परिवहन निगमों को सहायता के तहत Transport Corporations (₹25 crore) and (₹25 करोड़) और (ii) बाह्य सहायता प्राप्त (ii) Road Safety Scheme to reduce योजनाओं- काउंटरपार्ट फंड के साथ-साथ accident and fatalities in India in respect राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक of Externally Aided Schemes- World और एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में भारत Bank & Asian Development Bank for में दुर्घटना और मृत्यु दर को कम करने की State Support Programme along with सड़क सुरक्षा योजना बनाना। 10.00 Counterpart Funds. 10.00 (ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (b) For meeting additional expenditure 1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण towards 1. Investment in National (एनएचएआई) में केंद्रीय सड़क और ब्नियादी Highways Authority of India (NHAI) ढांचा निधि से निवेश (₹13500 करोड़) 2. from Central Road and Infrastructure स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) से Fund (₹13500 crore) 2. Investment निवेश (₹4090.62) 3. प्रमुख कार्य (i) बाहरी from Permanent Bridge Fee Fund सहायता योजना के तहत - विश्व बैंक, हरित (PBFF) (₹4090.62 crore) 3. Major राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (₹74 Works (i) under Externally Aided करोड़) (ii) अन्य योजनाएँ (जीबीएस) Scheme - World Bank, Green National (₹836 करोड़) (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के Highways Corridor Project (₹74 crore) मूल कार्य के तहत सामान्य घटक के लिए (ii) Other Schemes (GBS) (₹836 crore) सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹6266.40 (iii) for General Component under करोड़) (iv) बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं National Highways Original Works -के लिए अंतर-राज्य या आर्थिक महत्व की Financed from CRIF (₹6266.40 crore) सड़कें (₹100 करोड़) (v) समकक्ष निधि (iv) Roads of Inter State or Economic (₹51 करोड़) के तहत बाह्य सहायता प्राप्त Importance(₹100 crore) (v) for रकीमों विश्व बैंक, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर Externally Aided Schemes - World प्रोजेक्ट (जीएनएचसीपी) के लिए Bank, Green National Highways (vi) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क Corridor Project (GNHCP) under संपर्क (एनएच और राज्य सड़कों) का विकास Counterpart Fund (₹51 crore) (vi) under (₹61 करोड़) (vii) भारतमाला परियोजना Development of Road connectivity (NH के तहत टीएसपी घटक के लिए परियोजनाand State Roads) in Left Wing Extremist सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹2250 करोड़) Affected Areas (₹61 crore) (vii) under 4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण Bharatmala Pariyojana for TSP (एनएचएआई) (₹13500) और अन्य राष्ट्रीय component-Financed from CRIF राजमार्ग योजनाओं के लिए (i) केंद्रीय सड़क (₹2250 crore) 4. additional Transfer to और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के (i) Central Road and Infrastructure Fund लिए अतिरिक्त अंतरण (₹8033.82 करोड़) (CRIF) meant for National Highways और (ii) स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) Authority of India (NHAI) (₹13500 (₹4085 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के crore) and other National Highways लिए राष्ट्रीय निवेश कोष (₹2940 करोड़)। schemes (₹8033.82 crore) and (ii) Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) (₹4085 crore) and (iii) National Investment Fund meant for North 19,198.73 19,198.73 East Region (₹2940 crore). ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87 ग्रामीण विकास विभाग Department of Rural Development (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (a) For (i) providing additional funds for योजना के तहत राष्ट्रीय कर्मचारी गारंटी National Employee Guarantee Fund कोष (एनईजीएफ) (₹16,400 करोड़) और (NEGF) (₹16,400 crore) and (ii) Grants (ii) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अन्दान for Creation of Capital Assets (₹11,480 (₹11,480 करोड़) हेतु अतिरिक्त धनराशि crore) under Mahatma Gandhi National प्रदान करना। Rural Employment Guarantee Scheme. 11,480.00 ... 11,480.00 (ग) (i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (c) For (i) providing additional funds to गारंटी' योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना

incur expenditure towards Grants for

Creation of Capital Assets (₹4,920

-ग्रामीण (₹28,422 करोड़) के तहत पूंजीगत

अनुदानों की पूरक मांगें,	2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(xix)
		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आस्तियों (₹4,920 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना और (ii) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन' (एसपीएमआरएम) (₹352.47 करोड़) और 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन' योजना (₹37.78 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान।	crore) under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme and Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural (₹28,422 crore) and (ii) Grants-in-aid General under 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission' (SPMRM) (₹352.47 crore) and 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme (₹37.78 crore).	33,342.00	3	3,342.00
88 भूमि संसाधन विभाग न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता मामले से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	88 Department of Land Resources For meeting expenditure related to arbitration case in view of court decree.	10.25		10.25
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	TECHNOLOGY 91 Department of Scientific and Industrial Research			
(i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं (₹137.33 करोड़), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फैलोशिप (₹104 करोड़) के तहत सीएसआईआर के लिए सहायता अनुदान सामान्य और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए समर्थन (₹3.18 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹70 करोड़) और (iii) एपीसीटीटी (संयुक्त राष्ट्र निकाय) को योगदान (₹0.50 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹137.33 crore), Research Schemes, Scholorships and fellowships (₹104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹3.18 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹0.50 crore).	8.50		8.50
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	93 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) (1) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) नैशनल एक्शन फोर मैकेनाइजड सैनिटेशन इकोसिस्तम (नमस्ते) योजना (₹70 करोड़) और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (₹950 करोड़) (2) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के तहत (i) टॉप क्लास स्कूल (₹178.75 करोड़) और टॉप क्लास कॉलेज (₹383.65 करोड़) के लिए स्कॉलरशिप/स्टाइपंड (ii) अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की योजना में नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति (₹14 करोड़) और (iii) पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के लिए छात्रवृत्ति (₹10 करोड़)।	(a) For (1) Grants in Aid General under the scheme (i) National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) Scheme (₹70 crore) and (ii) Development Action Plan for SCs (DAPSC) (₹950 crore) (2) Scholarship/ Stipend for (i) Top Class Schools (₹178.75 crore) and Top Class Colleges (₹383.65 crore) under the Scheme for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme (ii) National Overseas Scholarship for SCs (₹14 crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs and (iii) Scholarship for PM CARES Children scheme (₹10 crore).	950.00		950.00
(ख) अटल वायो अभ्युदय योजना के लिए (अव्यय)।	(b) For the scheme Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY).	150.00		150.00
अंतरिक्ष विभाग 95 अंतरिक्ष विभाग भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के व्यय को पूरा करने के लिए।	DEPARTMENT OF SPACE 95 Department of Space For meeting expenditure towards Vikram Sarabhai Space Centre for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund			
	of India.	0.60		0.60

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
कपड़ा मंत्रालय 98 कपड़ा मंत्रालय 'विकास आयुक्त (हथकरघा)'(₹5 करोड़) और 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (₹1.50 करोड़)' योजना के तहत प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।	MINISTRY OF TEXTILES 98 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme 'Development Commissioner (Handloom)' (₹5 crore) and 'National Handicrafts Development Programme (₹1.50 crore).		6.50	6.50	
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) सचिवालय के अंतर्गत 'वेतन' (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹2.50 करोड़) और किराया दर और कर (₹0.30 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। ख) गैर-स्कीम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तहत (i) 'वेतन' (₹0.95 करोड़) और 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹4.25 करोड़) (ii) 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.05 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़) और जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता के लिए (₹2 करोड़)। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹4.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100 Ministry of Tribal Affairs (a) For meeting the additional expenditure towards 'Salaries' (₹1 crore), Office Expenses (₹2.50 crore) and Rent Rates & Taxes (₹0.30 crore) under Secretariat. (b) For meeting the additional expenditure towards (i) 'Salaries' (₹0.95 crore) and 'Professional Services' (₹4.25 crore) under the Non- scheme National Commission for Scheduled Tribes (ii) Grant in Aid General under the scheme 'Administrative Cost to States/ UTs. (₹2.05 crore) and (iii) Grant for creation of capital assets under the Scheme Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission (₹20 crore) and Support to Tribal Research Institute (₹2 crore). ₹4.25 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be	3.80		3.80	
	Contingency Fund of India will be recouped.	5.20		5.20	

कुल तकनीकी

Total Technical

90,501.96 19,678.63 1,10,180.59

अनुपूरक अनुदान भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके खंड, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹1 लाख प्रत्येक का 4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by समक्ष इंगित व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदान के लिए सांकेतिक अनुपूरक मांगें		Token Supplementary Demands for grants		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
कृषि	वे और किसान कल्याण मंत्रालय	M	INISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE				
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture and Farmers Welfare				
	2401-कृषि (क्रोप हरखेंडरी)		2401- Crop Husbandry	7,029.09		7,029.09	
	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम		2435 - Other Agricultural Programmes	630.00		630.00	
	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	241.57		241.57	
	4401-कृषि (क्रोप हसबेंडरी) देखभाल पर पूंजीगत परिव्यय		4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	•••	1.70	1.70	
परम	नाणु ऊर्जा विभाग	DE	CPARTMENT OF ATOMIC ENERGY				
3	परमाण् ऊर्जा	3	Atomic Energy				
	4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		4801 - Capital Outlay on Power Projects 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy		834.68	834.68	
	(भारत की आकस्मिकता निधि से प्रतिपूर्ति के लिए ₹110 करोड़)		Industries (₹110 crore for recoupment of Contingency Fund of India)		476.34	476.34	

		 राजस्व	रोड़ रुपए Rupe पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
आयुष मंत्रालय	MINISTRY OF AYUSH			
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of AYUSH			
2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	113.64		113.64
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
3053 - नागर विमानन (यह राशि भारत की	3053 - Civil Aviation (This amount is for			
आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की	recoupment of advance sanctioned from			
प्रतिपूर्ति के लिए हैं)।	Contingency Fund of India).	16.00		16.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works		12.00	12.00
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry	•••	12.00	12.00
	and Internal Trade			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	86.50		86.50
2852 - उद्योग	2852 - Industries	32.50	•••	32.50
2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	"2885 - Other Outlays on Industries and	32.30	•••	32.30
(प्रभारित)	Minerals (Charged)"	0.29		0.29
2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885 - Other Outlays on Industries and	0.27	•••	0.27
(स्वीकृत)	Minerals (Voted)	62.45		62.45
 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475 - Other General Economic Services	11.18		11.18
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works		16.92	16.92
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275 - Capital Outlay on Other			
	Communication Services		42,269.00	42,269.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
	FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public			
	Distribution			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता	2552 - North Eastern Areas (₹500 crore			
निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के	for recoupment of advance sanctioned			
लिए 500 करोड़ रुपये)	from Contingency Fund of India)	600.00		600.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments			
(भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम	(₹4,148 crore for recoupment of advance			
राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹4,148 करोड़)	sanctioned from Contingency Fund of India)	5,826.42		5,826.42
3602 - संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता	3602 - Grants-in-aid to Union Territory			
अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत	Governments (₹250 crore for recoupment			
अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹250 करोड़)	of advance sanctioned from Contingency			
	Fund of India)	145.08		145.08
4408 - खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर	4408 - Capital Outlay on Food Storage and			
पूंजीगत परिव्यय	Warehousing		2.84	2.84
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas		5.00	5.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860 - Loans for Consumer Industries		39.66	39.66
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 17 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 Ministry of Corporate Affairs			

		(कर	ोड़ रुपए Rupe	
भनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
3 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर	4202 - Capital Outlay on Education, Sports,			
पूंजीगत परिव्यय (यह राशि भारत की आकस्मिकता	Art and Culture (This amount is for			
निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है)	recoupment of advance sanctioned from			
ζ , ,	Contingency Fund of India)		20.00	20.00
ा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services		129.00	129.00
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - Capital Outlay on Defence Services		1,235.98	1,235.98
र्तित्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF			
* \ 0 .	NORTH EASTERN REGION			
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	10.00		10.00
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	202.48		202.48
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24 Ministry of Earth Sciences			
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403 - Oceanographic Research	4.30		4.30
3455 - मौसम विज्ञान	3455 - Meteorology	1.01	•••	1.01
क्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1,274.20		1,274.20
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	120.50		120.50
उच्च शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	1,869.04		1,869.04
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	1,459.23	•••	1,459.23
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	192.00	•••	192.00
क्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND			
	INFORMATION TECHNOLOGY			
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27 Ministry of Electronics and Information Technology			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	297.35		297.35
र्विवरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
	FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	18.64		18.64
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	8.00		8.00
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	157.30		157.30
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत	4406 - Capital Outlay on Forestry and			
परिव्यय	Wild Life		1.00	1.00
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research		2.00	2.00
ζ.	and Environmental Research		2.00	2.00
देश मंत्रालय । विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 29 Ministry of External Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं (यह राशि	29 Ministry of External Affairs 2052 - Secretariat-General Services			
भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम	(This amount is for recoupment of advance			
की प्रतिपूर्ति के लिए हैं)	sanctioned from Contingency Fund of India)	100.00		100.00
यत त्राराचारा यर रहार है।	Sanctioned from Contingency Fund of India)	100.00	•••	100.00

	3,000,000		-2023 SULLEMENTART DEMANDS FOR		ड़ रुपए Rupee	es in Crore)
				राजस्व	^{७ ०५९} <i>स्प्रावृह</i>	<u>ात Crore)</u> जोड
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
	2061 - विदेशी मामलें (भारत की आकस्मिकता		2061 - External Affairs (₹155 crore for			
	निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹155 करोड़)		recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	435.00		435.00
	3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग		3605 - Technical and Economic Co-operation with Other Countries	6.28		6.28
	7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम		7605 - Advances to Foreign Governments		164.65	164.65
	मत्रांलय		NISTRY OF FINANCE			
30	आर्थिक कार्य विभाग 5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	30	Department of Economic Affairs 5466 - Investments in International			
	5400 - जतराब्द्राय विसाव संस्थाना न निवश		Financial Institutions		27.68	27.68
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	32	Department of Financial Services			
	4885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय		4885 - Other Capital Outlay on Industries and Minerals		400.00	400.00
35	राजस्व विभाग	35	Department of Revenue	•••	400.00	400.00
	2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं		2047 - Other Fiscal Services	41.41		41.41
37	अप्रत्यक्ष कर 2037 - सीमा शुल्क	3 7	Indirect Taxes 2037 - Customs	208.92		208.92
	G		2037 Customs	200.52	•••	200.52
मत्स	य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	Ml	NISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
43	मत्स्य विभाग	43	Department of Fisheries			
	2405 - मत्स्य पालन		2405 - Fisheries	10.00		10.00
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	1.40		1.40
44	पशुपालन और डेयरी विभाग	44	Department of Animal Husbandry and			
	2403 - पशुपालन		Dairying 2403 - Animal Husbandry	14.98		14.98
				1,0	•••	1 1., 0
खाह	प्र प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ml	INISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45	Ministry of Food Processing Industries			
	2408 - खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग		2408 - Food Storage and Warehousing	9.58		9.58
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	6.90		6.90
स्वा	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46	Department of Health and Family Welfare			
	2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		2071 - Pensions and other Retirement Benefits	1,995.00		1,995.00
	2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (भारत की		2210 - Medical and Public Health			
	आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹46.94 करोड़)		(₹46.94 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	2,505.17		2,505.17
	2211 - परिवार कल्याण		2211 - Family Welfare	13.46		13.46
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता		2552 - North Eastern Areas (₹13.55 crore			
	निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए		for recoupment of advance sanctioned from			
	₹13.55 करोड़)		Contingency Fund of India)	559.40		559.40
	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम		3601 - Grants-in-aid to State Governments (₹12.14 crore for recoupment of advance			
	की प्रतिपूर्ति के लिए ₹12.14 करोड़)		sanctioned from Contingency Fund of India)	1.056.15		1,056.15
	3606 - सहायता सामग्री और उपकरण		3606 - Aid Materials and Equipment	1,098.47		1,098.47
	4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर		4210 - Capital Outlay on Medical and			
	पूंजीगत परिव्यय		Public Health		262.42	262.42
47	4216 - आवासन पर पूंजी परिव्यय रवास्थ्य अनुसंधान विभाग	47	4216 - Capital Outlay on Housing Department of Health Research	•••	1.00	1.00
•	2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	2210 - Medical and Public Health	10.00		10.00
	2552 - पूर्वोतर क्षेत्र		2552 - Noth Eastern Areas	1.00		1.00

दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूजा Capital	जोड़ Total
ो उद्योग मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
भारी उद्योग मंत्रालय	48	Ministry of Heavy Industries			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			2.80		2.80
		2852 - Industries	1,932.02		1,932.02
		6860 - Loans for Consumer Industries	,		,
•					
के लिए हैं)		Contingency Fund of India)		43.97	43.97
मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
	.,		0.25		0.25
					7.26
					45.35
					270.00
			270.00	•••	270.00
				0.92	9.83
			•••		6.10
मंत्रिमंडल	50	Cabinet	•••	0.10	0.10
		2013 - Council of Ministers (₹15.16 crore			
		for recoupment of advance sanctioned			
,		from Contingency Fund of India)	299.53		299.53
पुलिस	51	Police			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत		3601 - Grants-in-aid to State Governments			
की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए		(₹29.97 crore for recoupment of			
₹29.97 करोड़)		Contingency Fund of India)	94.72		94.72
3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान (भारत		3602 - Grants-in-aid to Union Territory			
की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की		(₹24.68 crore for recoupment of advance			
प्रतिपूर्ति के लिए ₹24.68 करोड़)			292.73		292.73
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (भारत की		4055 - Capital Outlay on Police (₹338 crore			
के लिए ₹338 करोड़)		_		1535.73	1535.73
अंडमान व नोकोबार द्वीप समुह	52				
			0.15		0.15
					13.18
					6.45
	53	_	****		
		_	13.18		13.18
					0.95
4055 - पलिस पर पंजीगत परिव्यय					21.42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				6.84	6.84
CI CI		•			0.06
					20.83
			•••	20.00	-0.02
G				6 99	6.99
					10.45
			•••	10.10	10.10
				0.20	0.20
	54		•••	0.20	0.20
जन्म जार तर हमा जार प्राप्त जार प्राप्त	J- T	_			
२२०२ - सामान्य जिथा			16.00		16.90
					9.45
				•••	12.00
				•••	20.00
					22.00
उ००७ - नागारक उड्डयन		3033 - Civii Aviation	16.00		16.00
	मंत्रालय गृह मंत्रालय 2052 - सिववालय-सामान्य सेवाएं 2070 - अन्य प्रशासिनक सेवाएं 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 4070 - अन्य प्रशासिनक सेवाओं पर पूंजीगत पिरव्यय 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत पिरव्यय मंत्रिमंडल 2013 - मंत्रिपरिषद (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹15.16 करोड़) पुलिस 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹29.97 करोड़) 3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹24.68 करोड़) 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए	शहोग मंत्रालय शारी उद्योग मंत्रालय 3451 - सिववालय-आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग 6860 - उपमोक्ता उद्योगों के लिए ऋण (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए हैं) मंत्रालय शुह मंत्रालय 2052 - सिववालय-सामान्य सेवाएं 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय मंत्रिमंडल 2013 - मंत्रिपरिबद (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹15.16 करोड़) पुलिस 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुवान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹29.97 करोड़) 3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुवान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹29.97 करोड़) 3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुवान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹29.97 करोड़) 3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुवान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹338 करोड़) 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹338 करोड़) 217 - शहरी विकास कार्यक्रम 3054 - सड़कें और पुल चंडीगढ़ 2217 - शहरी विकास कार्यक्रम 3054 - सड़कें और पुल चंडीगढ़ 2217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4208 - खाद्य भंजारण और वेयरहाउसिंग 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 4207 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4218 - सामाजिक सुख्या और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4218 - अव्य वैज्ञानिक और यमन और दीव 54 2202 - सामान्य शिक्षा 2203 - तकनीकी शिक्षा 2201 - विकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2852 - उद्योग	ा उद्योग मंत्रालय	सान संख्या और शीर्षक तथा महों का विकल्ण ते उद्योग मंत्रातव्य गरी प्रचाग मंत्रातव्य शरी प्रचान मंत्रातव्य शरी प्रचान को आकस्मिकता निर्मि की प्रविश्वति होता होगों के लिए ऋण (यह प्रचाशि मातत की आकस्मिकता निर्मि की प्रविश्वति होता होण के लिए ऋण (यह प्रचाशि मातत की आकस्मिकता निर्मि की प्रविश्वति होण प्रचार प्रचानिक सेवाएं एवं स्थान प्रचानिक सेवाएं एवं स्थान प्रचानिक सेवाएं एवं स्थान प्रचानिक सेवाएं प्रचान प्रचानिक सेवाएं प्रचान प्रचानिक सेवाएं प्रचान प्रचानिक सेवाएं प्रचान प्रचान प्रचानिक सेवाएं प्रचान प्रचानिक सेवाणं पर पूर्णींगत परिचय प्रचान प्रचान प्रचानिक सेवाणं पर पूर्णींगत परिचय प्रचान के लिए सेवाल को अतिपूर्ति के लिए रेउ.6 करोलें प्रचान	पन संख्या कर्म से से से के क्या महो का विकरण Grant No. & title and description of items Revent Capital

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (xxv) (करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue 4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर 4202 - Capital Outlay on Education, पुंजीगत परिव्यय Sports, Art and Culture 6.00 6.00 4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय 4405 - Capital Outlay on Fisheries 2.05 2.05 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life 6.00 6.00 4705 - कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4705 - Capital Outlay on Command Area Development 1.50 1.50 4810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत 4810 - Capital Outlay on New and परिव्यय 5.00 5.00 Renewable Energy 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges 50.00 50.00 55 लद्दाख 55 Ladakh 2202 - सामान्य शिक्षा (यह राशि भारत की 2202 - General Education (This amount is आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत अग्रिम की for recoupment of advance sanctioned प्रतिपूर्ति के लिए है) from Contingency Fund of India) 6.00 6.00 2217 - शहरी विकास 2217 - Urban Development 4.73 4.73 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235 - Social Security and Welfare 0.05 0.05 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 2245 - Relief on account of Natural calamities 10.00 10.00 ... 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत 4070 - Capital Outlay on Other परिव्यय Administrative Services 2.33 2.33 4202 - शिक्षा , खेल, कला और संस्कृति पर 4202 - Capital Outlay on Education, पूंजीगत परिव्यय Sports, Art and Culture 3.75 3.75 4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 4210 - Capital Outlay on Medical and पुंजीगत परिव्यय Public Health 1.60 1.60 4401 - फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry 1.25 1.25 4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry 2.13 2.13 4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय 4405 - Capital Outlay on Fisheries 0.30 0.30 4408 - खाद्य भंडारण और भांडागार पर 4408 - Capital Outlay on Food Storage पुंजीगत परिव्यय 1.40 1.40 and Warehousing 4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 0.54 0.54 4425 - Capital Outlay on Co-operation 4435 - अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत 4435 - Capital Outlay on Other Agricultural Programmes 0.89 0.89 4575 - अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर 4575 - Capital Outlay on Other Special पूंजीगत परिव्यय Areas Programmes 22.59 22.59 4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 0.90 0.90 4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation 4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4.9 4.9 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4801 - Capital Outlay on Power Projects 7.00 7.00 ... 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges 50.50 50.50 56 लक्षद्वीप 56 Lakshadweep 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 4055 - Capital Outlay on Police 0.03 0.03 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN **AFFAIRS** 60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 60 Ministry of Housing and Urban Affairs 2059 - लोक निर्माण कार्य 2059 - Public Works 3.39 3.39 2216 - आवासन 2216 - Housing 11,221.73 ... 11,221.73 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 4059 - Capital Outlay on Public Works 70.00 70.00 4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय 4216 - Capital Outlay on Housing 200.00 200.00 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 4217 - Capital Outlay on Urban Development 441.79 441.79

सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING सूचना और प्रसारण मंत्रालय Information 61 Ministry of and **Broadcasting** 2251 - Secretariat-Social Services

0.04

0.04

2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

		(करो	ड़ रुपए Ruped	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	1.26		1.26
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.37	•••	12.37
2701 - प्रमुख और मध्यम सिंचाई	2701 - Major and Medium Irrigation	11.80		11.80
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण 63 पेयजल और स्वच्छता विभाग	3435 - Ecology and Environment	1,400.00	•••	1,400.00
	63 Department of Drinking Water and Sanitation			
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	10.00	•••	10.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2,015.4		2,015.4
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium			
	Enterprises			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.40		0.40
2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	233.05	•••	233.05
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	13.00		13.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
नवावता राज नेत्रालय 72 पंचायती राज मंत्रालय	72 Ministry of Panchayati Raj			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programme	14.02		14.02
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	3.05		3.05
2051 - लोक सेवा आयोग (भारत की आकस्मिक	2051 - Public Service Commission			
निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए	(₹100 crore for recoupment of advance	227.01		227.01
100 करोड़)	sanctioned from Contingency Fund of India)	227.01	•••	227.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	2070 - Other Administrative Services 4059 - Capital Outlay on Public Works	22.37	40.00	22.37 40.00
4000 (114) 1111 1 (25) (11)	Tooy Cupital Sullay on Luone Works	•••	10.00	10.00
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3051 - पतन और लाइट हाउस	3051 - Ports and Light Houses	17.00		17.00
5052 - पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052 - Capital Outlay on Shipping		7.20	7.20
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	79 Ministry of Power 2552 - North Eastern Areas	812.57		812.57
2801 - विद्युत	2801 - Power	202.26		202.26
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501- Special Programme for Rural	0.00		0.00
	Development	9.99	•••	9.99

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
88 भूमि संसाधन विभाग 2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	88 Department of Land Resources 2501 - Special Programmes for Rural Development 2552 - North Eastern Areas	0.10 18.00		0.10 18.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
 89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 4859 - दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर 	TECHNOLOGY 89 Department of Science and Technology 3425 - Other Scientific Research 91 Department of Scientific and Industrial Research	350.00		350.00
4859 - दूरसंचार आर इलक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	4859 - Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries		1.50	1.50
अंतिरक्ष विभाग95 अंतरिक्ष विभाग3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान का पूंजीगत परिव्यय	 DEPARTMENT OF SPACE 95 Department of Space 3402 - Space Research 5402 - Capital Outlay of Space Research 	12.22	 4,718.24	12.22 4,718.24
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 96 Ministry of Statistics and Programme			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Implementation 3454- Census Surveys and Statistics	38.40		38.40
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 कपड़ा मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	22.90	•••	22.90
2851 - ग्राम और लघु उद्योग 2852 - उद्योग	2851 - Village and Small Industries 2852 - Industries	171.18 293.69		171.18 293.69
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹36.77 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत	101 Ministry of Women and Child Development 2235 - Social Security and Welfare (₹36.77 crore for recoupment of advance			
अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए) 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	sanctioned from Contingency Fund of India) 2552 - North Eastern Areas	59.88 0.52		59.88 0.52
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा मामले और खेल मंत्रालय 2204 - खेल और युवा सेवाएं 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	102 Ministry of Youth Affairs and Sports 2204 - Sports and Youth Services 2552 - North Eastern Areas	203.52 0.40		203.52 0.40
कुल टोकन	Total Token	1.01	0.58	1.59
5. अनुदान की अनुपूरक मांगों में कुल 28271,20,01,000 शामिल हैं जिन्हें भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किया जाना है, जिसमें से 20 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित किया गया था।	5. The Supplementary Demands for Grants inclube recouped to Contingency Fund of India adva Departments/Ministries.			
कुल योग	GRAND TOTAL	3,85,206.83	50,732.04 4	,35,938.87
निवल नकद व्यय तकनीकी पूरक सांकेतिक पूरक	Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary	2,94,703.86 90,501.96 1.01	31,052.83 3 19,678.63 1 0.58	

विषय सूची CONTENTS

					•	करोड़ in रै	₹crore)
मांग संख्या और शीर्षक		N LTM CD L		राजस्व	पूंर्ज		पृष्ट
		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE &					
कल्याण मंत्रालय		FARMERS WELFARE					
1. कृषि, और कृषक		1. Department of Agriculture,				0.04	_
कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers Welfare	Voted	0.03	0.01	0.04	1
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	37 . 1	2146.24	0.02	2146.26	2.2
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	3146.24	0.02	3146.26	2-3
आयुष मंत्रालय	-	MINISTRY OF AYUSH	37 . 1	0.01		0.01	4
4. आयुष मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of AYUSH	Voted	0.01	•••	0.01	4
रसायन आर उपरक मत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	109288.95		109288.95	5
` ` `	स्याकृत <i>भारित</i>	7. Department of Pharmaceuticals	Charged	1.80		1.80	6
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fnarmaceuticals	Voted	24.39		24.39	U
नागर विमानन मंत्रालय	स्पापरृत	MINISTRY OF CIVIL AVIATION	Voieu	24.39	•••	24.39	
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01		0.01	7
कोयला मंत्रालय	रपापट्टरा	MINISTRY OF COAL	Voicu	0.01	•••	0.01	,
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	154.64		154.64	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	रवाष्ट्ररा	MINISTRY OF COMMERCE AND	Voica	134.04	•••	154.04	o
वाजाव्य आर उद्यान निमाल		INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	383.00	0.01	383.01	9
11. औद्योगिक नीति तथा	रपाष्ट्रमा	11. Department for Promotion of	, 0,00	202.00	0.01	202.01	
संवर्धन विभाग	भारित	Industry and Internal Trade	Charged	0.01		0.01	10-11
Mag 1 14 mm	स्वीकृत		Voted	0.04	62.45	62.49	
संचार मंत्रालय	(412/11	MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	भारित	12. Department of Posts	Charged	1.60		1.60	12
12. 0.4	स्वीकृत	•	Voted		87.00	87.00	
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	13668.84	0.01	13668.85	13
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण		15. Department of Food and Public					
विभाग	स्वीकृत	Distribution	Voted	80348.28	0.03	80348.31	14-15
सहकारिता मंत्रालय	c	MINISTRY OF COOPERATION					
16. सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Cooperation	Voted		154.00	154.00	16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	C	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01		0.01	17
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	354.02	0.01	354.03	18
रक्षा मंत्रालय	_	MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	भारित	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.50		0.50	19
	स्वीकृत		Voted	2750.00	500.01	3250.01	
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	20. Defence Services (Revenue)	Charged	0.70		0.70	20
	स्वीकृत		Voted	19999.30	•••	19999.30	
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	21. Capital Outlay on Defence Services	Voted	•••	0.01	0.01	21
	रवावट्टरा						
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	रपाप्ट्ररा	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
	रवावट्टरा	NORTH EASTERN REGION					
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत		Voted	0.02	80.00	80.02	22

						(₹	(₹ करोड़ in ₹crore)		
					राजस्व	पूंज	नी जोड़	पृष्ट	
मांग संख्या औ	र शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita		Page	
	ालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES						
24. पृथ्वी विज्ञा		स्वीकृत	24. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02		0.02	23	
शिक्षा मंत्रालय		c	MINISTRY OF EDUCATION						
25. स्कूली शिक्ष	ना और साक्षरता		25. Department of School Education						
विभाग		स्वीकृत	and Literacy	Voted	0.02		0.02	24	
26. उच्चतर शि	क्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	0.03		0.03	25-26	
इलेक्ट्रानिकी औ	र सूचना		MINISTRY OF ELECTRONICS AND						
प्रौद्योगिकी			INFORMATION TECHNOLOGY						
27. इलेक्ट्रानिक	•,		27. Ministry of Electronics and						
प्रौद्योगिकी		स्वीकृत	Information Technology	Voted	320.01		320.01	27	
पर्यावरण, वन औ			MINISTRY OF ENVIRONMENT,						
परिवर्तन मं		_	FORESTS AND CLIMATE CHANGE						
28. पर्यावरण, व	वन और जलवायु परिव		28. Ministry of Environment, Forests and						
मंत्रालय		स्वीकृत	Climate Change	Voted	0.03	0.02	0.05	28	
विदेश मंत्रालय		0	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
29. विदेश मंत्रा	लय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	29	
वित्त मंत्रालय		0	MINISTRY OF FINANCE						
30. आर्थिक क		स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	575.43	0.01	575.44	30	
32. वित्तीय सेव	ाए विभाग	भारित	32. Department of Financial Services	Charged	0.65		0.65	31	
		स्वीकृत	00 D	Voted	261.48	0.01	261.49	2.2	
33. लोक उद्यम 35. राजस्व विभ		-	33. Department of Public Enterprises	Voted	3.00	150.00	153.00	32	
	111	स्वीकृत	35. Department of Revenue	Voted	19698.49		19728.49	33-34	
36. प्रत्यक्ष कर		स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted	0.01	229.72	229.72	35	
37. अप्रत्यक्ष क मत्सय पालन, प		स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	•••	0.01	36	
नरसंघ पालन, प डेयरी मंत्रा	-		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING						
43. मत्सय पाल	• • •	स्वीकृत	43. Department of Fisheries	Voted	0.02		0.02	37	
44. पशु पालन		रपापृत्त	44. Department of Animal Husbandry	voieu	0.02	•••	0.02	31	
विभाग	0111 011 4714	स्वीकृत	and Dairying	Voted	0.01		0.01	38	
खाद्य प्रसंस्करण	उद्योग मंत्रालय	(412/11	MINISTRY OF FOOD PROCESSING	Voica	0.01	•••	0.01	30	
			INDUSTRIES						
45. खाद्य प्रसंस	करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02		0.02	39	
स्वास्थ्य एवं परिव			MINISTRY OF HEALTH AND						
मंत्रालय			FAMILY WELFARE						
46. स्वास्थ्य औ	र परिवार कल्याण		46. Department of Health and Family						
विभाग		स्वीकृत	Welfare	Voted	0.06	0.02	0.08	40-41	
47. स्वास्थ्य अ	नुसंधान विभाग		47. Department of Health Research	Voted	0.02		0.02	42	
भारी उद्योल मंत्रा	ालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES						
48. भारी उद्योग	ा मंत्रालय	स्वीकृत	48. Ministry of Heavy Industries	Voted	0.02	0.01	0.03	43	
गृह मंत्रालय			MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
49. गृह मंत्राल	य	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.04	0.02	0.06	44-45	
50. मंत्रिमंडल		स्वीकृत	50. Cabinet	Voted	0.01		0.01	46	
51. पुलिस		स्वीकृत	51. Police	Voted	2982.36	0.01	2982.37	47-48	
52. अण्डमान ३	भौर निकोबार द्वीप		52. Andaman and Nicobar						
समूह		स्वीकृत	Islands	Voted	0.03	•••	0.03	49	
53. चंडीगढ़		भारित	53. Chandigarh	Charged	1.49		1.49	50-51	
	\ 0 °	स्वीकृत		Voted	461.72	0.07	461.79		
	नागर हवेली और	<u> </u>	54. Dadra and Nagar Haveli and						
दमन और	दाव	स्वीकृत	Daman and Diu	Voted	46.96	54.06	101.02	52-53	
55. लद्दाख		स्वीकृत	55. Ladakh	Voted	0.04	0.14	0.18	54-55	
56. लक्ष्यद्वीप		स्वीकृत	56. Lakshadweep	Voted		0.01	0.01	56	
	ोर को अंतरण	स्वीकृत	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	8956.69		8956.69	57 50	
59. पुडुचेरी को	अतरण	स्वीकृत	59. Transfers to Puducherry	Voted	1400.00	•••	1400.00	58	

					(₹	करोड़ in र	crore)
				राजस्व	पूंर्ज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita		Page
		MINISTRY OF HOUSING AND					
मंत्रालय		URBAN AFFAIRS					
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्राल	य भारित	60. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	8.66	1.91	10.57	59-60
	स्वीकृत		Voted	2283.95	0.03	2283.98	
सूचना तथा प्रसारण		MINISTRY OF INFORMATION AND					
मंत्रालय		BROADCASTING					
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		61. Ministry of Information and Broadcastin	ng Voted	201.23	•••	201.23	61
जल शक्ति मंत्रालय 62. जल संसाधन, नदी विकास		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
और गंगा कायाकल्प		62. Department of Water Resources, River Development and Ganga					
विभाग	स्वीकृत	Rejuvenation	Voted	0.04		0.04	62
63. पेय जल एवं स्वच्छता	13-11-1	63. Department of Drinking Water	Voica	0.04	•••	0.04	02
विभाग	स्वीकृत	and Sanitation	Voted	0.02		0.02	63
विधि और न्याय मंत्रालय	c	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
65. विधि और न्याय	स्वीकृत	65. Law and Justice	Voted	29.65		29.65	64
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	66. Election Commission	Voted	67.24		67.24	65
67. भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	67. Supreme Court of India	Charged	4.01		4.01	66
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		MINISTRY OF MICRO, SMALL					
मंत्रालय		AND MEDIUM ENTERPRISES					
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	0	68. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	67
नवान तथा नवाकरणाय ऊजा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		71. Ministry of New and Renewable					
मंत्रालय	स्वीकृत	Energy	Voted	132.33	2.00	134.33	68
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
72. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Panchayati Raj	Voted	37.21		37.21	69
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS					
74. कार्मिक, लोक शिकायत और		74. Ministry of Personnel, Public					
पेंशन मंत्रालय	भारित	Grievances and Pensions	Charged		165.46	165.46	70-71
	स्वीकृत		Voted	0.03	0.01	0.04	
75. केन्द्रीय संतर्कता आयोग	भारित	75. Central Vigilance Commission	Charged	1.50	•••	1.50	72
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		MINISTRY OF PETROLEUM AND					
मंत्रालय 76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		NATURAL GAS					
76. पट्रालियम आर प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	25503.68		25503.68	73
योजना मंत्रालय	रवावट्टरा	MINISTRY OF PLANNING	Voica	23303.00	•••	23303.00	73
77. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Planning	Voted	612.44	10.00	622.44	74
पत्तन, पोत परिवहन एवं		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING					
जलमार्ग मंत्रालय		AND WATERWAYS					
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग		78. Ministry of Ports, Shipping and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Waterways	Voted	13.09	70.80	83.89	75
विद्युत मंत्रालय	_	MINISTRY OF POWER					
79. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	0.02	10.00	10.02	76
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा		THE PRESIDENT, PARLIAMENT,					
आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		UNION PUBLIC SERVICE					
साचवालय		COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE					
		VICE PRESIDENT					
80. राष्ट्रपति सचिवालय के कर्मचारी		80. Staff, Household and Allowances					
परिवार एवं भत्ते	भारित	of the President	Charged	5.35		5.35	77
81. लोक सभा	भारित	81. Lok Sabha	Charged	0.02		0.02	78
82. राज्य सभा	भारित	82. Rajya Sabha	Charged	0.75	•••	0.75	79
84. संघ लोक सेवा आयोग	भारित	84. Union Public Service Commission	Charged	20.67		20.67	80

(₹ करोड़ in ₹ crore) जोड राजस्व पुंजी पुष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital **Total** Revenue **Page** रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS 85. रेल मंत्रालय स्वीकृत 85. Ministry of Railways Voted ... 12000.00 12000.00 81-82 सडक परिवहन और राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालय AND HIGHWAYS 86. सड़क परिवहन और 86. Ministry of Road Transport and राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत Voted 10.00 37117.64 37127.64 83-84 Highways ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत ... 89999.50 87. Department of Rural Development Voted 89999.50 85-86 88. भूमि संसाधन विभाग भारित 88. Department of Land Resources Charged 10.25 10.25 87 ... स्वीकृत Voted 0.02 0.02 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 89. Department of Science and Technology Voted 0.01 0.01 88 ... वैज्ञानिक और औद्योगिक 91. Department of Scientific & Industrial अनुसंधान विभाग स्वीकृत Research Voted 313.65 0.01 313.66 89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND मंत्रालय **EMPOWERMENT** 93. सामाजिक न्याय और 93. Department of Social Justice and स्वीकृत अधिकारिता विभाग Empowerment Voted 1100.00 1100.00 90 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 95. अंतरिक्ष विभाग भारित 95. Department of Space Charged 0.60 0.60 91 ... स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.02 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन MINISTRY OF STATISTICS AND मंत्रालय PROGRAMME IMPLEMENTATION 96. सांख्यिकी और कार्यक्रम 96. Ministry of Statistics and स्वीकृत कार्यान्वयन मंत्रालय Programme Implementation Voted 0.01 0.01 92 इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 97. इस्पात मंत्रालय स्वीकृत 97. Ministry of Steel Voted 10.72 10.72 93 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 98. वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत 0.03 6.50 6.53 94-95 98. Ministry of Textiles Voted जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100. जनजातीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत 100. Ministry of Tribal Affairs Voted 9.00 9.00 96 महिला एवं बाल विकास MINISTRY OF WOMEN AND मंत्रालय CHILD DEVELOPMENT 101. महिला एवं बाल विकास 101. Ministry of Women and मंत्रालय स्वीकृत Child Development Voted 0.02 0.02 97 युवा कार्यक्रम और MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS खेल मंत्रालय AND SPORTS 102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्वीकृत 102. Ministry Of Youth Affairs And Sports Voted 0.02 0.02 98 कुल जोड़ **GRAND TOTAL** 385206.83 50732.04 435938.87 भारित Charged 58.56 167.37 225.93 स्वीकृत Voted 385148.27 50564.67 435712.94

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

राजस्व ह पूंजी (जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व ह पूंजी (जोड़ जोड़ (मूल और पूरक)	I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	भ्रारित Charged ired: 	स्वीकृत Voted 123960.75 39.25 124000.00 0.03 0.01		সাঁর Total 123960.75 39.25 124000.00			
राजस्व पूंजी (जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व (पूंजी (जोड़ जोड़ जोड़ जोड़ (मूल और पूरक)	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	 , ired: 	Voted 123960.75		123960.75 39.25 124000.00			
राजस्व पूंजी (जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व पूंजी (जोड़ जोड़ (मूल और पूरक)	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	 , ired: 	39.25 124000.00 0.03 0.01		39.25 124000.00			
राजस्व मूंजी जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व मूंजी जोड़ जोड़ जोड़ जोड़	Capital Total Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	 , ired: 	39.25 124000.00 0.03 0.01		39.25 124000.00			
जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व गूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पूरक)	Total Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	 ired: 	0.03 0.01		124000.00			
जोड़ इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व गूंजी जोड़ जोड़ (मूल और पूरक)	Supplementary Estimate of the amount now requ Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	ired: 	0.03 0.01					
ाजस्व हैं रंजी (नोड़ नोड़ (मूल और पूरक) ाजस्व है	Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary)	 	0.01		0.03			
र्ज़ी जोड़ जोड़ (मूल और पूरक) ग़जस्व ।	Capital Total Total (Original plus Supplementary)		0.01		0.03			
नोड़ नोड़ (मूल और पूरक) गजस्व ।	Total Total (Original plus Supplementary)							
गोड़ (मूल और पूरक) गजस्व ।	Total (Original plus Supplementary)		0.01		0.01			
गजस्व ।			0.04		0.04			
	Da		124000.04		124000.04			
पूंजी (Revenue		123960.78		123960.78			
••	Capital		39.26		39.26			
I	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	भारित	स्वीकृत		जॊड़			
		Charged	Voted		Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	_						
न्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD							
_	2401-Crop Husbandry		0.01	(कa)	0.01			
~ ,	2435-Other Agricultural Programmes		0.01	(खb)	0.01			
	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01			
•	Total (Revenue Section)	,,,	0.03		0.03			
<u>पुंजी भाग</u>	CAPITAL SECTION							
*	MAJOR HEAD							
	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry		0.01	(घd)	0.01			
· ·	Total (Supplementary)		0.04		0.04			

(b)

(c)

(क)	(i)	कृषोन्नति योजना के अंतर्गत खाद्य तेल-तिलहन के लिए सामान्य सहायता
		अनुदान (80 करोड़ रुपये),
	(ii)	पीएम-किसान योजना के अंतर्गत (क)सामान्य सहायता अनुदान (6387.77
		करोड़ रुपये) और (ख) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) के लिए
		(561.32 करोड़ रुपये) ।
		अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
(ख)		(i) सामान्य सहायता अनुदान (471.24 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति उप-
		योजना (एससीएसपी) के लिए (104.58 करोड़ रुपये) और (ग) 10,000 कृषक
		उत्पादक संगठनों (एफपीओ) योजना के गठन और संवर्धन के तहत
		टीएएसपी के लिए (54.18 करोड़ रुपये)
		अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक
		की मांग की जाती है
(ग)	((i))	कृषोन्नति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (49.35 करोड़ रुपये)।
	((ii))	कृषि जनगणना और सांख्यिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपये).

- पीएम-किसान योजना के अंतर्गत टीएएसपी के लिए सामान्य सहायता ((iii)) अनुदान (120.87 करोड़ रुपये),
- (क) सामान्य सहायता अनुदान (52.36 करोड़ रुपये), (ख) एससीएसपी के ((iv)) लिए (11.62 करोड़ रुपये) और (ग) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के अंतर्गत, टीएएसपी के लिए (6.02 करोड़
 - अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम संबर्धन परियोजना के अंतर्गत मशीनरी और (ঘ) उपकरणों की खरीद के लिए (1.70 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है

- (i) Grants-in-aid General for Edible Oil-Oilseeds under Krishonnati Yoiana (₹ 80 crore).
 - (a) Grants-in-aid General (₹ 6387.77 crore) and (b) for Tribal Area Sub-Plan (TASP) (₹ 561.32 crore) under PM-Kisan

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General (₹ 471.24 crore), (ii) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 104.58 crore) and (c) for TASP (₹ 54.18 crore) under Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs) scheme.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- ((i)) Grants-in-aid General for TASP under Krishonnati Yojana (₹ 49.35 crore),
- ((ii)) Grants-in-aid General under Agriculture Census and Statistics (₹ 1.35 crore),
- Grants-in-aid General for TASP under PM-Kisan Scheme ((iii)) (₹ 120.87 crore),
- (a) Grants-in-aid General (₹ 52.36 crore), (b) for SCSP (₹ 11.62 crore) and (c) for TASP (₹ 6.02 crore) under Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Machinery & Equipment for the purchase of equipment under National Project on Promotion of Organic Farming Programme

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

L. मूल अनुदान: L. CRIGINAL GRANT: Revenue 1.00 16517.81 16518.8	(000 pa	90 0 01 1110 2 0111411140 101 1	Status of Contral Covernment to	,	-00-0,		(₹ करॉ	ड़ि) (In ₹ crores)		
L प्रस अनुदान । L CRIGINAL CRAWT: 1. Cross a company of the second of the second now required: 1. Total 1. CRIGINAL CRAWT: 1. Total 1. Cross a company of the second now required: 1. Cross a company of the second now required: 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Cross a company of the second now required: 1. Total Criginal plus Supplementary) 1. Total Criginal plus Supplementary 1. Total					भारित	स्वीकृत				
स्विक्ष (Charged	-		Total		
स्व सनस्य सावस्थन रहम का पूर अनुमान:	I. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:							
जहाँ समय आवश्यक एकम का पूरव अनुमान:	राजस्व		Revenue		1.00	16517.81		16518.81		
जहाँ समय आवश्यक एकम का पूरव अनुमान:	पूंजी		Capital			15825.08		15825.08		
स्विक्त (जोड़		Total		1.00	32342.89		32343.89		
सुनी परिवार प्रविद्या के प्रव	इस समय 3	गवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now requir	red:					
स्व त्या (सुन औ प्रका) Total (Original plus Supplementary)	राजस्व		Revenue		•••	3146.24		3146.24		
स्थान कि प्रकार मान प्रकार क्षेत्र प्रकार के प्रकार कि प्रकार के क्ष्म के अपने के प्रकार के प्रकार के क्ष्म प्रकार के प्रकार के क्ष प्रकार के प्रकार के क्ष्म प्रकार के प्रकार के क्ष प्रकार के क्ष्म प्रकार के प्रकार के क्ष्म प्रका			Capital		•••	0.02				
स्वन्धन	•									
स्विक्त । हम्मण्डम स्विक्त स्वाप्त स		ौर पूरक)								
। हस पूरक अनुदान का हिस्सा निर्मालियित सूच्य श्रीभी के अंतर्गत हिवाया वार्यमाः			Revenue		1.00	19664.05		19665.05		
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शिक्ष के त्रीकृष के विदेश करिया के त्रिकृष के प्रेश कर विदेश	पूंजी		•			15825.10		15825.10		
स्व प्रशेष स्व			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	वेत मुख्य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
स्विच्छा मा			II. This Supplementary Grants will be	accounted fo	or under the following Major					
सहस्य शांग					<i>भारित</i>	स्वीकृत		ऒड़		
सुन्ध सीप अ40F HEAD 3451-Sacretarial-Economic Services					Charged	Voted		Total		
ंकि ने सीवालाय आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 9.18 (क्क) 9.18 (क्क) 0.062 2852-3र्जाग 2852-Industries 1755.23 (ताट) 1755.23 (ताट		ग	REVENUE SECTION							
2801-Power	मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2852-30र्गाण वर्ज अनुसंघान 3401-Atomic Energy Research 1755.23 (गए) 1755.23 (अवि-परमाणु उर्ज अनुसंघान 3401-Atomic Energy Research 481.21 (पार) 481.21 (प			3451-Secretariat-Economic Services	i		9.18	(कa)	9.18		
3401-Atomic Energy Research			2801-Power			900.62	(खb)	900.62		
ाठां (सर्थ का आप) स्वित आप स्वित परियोज स्वार्ग			2852-Industries		•••	1755.23	(गc)			
प्रति भाग (देवी भाग)			3401-Atomic Energy Research				(ਬd)			
## 4801-Gaptal Outlay on Power Projects 0.01 (इंब.) 0.01 विकास स्विधान परियोजनाओं पर पूंजी परिवय 4801-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (इंa.) 0.01 (इंa.) 0.01 विकास स्विधान परियोजनाओं पर पूंजी परिवय 4801-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (इंa.) 0.01 (इंa.) 0.01 विकास स्विधान पर्वे का अदि (Capital Saction) 0.02 0.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02		व भाग)	•			3146.24		3146.24		
#801-faggr परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (इह) 0.01 विकित है 0.02 जोड़ (पूर्क) पिरोव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (यो) 0.01 जोड़ (पूर्क) पिरोव्य 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.02 0.02 जोड़ (पूर्क) पिरोव्य 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (यो) 0.01 जोड़ (पूर्क) जोड़ (पूर्क) पिरोव्य 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.02 0.02 जोड़ (पूर्क) जोड़ (पूर्क) पिरोव्य 500 (पूर्क) जोड़ (पूर्क) पिरोव्य 500 (पूर्क) जोड़ (पूर्क) जाई (पूरक)			CAPITAL SECTION							
4861-Capital Oullay on Atomic Energy Industries 0.01 (चा) 0.01 जोड़ा (पूर्व) आग)			MAJOR HEAD							
जोड़ (पूक) Total (Capital Section) जोड़ (पूक) Total (Supplementary) Total (Supplementary) Total (Supplementary) Total (Supplementary) The supplementary Grants are required for: meeting additional expenditure towards Establishment expenditure of DAE secretarial (₹ 9.18 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 9.18 crore. meeting additional expenditure towards (i) procurement of fuel for KKNPP Unit 1 & 2 from M/s TVEL (₹ 1216.08 crore) Russial for vertical के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा कराना अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकट ट्यय होगा। (य) स्वायत निकारों के लिए (1407.29 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त नमर्दो के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त ट्यय को पूरा कराना अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकट ट्यय होगा। (य) स्वायत निकारों के लिए (1) सामान्य सहायता अनुदान के प्रयोग का किस्ति कराय को पूरा कराना अनुदान के पुरा के अविरोध करायो के अतिरिक्त ट्यय को पूरा कराना अनुदान के पुरा के अविरोध करायो के अविर							(ਭ e)			
सह पूरक अनुदान े निम्नितिखित हैतु अपेक्षित हैं. (क) डीएई सचिवालय के स्थापना व्यय (9.18 करोड रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा कराना। अपरोक्त व्यय में 9.18 करोड रुपये का नक्द व्यय होगा। (ख) (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से 6 से 11 रीलोड के लिए ईपन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत ज्ञापित जीर सामग्री और लागु कार्य के लिए (3.14 करोड रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 90.62 करोड रुपये का नक्द व्यय होगा। (ग) (i) व्यूक्तपर पयूत कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड रुपये) होरा यूरेनियम कोंपिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्तीयर रिमाइक्त वोई (166.30 करोड रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 90.62 करोड रुपये) के अत्राच्या को प्राचन के लिए (ii) न्यूक्तीयर प्राचन के पूरी खंड में उपलब्ध बचत को प्राचन के लिए (ii) न्यूक्तीयर रिमाइक्त वोई (166.30 करोड रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत (829.28 करोड रुपये) के अनिर्मण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड रुपये के नक्द व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड रुपये)) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड रुपये)) अन्य प्राचन संबंध अन्य व्यय (283 करोड रुपये)) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य के स्वायत (82 करोड रुपये)) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के प्राचन के इसी खंड में उपलब्ध बचत की ध्यान में रखते हुए (481.21 करोड रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। के इसी खंड में उपलब्ध बचत की ध्यान में रखते हुए (481.21 करोड रुपये) के क्या के क्या के किए (i) सामान्य के हिला (दें (विक्त कराव)) के स्वायत के स्वायत के स्वयत के स्वयत के प्याचन के हिला विक्त हिण्यों) के स्वयत हिणा। सामान्य के हिला (विक्त कराव) के स्वयत हिणा। सामान्य के कराव के स्वयत हिणा। सामान्य के स्वयत हिणा। सामान्य के कराव के स्वयत हिणा। सामान्य के कराव के स्वयत हिणा। सामान्य के स्वयत हिणा। सामान्य के स्वयत हिणा। सामान्य के स्वयत हिणा। सामान्य के स्वयत हिणा के इसी खंड में उपलब्ध बचत के ध्यान में रखते हुण पर ना विक्त सामान्य हिण				gy Industries			(चf)			
यह पूरक अनुदाने निम्नितिखित हेतु अपेक्षित हैं: (क) डीएई सचिवालय के स्थापना व्यय (9.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) केकेपलपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीइएल (1216.08 रुपये) रूस से 6 से 11 रीलीड़ के लिए ईपन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रिपाल कार्य के नकद व्यय होगा। (i) न्यूक्लियर पयूत कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) हो अतिरिक्त व्यय और (ii) एस्यापना के विशिक्त मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसे खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (227.26 करोड़ रुपये), और (iii) रसापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) के भिर्मा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये), और (iii) एसापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) के भिर्मा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (वर्ग) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) के भिर्मा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (वर्ग) के प्राचेश कर्म के कान्य व्यय (283 करोड़ रुपये) के भिर्मा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत की ध्यान में रखते हुए (वर्ग) के एम रुपाले करमें के स्थापन के प्राचेश करमें के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), अपलब्ध बचत (82 करोड़ रुपये), और (iii) एसपाया अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (रिपालेक्स प्राच्या) के प्राच्या के स्थायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। (य) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) के प्राच्या कार्य होया। अपलित अपलित होया होया निर्म होया निर्म होया होया निरम होया के स्था होया होया होया होया होया होया होया होय		भाग)			***					
(क) डीएई सचिवातय के स्थापना व्यय (9.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए औसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से ६ से 11 रीलोड़ के लिए ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) न्यूलिनयर पच्यून कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूर्रेनियम कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया मुगतान के लिए (ii) न्यूललीयर रिसाइकल बोर्ड (181.64 करोड़ रुपये) के अनिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत (क्र2.98 करोड़ रुपये) के अन्यपंण को ध्यान में रखते हुए इसमें 862.25 करोड़ रुपये) के अनिरिक्त व्यय (ii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त अमुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त अमुदान के इसी खंड में उपलब्ध वचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय (82 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सम्यान संबची अस्व के सम्यान संवची अस्व निक्त (782.25 करोड़ रुपये) के अविरिक्त व्यव (iii) आपूर्त विक्त सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) को पूरा करवा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (ii) सम्यान संवची अस्व के सम्यान (व्यवक्त को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये) के स्वायत अस्व के सम्यान अस्व के सम्यान संवच विक्त सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्	जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	3146.26		3146.26		
(क) डीएई सचिवातय के स्थापना व्यय (9.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए औसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से ६ से 11 रीलोड़ के लिए ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) न्यूलिनयर पच्यून कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूर्रेनियम कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया मुगतान के लिए (ii) न्यूललीयर रिसाइकल बोर्ड (181.64 करोड़ रुपये) के अनिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत को पूरा करना। अनुदान के पूर्वी खंड में उपलब्ध बचत (क्र2.98 करोड़ रुपये) के अन्यपंण को ध्यान में रखते हुए इसमें 862.25 करोड़ रुपये) के अनिरिक्त व्यय (ii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त अमुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्त अमुदान के इसी खंड में उपलब्ध वचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय (82 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सम्यान संबची अस्व के सम्यान संवची अस्व निक्त (782.25 करोड़ रुपये) के अविरिक्त व्यव (iii) आपूर्त विक्त सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) को पूरा करवा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (ii) सम्यान संवची अस्व के सम्यान (व्यवक्त को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये) के स्वायत अस्व के सम्यान अस्व के सम्यान संवच विक्त सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्यान सम्	गर पाक भ	नटाने निम्नतिगित हेत भपेक्षित है:		The suppler	mentary Grants are require	d for:				
करना। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से 6 से 11 रीलोड़ के लिए ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ग) (i) न्यूक्लियर प्रयूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) हारा यूर्गिव्यम कंसिड़ को बहे (166.30 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (1802.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें 862.25 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें 862.25 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) और (iii) स्थापना संबंधी अन्व व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय (283 करोड़ रुपये) के प्रातिरिक्त व्यय (ii) आपूर्त और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) और (iii) स्थापना संबंधी अन्व व्यव (283 करोड़ रुपये) और (ii) प्रमाणु ऊर्जी परियोजना के तहत किश रुपये के किर गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप) (6) मिलेश रुपले रुपल		ुपान निम्नासिस्त हेतु अभाषात है. दीएर्ट मिनाबरा के म्शापना त्यार	ग (9.18 क्योड रूपरो) के भनिरिक्त त्यारा को प्रा				e Ectablic	shment evnenditure		
(ख) (i) केकेपरापीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीइंपल (1216.08 रुपये) रुस (b) से 6 से 11 रीलोड के लिए ईसान की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये। को प्रतिश्ति कर्यय और (ii) म्यूक्लियर पयूल कोम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम (ठ में पिरान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये) को प्रतिश्ति कर्यय होगा। (ग) (i) न्यूक्लियर पयूल कोम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम (ठ कॉपरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये) और (iii) स्थापना के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये) को अतिरिक व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये) के अतिरिक व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये के अनिरिक व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये के अनिरिक व्यय होगा। अनुदान के पृत्री करोड़ रुपये के अनिरिक व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास के स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास के स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास कराड़ रुपये होणा के स्थापना संबंधी अन्य व्यय (83 करोड़ रुपये) को भूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये) के अतिरिक व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास कराड़ रुपये। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास कराड़ रुपये। के अधान कर व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए (अधान कराड़ रुपये), विकास कराड़ रुपये।	(47)		4 (5:10 4/13 4/4) 4/ 5/1/1/(1/ 544 4// 1/1/	(a)	= :		5 LStabils	siment expenditure		
(ख) (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से 6 से 11 रीलोंड के लिए ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) KKNPP Unit 1 & 2 from M/s TVEL (₹ 1216.08 crore) Russia for reload 6 to 11; and (ii) Supplies & Material and Minor Works को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये) हारा यूरेनियम (c) कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइक्कल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्यापना के लिफ (ii) न्यूक्लीयर रिसाइक्कल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अध्यर्थण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (227.26 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये) को पूरा करा। (ख) स्वायत निकायों के लिए इंधनिया विमाय के स्वायत के स्वायत के स्वायत के स्वायत के स्वायत के स्वायत के स्व			ो का नकट ट्यय होगा।		•		h outao c	of ₹ 9.18 crore		
से 6 से 11 रीलोंड के लिए ईंग्झन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्यापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ग) (i) न्यूक्लियर पयूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम (c) कॉपरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 अतोड़ रुपये), और (iii) स्थापना के विमिन्न मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (हेगा। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अनिरिक्त व्यय (हेगा। अनुदान के पूरी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (हेगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत की ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ह) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु उर्जा परियोजना के तहत (ह) (ह) विवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु उर्जा परियोजना के तहत (ह) (ह) हिक्स क्रिक्ट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स क्रिक्ट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स क्रिक्ट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स क्रिक्ट वर पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स क्रिक्ट वर पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स क्रिक्ट वर पर खर्च किए गए हिक्स वर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स के स्वर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स वर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप)) (ह) हिक्स के प्राप्त के तहर व्याप्त किए गए हिक्स वर्च किए गए हिक्स वर्च किए गए हिक्स के स्वर्च किए गए हिक्स वर्च के प्राप्त किए गए हिक्स वर्च किए गए ह	(ख)			(b)	•		_			
स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा। (ग) () न्यूक्तियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम (c) कॉपरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मर्दों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये)) को पूरा करना। (इ) (i) न्यूक्तियर पायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपोसीआईएल) के निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकएनपोपी साइट पर खर्च किर गए ईधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपप) (46.45 करोड़ रुपप) (47.29 crores); under establishment. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 862.25 crore. (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (27.26 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये)) के प्रावत हुए प्रावत हुए प्रावत हुए प्रावत हुए विवाय के ध्वाय के प्रावत हुए करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (82 करोड़ रुपये) के प्रावत हुए प्रा	()			(2)						
को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रूपये। बारा यूरेनियम (c) लग (i) न्यूक्तियर प्रयूत कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) बारा यूरेनियम (c) कॉपरिशन ऑफ इंडिया तिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर (त्रि.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मर्दों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अध्यर्ण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (iii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (iii) अपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये)) के अतिरिक्त व्यय (iii) अपूर्ति अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये)) के प्रताम में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (ा) न्यूक्तियर पायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) विवेश (788.23 करोड़ रुपये)) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकफुनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए))								•		
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नक्द व्यय होगा। (ग) (i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम (c) meeting additional expenditure towards (i) arrears payment to Uranium Corporation of India Limited by Nuclear Fuel Complex (रै 1407.29 crore); (ii) Nuclear Recycle Board (रै 166.30 crore); and तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अ¥निरिक्त व्यय होगा। (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर प्रचेक कोई उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर प्रचेक कार्क व्यय के अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर प्रचेक कार्क विरोध (प्रमण्पी) अर्थ (व) क्याय कार्य के एवं) के अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये कार्य होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर प्रचेक कार्य के प्रयोध के अतिरिक्त व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर प्रचेक कार्य के प्रचेक करेड़ रुपये) और (ii) प्रमाणु उर्जा परियोजना के तहत केरुएपपीपी साइट पर खर्च किए गए ईधन कारूक के लिए (46.45 करोड़ रुपए)			3							
(ग) (i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेलियम (c) meeting additional expenditure towards (i) arrears payment to कॉम्पिरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय होगा। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। चित्र सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ह) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपोसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपोपी साइट पर खर्च किर गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) जिल्ला क्रिक्ट करोड़ रुपये के प्रमाण इंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) जिल्ला कर्यो का नकद व्यय होगा। जिल्ला कराये किर गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)			। बचत को ध्यान में रखते हए 900.62 करोड़				ble withi	n the same section		
प्राचिश्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यपंण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये को नकद व्यय होगा। (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), अभिर (iii) भ्यापना संबंधी अन्य व्यय (82 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति अपेर सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये) हो पूरा करना। (उ) अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत कोकेक्पनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)			3							
रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यपंण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), (d) वितन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (इ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकरण्वपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)	(ग)	(i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक	स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम	(c)	meeting additional exp	enditure towa	rds (i) a	rrears payment to		
तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ख) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। (इ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) (iii) under various heads of establishment (₹ 181.64 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 892.98 crores) available in the Capital Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 862.25 crore. meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)		कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर		Uranium Corporation of	of India Limited	by Nuc	lear Fuel Complex		
अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अश्चर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), (d) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्तियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत किकएपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)					(₹ 1407.29 crore); (ii) N	luclear Recycle	Board (₹	166.30 crore); and		
ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। available in the Capital Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 862.25 crore. (घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), (d) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for अगैर सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)					(iii) under various heads	of establishme	nt (₹ 181	.64 crore).		
outgo of ₹ 862.25 crore. (घ) स्वायत्त निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), (d) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for अगैर सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)		अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध	बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को		Taking into account the surrender of savings (₹ 892.98 crore					
(घ) स्वायत निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), (d) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नक्द व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and (iii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project		ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.2!	5 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		available in the Capital	Section of the	Grant, th	is will entail a cash		
वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्तियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)		- "			outgo of ₹ 862.25 crore					
और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) बutonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)	(ঘ)	स्वायत निकायों के लिए (i) सा	मान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये),	(d)	meeting additional exp	enditure toward	ds (i) Gr	ants-in-aid General		
अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। बnd Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्तियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 282 crores); and (iiii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores).		वेतन सहायता अनुदान - (227	'.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति							
expenditure (₹ 283 crores). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)										
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। (इ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) Тaking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए)		अन्य व्यय (283 कराड़ रुपये) की	। पूरा करना।				otner es	tablishment related		
रुपये का नकद व्यय होगा। of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore. (ङ) (i) न्यूक्तियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) (ii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project						,	البنار ماما	n the com		
(ङ) (i) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के (e) meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Fower Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) (ii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project			बयत का ध्यान म रखत हुए 481.21 कराई							
निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) (ii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project	(군)		र ऑफ टंटिया जिस्सिट (स्टाक्सिक्टर्स)	(0)						
केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) (ii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project	(5)	(I) न्यू। क्लयर पावर कारपारशन नितेश (७८८ २२ च्योच च्यामे)	। जास ५१५पा लाम८५ (एनपासाआ५एल) के भौज (ii) प्राचनामा रूर्ज मिलोजना के उस्त	(e)						
		ालपरा (100.23 कराइ रुपय) . केकेग्रनपीपी साटर पर कर्न किंग	आर (॥) नरनाणु जना भारपानमा क तहत गार्ग्यान कास्क के लिए (४६ ४५ क्योर मण्ण)							
(\ 40.40 GIO(65)						IMMER SILE U	iiuei inut	deal Fowel Floject		
		וי טוועוועוי פחש חון דען אילטוון			(\ +0.+3 010165)					

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(च)

(i) परमाणु खनिज प्रभाग (एएमडी) के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए (50 करोड़ रुपये); (ii) विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के लिए मशीनरी और उपकरण (60 करोड़ रुपये); (iii) परमाणु ईंधन निर्माण परियोजना (202.51 करोड़ रुपये); (iv) औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के लिए (74.30 करोड़ रुपये); (v) फीड स्टॉक (80 करोड़ रुपये); और (vi) भारी जल परियोजनाओं का सुधार संशोधन (9.53 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। भारत की आकस्मिकता निधि से भी 110 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Professional Services for Atomic Minerals Division (AMD) (₹ 50 crore); (ii) Machinery & Equipment for Board of Radiation and Isotopes Technology (₹ 60 crores); (iii) Nuclear Fuel Fabrication Project (₹ 202.51 crores); (iv) Industrial and Minerals Projects (₹ 74.30 crores); (v) Feed Stock (₹ 80 crore); and (vi) Improvement modification of Heavy Water Projects (₹ 9.53 crores). An advance of ₹ 110 crore from Contingency Fund of India will also be recouped.

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			RIS) (III R CIUIES)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	3050.00	3050.00
पूंजी	Capital	***	***	•••
जोड़	Total	***	3050.00	3050.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	3050.01	3050.01
राजस्व	Revenue	***	3050.01	3050.01
पूंजी	Capital	•••		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(1) योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) (26.46 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) (3.21 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (25 करोड़ रुपये), (iv) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) (25 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय यूनॉनी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) , बैंगलोर (3 करोड़ रुपये), (2) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता (5.15 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) (2.23 करोड़ रूपये), (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) (0.68 करोड़ रुपये), (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) (4 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए)), जयपुर (1.30 करोड़ रुपये), (v) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) (0.50 करोड़ रुपये), (vi) केंद्रीय सिद्ध अन्संधान परिषद (सीसीआरएस) (0.21 करोड़ रुपये) और (3) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन (आईसी) (6.58 करोड़ रु.), (ii) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) (4.17 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) (0.75 करोड़ रुपये), (iv) केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरयुएम) (4 करोड़ रुपये), (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (1 करोड़ रुपये), (vi) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के घटक (0.40 करोड रुपये)

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(1) Grant for creation of Capital Assets under the scheme (i) Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA) (₹ 26.46 crore), (ii) National Institute of Siddha (NIS) (₹ 3.21 crore), (iii) National Institute of Naturopathy (NIN), Pune (₹ 25 crore), (iv) Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN) (₹ 25 crore), (iv) National Institute of Unani Medicine (NIUM), Bangalore (₹ 3 crore), (2) Grant-in-Aid Salary under the scheme (i) National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata (₹ 5.15 crore) (ii) National Institute of Siddha (NIS) (₹ 2.23 crore), (iii) National Commission for Homoeopathy (NCH) (₹ 0.68 crore), (iii) All India Institute of Ayurveda (AIIA) (₹ 4 crore), (iv) National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur (₹ 1.30 crore) , (v) Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) (₹ 0.50 crore), (vi) Central Council for Research in Siddha (CCRS) (₹ 0.21 crore) and (3) Grant-in-Aid General under the scheme (i) Promotion of International Cooperation (IC) (₹ 6.58 crore), (ii) National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) (₹ 4.17 crore), (iii) National Commission for Homoeopathy (NCH) (₹ 0.75 crore), (iv) Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) (₹ 4 crore), (v) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹ 1 crore), (vi) International Day of Yoga (IDY) component of Information, Education and Communication (IEC) (₹ 0.40 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	<i>र</i> स्वीकृत	जॊड़
		Charge	ed Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		109242.18	109242.18
पूंजी	Capital		0.05	0.05
्रो जोड़	Total		109242.23	109242.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now required:		
राजस्व	Revenue	•	109288.95	109288.95
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		109288.95	109288.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		218531.18	218531.18
राजस्व	Revenue		218531.13	218531.13
प्ंजी	Capital		0.05	0.05
^	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखि	त सम्बर शीर्षों के अंतर्गत दिखारा जारे		
	II. This Supplementary Grants will be			
	ii. The cappionentary crants will be	भारित		जৌड
		Charge	-	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		23122.23	(कa) 23122.23
2852-उद्योग	2852-Industries		86166.72	(खb) 86166.72
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		109288.95	109288.95
	rotal (novellad decadily		100200100	100200.00
यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are	required for:	
(क) (i) स्वदेशी पी एण्ड के सब्सिर्ड	ो के लिए भुगतान (14,889.67 करोड़ रुपए),	• • •	•	ubsidy (₹ 14,889.67 crore),
(ii) आयातित पी एण्ड के सब्सि	डी के लिए भुगतान (8,232.56 करोड़ रुपए)।	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	imported P&K subsidy	• • •
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होग			enditure will entail a ca	
(ख) (i) स्वदेशी युरिया सब्सिडी वे	ह लिए भुगतान (71,860.41 करोड़ रुपये)			subsidy (₹ 71,860.41 crore),
(ii) आयातित यरिया सब्सिडी वे	ь लिए भुगतान (14,304.15 करोड़ रुपये) और			idy (₹ 14,304.15 crore) and
	हो सब्सिडी सहायता (2.16 करोड रुपये)		•	g Companies (₹ 2.16 crore).
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होग		` ' '	enditure will entail a ca	• • • •
				-

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		_	_	(1 1 1 7 7 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
गजस्व	Revenue		2238.85	2238.85
ज़ी	Capital	***	5.30	5.30
गेड़	Total	***	2244.15	2244.15
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:		
जस्व	Revenue	1.80	24.39	26.19
जी	Capital			
ोड़	Total	1.80	24.39	26.19
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.80	2268.54	2270.34
जस्व	Revenue	1.80	2263.24	2265.04
जी	Capital		5.30	5.30
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will		he following Major H	leads:
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
ज <i>स्व</i> भाग	REVENUE SECTION			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
, 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		2.70	(कa) 2.70
852-उद्योग	2852-Industries	1.80	(खb) 21.69	(गc) 23.49
गोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.80	24.39	26.19

(c)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ক)

(i) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के लिए सामान्य सहायता अनुदान(जीआईए) के तहत (1 करोड़ रूपये),जीआईए-वेतन(0.70 करोड़ रूपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (1 करोड़ रूपये) और (ii) जीआईए-सामान्य के तहत जन औषधि योजना (2.80 करोड़ रूपये))।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 2.70 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा। ।

(ख)

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्थान ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीपीएल) को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए (1.80 करोड़ रुपये)

अनुदान के राजस्व अनुभाग (स्वीकृत) में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग)

(i) जीआईए-सामान्य के तहत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (21.69 करोड़ रुपये), (ii) जीआईए -सामान्य के तहत औषधीय संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) (1.00 करोड़ रुपये), (iii) (जीआईए)-सामान्य के तहत औषधि हेतु उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई) (693.00 करोड़ रुपये), (iv) जीआईए- सामान्य के तहत एनआईपीईआर (0.40 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (2.21 करोड़ रुपये) (v) मजदूरी के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (0.02 करोड़ रुपये) और प्रकाशन (0.02 करोड़ रुपये) और (vi) जन औषधि योजना - जीआईए-सामान्य (24.70 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 21.69 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research(NIPER) under Grants-in-Aid (GiA)- General (₹ 1 crore), GIA-Salaries (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets(₹ 1 crore) and (ii) Jan Aushadhi Scheme under GIA-General(₹ 2.80 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 2.70 crores.

Rajasthan Drugs Private Ltd.(RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court's order to deposit before the National Company Law Tribunal(₹ 1.80 crore).

Taking into account savings available in the Revenue Section(Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research under GIA-General(₹ 21.69 crore), (ii) Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS) under GIA- General (₹ 1.00 crore), (iii) Production Linked Incentive Schemes(PLI) for Pharmaceuticals under Grants-in-Aid(GiA)-General (₹ 693.00 crore), (iv) NIPERs under GIA- General (₹ 0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets(₹ 2.21 crores) (v) National Pharmaceuticals Pricing Authority under wages(₹ 0.02 crore) and Publication(₹ 0.02 crore) and (vi) Jan Aushadhi Scheme -GIA-General (₹ 24.70 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 21.69 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1,117)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	10590.54	10590.54	
पूंजी	Capital	***	76.46	76.46	
जोड़	Total	•••	10667.00	10667.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10667.01	10667.01	
राजस्व े	Revenue	***	10590.55	10590.55	
पूंजी	Capital	***	76.46	76.46	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		nd:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	***	0.01	0.01	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भारत की आकस्मिकता निधि (16 करोड़ रुपये) से अग्रिम की वसूली के लिए ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets under Production Linked Incentive for Drones and Drone Components for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 16 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

(-)430.00

			, ,	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	···	393.24	393.24
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		393.24	393.24
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	***	154.64	154.64
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		154.64	154.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		547.88	547.88
राजस्व	Revenue		547.88	547.88
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und			
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	···	154.64	154.64

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2803-कोयला और लिग्नाइट 2803-Coal and Lignite ... (-)430.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) "कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण" के अंतर्गत 180 करोड़ रूपये की अतिरिक्त निधि; और (ii) कोयला खान में संरक्षण और सुरक्षा और अवसंरचना विकास हेतु "कोयला क्षेत्र में विकास परिवहन अवसंरचना" के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 36.59 करोड़ रूपये।अनुदान, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त वसूलियों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) additional funds amounting to ₹ 180 crore under "Exploration of Coal and Lignite"; and (ii) ₹ 36.59 crore towards meeting expenditure on 'subsidies' under Scheduled Castes Sub plan for "Development Transportation Infrastructure in Coalfields Areas" (DTIC) towards Conservation & Safety and Infrastructure Development in Coal Mines. Taking into account the savings available in same section of the grant and additional recoveries met from National Mineral Exploration Trust Fund, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(381.00 करोड़ रुपये) होगा।

प्रक की मांग की जाती है।

(ग)

सचिवालय के अंतर्गत मुख्य कार्य (12.00 करोड़ रूपये)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.50 5672 50 5673.00 पुंजी Capital 400 00 400 00 जोड Total 0.50 6072.50 6073.00 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 383.00 383.00 राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 ... जोड 383.01 383.01 Total जोड (मल और परक) Total (Original plus Supplementary) 0.50 6455.51 6456.01 राजस्व Revenue 0.50 6055.50 6056.00 पुंजी Capital 400.01 400.01 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2407-पौधरोपण 2407-Plantations 2 00 (कa) 2 00 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन 381.00 (खb) 381.00 3453-Foreign Trade and Export Promotion जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 383.00 383.00 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (गc) 0.01 383.01 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 383.01 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: (i) 'कॉफी बोर्ड' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये) और (a) (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) and Subsidies (₹ 1.00 सब्सिडी (1.00 करोड़ रुपये), (ii) 'चाय बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता crore) under the scheme 'Coffee Board', (ii) Grants in Aid General अनदान (4.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनदान (50.00 करोड़ रुपये) (₹ 4.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 50.00 crore) under the और (iii) 'मसाला बोर्ड' योजना के तहत सब्सिडी (0.50 करोड़ रुपये)। scheme 'Tea Board' and (iii) Subsidies (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Spices Board'. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए इसमें नकद व्यय Taking into account the savings available within the same section (2.00 करोड़ रुपये) होगा। of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 2.00 crore). (i) 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनदान (ख) (b) (i) Grants in Aid General (₹ 456.00 crore) under the scheme (456.00 करोड़ रुपये) और (ii) विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन और 'National Export Insurance Account' and (ii) Subsidies (₹ 295.00 विपणन सहायता (टीएमए) योजना' योजना के तहत सब्सिडी (295.00 करोड़ crore) under the scheme 'Transport and marketing Assistance रुपये) भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए। (TMA) Scheme for specified agriculture products' for recoupment of an advance drawn from the Contingency fund of India. अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए इसमें नकद व्यय Taking into account the savings available within the same section

(c)

of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 381.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of

Major Works (₹ 12.00 crore) under Secretariat.

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 11

उदयोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 7048 00 7048 00 Revenue पुंजी Capital 1300 00 1300 00 जोद Total 8348.00 8348.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.04 0.05 पूंजी Capital 62.45 62.45 जोड 0.01 62.50 Total 62.49 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.01 8410.49 8410.50 राजस्व Revenue 0.01 7048.04 7048.05 पंजी Capital 1362.45 1362.45 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड़ Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 2852-उद्योग 0.01 (खb) 0.01 2852-Industries 2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय 2885-Other Outlays on Industries and Minerals 0.01 (गc) 0.01 0.02 (घd) 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3475-Other General Economic Services 0.01 (ङe) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.01 0.04 0.05 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (चf) 0.01 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिवयय 4875-Capital Outlay on Other Industries 62.44 62.44 (छg) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 62.45 62.45 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.01 62.49 62.50

(b)

(c)

	, ,)
गर पास	अनदाने/विनियोग	' 추고 2011년 그 분.

(ग)

(i) 'पर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)' योजना के (क) अंतर्गत सब्सिडी (70.00 करोड रुपये), (ii) 'पर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस)' के अंतर्गत सब्सिडी (15.00 करोड़ रुपये) और (iii) 'स्वायत संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.50

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) 'क्रेडिट गारंटी निधि' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (25.00 (ख) करोड़ रुपये) और (ii)'स्वायत संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (5.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अन्दान (2.00 करोड़ रुपये)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपृति के लिए 'परिवहन/माल भाड़ा सब्सिडी योजना' के अंतर्गत सब्सिडी (0.2946 करोड़ रुपये)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास (ঘ) (एनआईसीडीआईटी)' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (49.98 करोड़ रुपये) (ii) 'संघ राज्य क्षेत्र जम्म् और कश्मीर के औद्योगिक विकास' योजना के अतर्गत सब्सिडी (11.97 करोड़ रुपये)और (iii) 'लदाख के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2022' योजना के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.50 करोड़ रुपये)।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(i) Subsidies (₹ 70.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIPP)', (ii) Subsidies (₹ 15.00 crore) under the scheme 'North East Industrial Development Scheme (NEIDS)' and (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Credit Guarantee Fund' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 5.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Subsidies (₹ 0.2946 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme' for recoupment of Contingency Fund of India. Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 49.98 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)', (ii) Subsidies (₹ 11.97 crore) under the scheme 'Industrial Development of UT of Jammu and Kashmir' and (iii) Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Central Sector Scheme for Industrial Development of Ladakh. 2022'

(ङ) 'बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन' योजना के अंतर्गत सामान्य Grants-in-aid General (₹ 0.18 crore) and Establishment सहायता अनुदान (0.18 करोड़ रुपये) और स्थापना व्यय (11.00 करोड़ रुपये)। Expenditure (₹ 11.00 crore) under the scheme 'Intellectual Policy Rights (IPR) Policy Management'. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. 'पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (आईडीसीजीपीडीटीएम) में (च) Major Works (₹ 16.92 crore) under the scheme 'Infrastructure अवसंरचना विकास' योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (16.92 करोड़ Development in Controller General of Patents Designs and Trade Marks (IDCGPDTM)'. अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. 'निधियों की निधि' योजना के अंतर्गत निवेश (189.02 करोड़ रुपये)। (छ) Investment (₹ 189.02 crore) under the scheme 'Fund of Funds'. (g) अन्दान के राजस्व भाग (62.44 करोड़ रुपये) में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को Taking into account the surrender of savings available in the ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के Revenue Section of the Grant (₹ 62.44 crore), and after utilising the बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

	•	,		(₹ 4	न्रॉड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वी	कृत	जৗड़
		Charged		ted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.80	3550	06.47	35507.27
पूंजी	Capital		88	38.62	888.62
जोड़	Total	0.80	3639	95.09	36395.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	1.60			1.60
पूंजी जोड़	Capital		8	37.00	87.00
जोड़	Total	1.60	8	37.00	88.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.40	3648	32.09	36484.49
राजस्व	Revenue	2.40	3550	06.47	35508.87
पूंजी	Capital		97	75.62	975.62
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:	:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accou			/lajor Heads:	
		भारित	स्वी	कृत	ऒड़
		Charged	Vo	ted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	1.60	(क a)		1.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services		8	37.00 (खb) 87.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.60	8	37.00	88.60

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए एक डिक्री के खिलाफ additional provision of (₹ 1.60 Crore) for payment against a decree भ्गतान के लिए (₹1.60 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान। awarded by Hon'ble High Court Kolkata. उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा; The above expenditure will entail a cash outgo; आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 का कार्यान्वयन (₹87 करोड़)। इस (ख) (b) implementation of IT Modernization Project 2.0 (₹ 87 Crore). With अनुपूरक के अनुमोदन से इसी प्रयोजन के लिए भारत की आंकस्मिकता निधि the approval of this supplementary, the advance of ₹ 87 crore से स्वीकृत ₹87 करोड़ की अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। sanctioned for the same purpose from Contingency Fund of India will be recouped. उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा; The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(See page 13 of the Demands to	r Grants of Central Government for the year 2022	-2023)			5 <u>-</u>
		_	_	(रे कर	ड़ि) (In ₹ crore.
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		32436.38		32436.38
प्ंजी	Capital		63111.42		63111.42
जोड़	Total		95547.80		95547.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		13668.84		13668.84
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		13668.85		13668.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		109216.65		109216.65
राजस्व	Revenue		46105.22		46105.22
ग ूंजी	Capital		63111.43		63111.43
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		13668.84	(कa)	13668.84
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		13668.85		13668.85

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) ग्रामीण वायर लाइन संचालन के लिए बीएसएनएल (18,127 करोड़) को व्यवहार्यता अंतराल निधियन प्रदान करना (ii) चैंपियन सेक्टर योजना (49.36 करोड़) और (iii) यूएसओएफ अनुसंधान और विकास फॉर्म (130 करोड़)।

अनुदान के पूंजीगत एवं राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस अनुप्रक के अनुमोदन से र13668.84 करोड़ का तकनीकी अनुप्रक, बीएसएनएल को व्यवहायेता अंतराल निधियन प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रु. की अग्रिम राशि और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत चैंपियन सेक्टर योजना के लिए 49.36 करोड़ रु. की प्रतिपृत्ति की जाएगी।

(ख) (i) बीएसएनएल को 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (30,156 करोड़) का आवंटन (ii) बीएसएनएल में कैपेक्स के लिए इक्विटी निवेश (3,013 करोड़ रु.) (iii) एमटीएनएल का पुनर्गठन (1,600 करोड़ रु.) और (iv) 9% गैर-संचयी वरीयता शेयर का पुनर्गिग्म (7500 करोड़ रु.)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

 (i) providing Viability Gap Funding to BSNL (₹ 18,127 crore) for rural wire line operations (ii) Champion Sector Scheme (₹ 49.36 crore) and (iii) Research and development from USOF (₹ 130 crore).

Taking into account the savings available in the Capital and Revenue Section of the Grant, technical supplementary of ₹ 13668.84 crore is sought. With the approval of this Supplementary, the advances of ₹ 5000 crore for providing Viability GAP funding to BSNL and ₹ 49.36 crore for Champion Sector Scheme sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped.

(i) allocation of 900 MHz Spectrum (₹ 30,156 crore) to BSNL
 (ii) equity infusion in BSNL for CAPEX (₹ 3,013 crore)
 (iii) restructuring of MTNL (₹ 1,600 crore) and (iv) re-issue of 9% non-cumulative preference shares (₹ 7500 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ कर	ौड़) (In ₹ crores,
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		213929.91		213929.91
पूंजी	Capital	***	12029.67		12029.67
जोड़	Total	***	225959.58		225959.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		80348.28		80348.28
प्ंजी	Capital		0.03		0.03
जोड़	Total	•••	80348.31		80348.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	306307.89		306307.89
राजस्व	Revenue		294278.19		294278.19
<u>पूं</u> जी	Capital	•••	12029.70		12029.70
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		80348.25	(कa)	80348.25
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अन्दान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	***	0.01	(घd)	0.01
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		80348.28		80348.28
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
४४०८-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी	4408-Capital Outlay on Food Storage and		0.01	(ਝe)	0.01
परिव्यय	Warehousing				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.01	(चf)	0.01
6860-3पभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	COCO Lagra for Consumer Industries		0.01	(<u>छ</u> g)	0.01
	6860-Loans for Consumer Industries	***	0.01	(0,9)	0.0.
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.03	(0,9)	0.03

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

رية. (عم) (i) राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी और (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए जिसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है (60110.32 रुपये) करोड़) (ख) अनुस्चित जाति उप योजना (एससीएसपी) (5708.42 करोड़ रुपये) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएएसपी) (2957.37 करोड़ रुपये) के लिए, (ii) खाद्य सब्सिडी (क) के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद एनएफएसए (9955.29 करोड रुपये), (ख) एससीएसपी (1117.43 करोड रुपये) और (ग) टीएएसपी (648.58 करोड़ रुपये), (iii) अंतर-राज्य आंदोलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत अनदान सामान्य बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएसए योजना के तहत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों का मार्जिन (0.50 करोड़ रुपये)(iv) 2018-19 सीजन के लिए चीनी मिलों की सहायता के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' (1.50 करोड़ रुपये), (v) आंतरिक परिवहन, माल भाड़ा, हैंडलिंग और निर्यात पर अन्य श्ल्कों के खर्च को चुकाने के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए (0.25 करोड़ रुपये), (vi) 2019-20 सीजन के लिए चीनी मिलों की सहायता के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए (14.50 करोड़ रुपये), (vii) 40 एलएमटी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए चीनी की (0.42 करोड़ रुपये), (viii) चीनी मिलों को विपणन लागत पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए जिसमें हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत और चीनी के निर्यात पर माल भाड़ा शामिल है। (20.50 करोड़ रुपये), (ix) चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव की योजना के तहत The supplementary Grants are required for:

(i) food subsidy to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation under (a) Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) which has been extended upto Dec., 2022 (₹ 60110.32 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 5708.42 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹ 2957.37 crore), (ii) food subsidy for (a) Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹ 9955.29 crore), (b) SCSP (₹ 1117.43 crore) and (c) TASP (₹ 648.58 crore), (iii) Grants-in-aid General under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA scheme for UTs without legislature (₹ 0.50 crore), (iv) for 'Subsidies' under Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2018-19 Season (₹ 1.50 crore), (v) for 'Subsidies' under Scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (₹ 0.25 crore), (vi) for 'Subsidies' under Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2019-20 Season (₹ 14.50 crore), (vii) for 'Subsidies' under Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of 40 LMT of Sugar (₹ 0.42 crore), (viii) for 'Subsidies' under Scheme for providing assistance to Sugar Mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar (₹ 20.50 crore), (ix) for 'Subsidies' under Scheme for

(b)

(c)

'सब्सिडी' के लिए (3 करोड़ रुपये) और (x) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सामान्य अनुदान (1.03 करोड़ रुपये)) इसमें सीएफआई से 2 करोड़ रुपये की अग्रिम की वसली भी शामिल है।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह 80348.25 करोड़ रुपये का शृद्ध नकद व्यय होगा।

(ख) राज्य एजेंसियों को सहायता अनुदान के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन के लिए और उत्तर-पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलर मार्जिन (600 करोड़ रूपये) सीएफआई से स्वीकृत 500 करोड़ रूपये की अग्रिम की वसूली।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) (i) सहायता अनुदान सामान्य (5079.95 करोड़ रुपये), (ii) एससीएसपी के लिए (490.67 करोड़ रुपये) और (iii) टीएएसपी के लिए (255.80 करोड़ रुपये) खांचान्न और एफपीएस के अंतर-राज्य संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत राज्य सरकारों के लिए एनएफएसए के तहत डीलरों का मार्जिन और सीएफआई से 4148 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली के लिए।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) (i) सहायता अनुदान सामान्य (139.08 करोड़ रुपये) (ii) एससीएसपी के लिए (5.00 करोड़ रुपये) और (iii) टीएएसपी के लिए (1 करोड़ रुपये) खाद्यान्न और एफपीएस के अंतर-राज्य संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएसए के तहत डीलरों का मार्जिन और सीएफआई से 250 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली के लिए अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ङ) भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के लिए 'मशीनरी और उपकरण' (2.84 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

एफसीआई द्वारा 'खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण' के तहत निवेश (5 करोड़ (f) रुपये)।
 अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(छ) खोई आधारित सह-उत्पादन वियुत परियोजना के लिए चीनी कारखानों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (39.66 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar (\mathfrak{F} 3 crore) and (x) Grants-in-aid General under Warehousing Development and Regulatory Authority (\mathfrak{F} 1.03 crore). This also includes recoupment of advance of \mathfrak{F} 2 crore sanctioned from CFI.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo ₹ 80348.25 crores.

Grants-in-aid General under Assistance to State Agencies for intrastate movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for NER (₹ 600 crore) for recoupment of advance of ₹ 500 crore sanctioned from Consolidated Fund of India (CFI).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 5079.95 crore), (ii) for SCSP (₹ 490.67 crore) and (iii) for TASP (₹ 255.80 crore) under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for State Governments and for recoupment of advance of ₹ 4148 crore sanctioned from CFI.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 139.08 crore). (ii) for SCSP (₹ 5.00 crore) and (iii) for TASP (₹ 1 crore) under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for UTs with legislature and for recoupment of advance of ₹ 250 crore sanctioned from CFI.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Machinery and Equipment' for Indian Grain Storage Management & Research Institute (₹ 2.84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Investment under 'Construction of Food Storage godowns by FCI' (\mathfrak{T} 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Loans and Advances under 'Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project' (₹ 39.66 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 16

सहकारिता मंत्रालय MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जौड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		889.00	889.00
पूंजी	Capital		11.00	11.00
जोड़	Total	•••	900.00	900.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		154.00	154.00
जोड़	Total		154.00	154.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1054.00	1054.00
राजस्व	Revenue		889.00	889.00
पूंजी	Capital		165.00	165.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		154.00	154.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

कार्यालय स्थान के लिए मुख्य कार्यों पर भूमि खरीद के तहत (154 करोड़ रूपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ।

अनुदान के राजस्व खंड (44.22 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद निवल व्यय (109.78 करोड़ रुपये) होगा। The supplementary Grant is required for:

additional expenditure on 'Major Works' for Acquisition of Office Space under purchase of Land (₹ 154 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹ 44.22 crore), the above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 109.78 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(/		
			(₹ कर	ौड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		712.52	712.52
पूंजी	Capital		40.50	40.50
जोड़	Total		753.02	753.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		753.03	753.03
राजस्व	Revenue		712.53	712.53
पूंजी	Capital		40.50	40.50
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय वितीय सूचना प्राधिकरण को अनुदान ग्राही संगठन बनाने हेतु (i) सहायता अनुदान वेतन (5.41 करोड़ रूपये) और (ii) सहायता अनुदान सामान्य (8.36 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid Salaries (₹ 5.41 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 8.36 crore) for making National Financial Reporting Authority as a Grantee organization.

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

					יין אָרוּיִי אַ אַרוּיִיי אַ אַרוּיִיי אַ		
		भारित	स्वीकृत		जोड़		
		Charged	Voted		Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		2920.89		2920.89		
पूंजी	Capital		88.16		88.16		
जोड़	Total	***	3009.05		3009.05		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:						
राजस्व	Revenue		354.02		354.02		
पूंजी	Capital		0.01		0.01		
जोड़	Total		354.03		354.03		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3363.08		3363.08		
राजस्व	Revenue	***	3274.91		3274.91		
पूंजी	Capital		88.17		88.17		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		ior Head				
	,	भारित	, स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		333.77	(क a)	333.77		
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		20.25	(खb)	20.25		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	354.02		354.02		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(गc)	0.01		
परिव्यय	Culture			. ,			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	354.03		354.03		
••							

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायताअनुदान (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (0.50 करोड़ रुपये) (ख) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (215 करोड़ रुपये) (ग) कला संस्कृति विकास योजना (105.86 करोड़ रुपये)) (घ) संग्रहालय का विकास (121.50 करोड़ रुपये) (ड.) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (10 करोड़ रुपये) (च) संग्रहालयों को सहायता (20 करोड़ रुपये) (छ) अकादमियों को सहायता (47.03 करोड़ रुपये)) (ज) पुस्तकालयों को सहायता (15 करोड़ रुपये) (छ) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (2 करोड़ रुपये) (ख) संग्रहालयों का विकास (51.76 करोड़ रुपये) (ग) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (36 करोड़ रुपये) (छ) संग्रहालयों को सहायता (61.29 करोड़ रुपये) (ड.) अकादमियों को सहायता (31.38 करोड़ रुपये) (च) पुस्तकालयों को सहायता (0.35 करोड़ रुपये)।

इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए , इसमें 333.77 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपये भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण है।

(ख) सामान्य सहायता अनुदान (क) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (0.50 करोड़ रुपये) (ख) संग्रहालय का विकास (13.50 करोड़ रुपये) (ग) पुस्तकालयों और अभिलेखागार का विकास (3 करोड़ रुपये) (गं)) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (1.50 करोड़ रुपये) (ख) योजना के पूर्वीत्तर क्षेत्र घटक के लिए संग्रहालय का विकास (22.55 करोड़ रुपये)।

इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 20.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(ग) भारत की आकस्मिकता निधि की भरपाई के लिए एनजीएमए द्वारा स्मारक की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय (20 करोड़ रु.) को पूरा करना।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grant-in-Aid General (a) Archaeological Survey of India (₹ 0.50 crore) (b) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 215 crore) (c) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 105.86 crore) (d) Development of Museum (₹ 121.50 crore) (e) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 10 crore) (f) Support to Museums (₹ 20 crore) (g) Support to Akademies (₹ 47.03 crore) (h) Support to Libraries (₹ 15 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (a) Archaeological Survey of India (₹ 2 crore) (b) Development of Museums (₹ 51.76 crore) (c) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 36 crore) (d) Support to Museums (₹ 61.29 crore) (e) Support to Akademies (₹ 31.38 crore) (f) Support to Libraries (0.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section. This entail cash outgo of ₹ 333.77 crore, of which ₹ 100 crore is on the account of recoupment of contingency Fund of India.

Grant-in-Aid General (a) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 0.50 crore) (b) Development of Museum (₹ 13.50 crore) (c) Development of Libraries and Archives (₹ 3 crore) (ii) Grant for Creation of Capital Assets (a) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 1.50 crore) (b) Development of Museum (₹ 22.55 crore) towards NER component of the scheme.

Taking into account the savings available available in the same section. This entail cash outgo of ₹ 20.25 crore.

Meeting additional expenditure towards installation of statue by National Gallery of Modern Art (₹ 20 crore) to recoup Contingency

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 देखिये)

(See pag	e 19-20 of the Demands for	or Grants of Central Governme	ent for the y	ear 2022-2023)				
						(₹ करों	ਭ) (In ₹ crores)	
				भारित	स्वीकृत		जॊड़	
				Charged	Voted		Total	
I. मूल अनु	रान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue		0.72	32049.29		32050.01	
पूंजी		Capital		35.00	11589.99		11624.99	
जोड़		Total		<i>35.72</i>	43639.28		43675.00	
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	mount now					
राजस्व		required: Revenue		0.50	2750.00		2750.50	
पूंजी		Capital		0.00	500.01		500.01	
जोड		Total		0.50	3250.01		3250.51	
जोड़ (मूल औ	र प्रक)	Total (Original plus Supplementa	ry)	36.22	46889.29		46925.51	
राजस्व		Revenue	•,	1.22	34799.29		34800.51	
पूंजी		Capital		35.00	12090.00		12125.00	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निर्म्ना	लेखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grants/Ap	propriations w	vill be accounted for under the	e following Maj	or Heads	s:	
				भारित	स्वीकृत		जৗड़	
				Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	T	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Service	es	<i>0.50</i> (क a)		(खb)	250.50	
2037-सीमा १		2037-Customs		***	500.00	(गc)	500.00	
	सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Ser	vices		2000.00	(घd)	2000.00	
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)		0.50	2750.00		2750.50	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			0.04	()	0.04	
परिव्यय	राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत	4047-Capital Outlay on Other Fis	cai Services	•••	0.01	(ਭ e)	0.01	
४५५२-पूर्वोत्तर	क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North East	stern Areas		50.00	(चf)	50.00	
	और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads an	and Bridges 45		450.00	(<u>छ</u> g)	450.00	
जोड़ (पूंजी भा	ग)	Total (Capital Section)		500		500.01		
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.50	<i>0.50</i> 3250.01 3250.5			
यह पूरक अनु	दाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षि	त है:	The supple	mentary Grants/Appropriation	ns are required	l for:		
(क)	प्रभारित व्यय के लिए 0.50 करोड़ रु		(a)	₹ 0.50 crore towards cha	rged expenditu	ıre.		
	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामि			The above expenditure wi	ill entail cash	outgo;		
(ख)		रुपये) और रक्षा संपदा संगठन (200 करोड़	(b)	₹ 250 crore for establish				
	रुपर्य, मुख्य रूप से 165 करोड़ रुपर	ये सामान्य अनुदान और पूंजीगत आस्तियों		Development Board (₹ 50	-		=	
	क निर्माण के लिए अनुदान के रूप । के लिए 250 करोड़ रुपये।	में 35 करोड़ रुपये) के स्थापना संबंधी व्यय		(₹ 200 crore, mainly ₹ 16			d General and ₹ 35	
	क ।लए 250 कराड़ रुपय। उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामि	ोच होगाः		crore as Grants for creation	-			
(ग)	नटगक्षक मंगठन के पर्जी की खगैट	नल हागा, के लिए पीओएल (350 करोड़ रुपये) और	(c)	The above expenditure wing the street of th		_	crore) and minor	
(*1)	छोटे कार्यों (150 करोड़ रुपये) पर ख		(0)	works(₹ 150 crore) toward			·	
	5.5 h. ii (156 h.i.) 1. 5			Organisation.	ao proca.cc.	о. ора.	oo or ooder oddra	
	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामि	नेल होगा;		The above expenditure wi	ill entail cash	outgo;		
(ঘ)	कैंटीन स्टोर्स विभाग की आपूर्ति 3	भौर सामग्री के तहत आवश्यकता के लिए	(d)	₹ 2,000 crore towards	the requirer	ment un	der supplies and	
	2,000 करोड़ रुपये।			materials of Canteen Stor	es Departmen	t.		
	अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रर परिव्यय नहीं होगा।	बते हुए 2,000 करोड़ रुपये, इसमें नकद		Taking into account addit entail cash outgo.	tional receipts	₹ 2,000	crore, this will not	
		रोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e)	meeting additional expend	diture of (₹ 129	crore) fo	or land acquisition	
(-)		चत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(-)	Taking into account the				
	की मांग की जाती है।	3,		the Grant, a token supple	=		0 000 000	
(핍)		गवर्ती सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़	(f)	₹ 50 crore for construct	-	_	order roads in NE	
• •	रुपये।		.,	region.	- 5			
	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामि	नेल होगा;		The above expenditure wi	ill entail cash c	utgo;		
(ন্ড)	सामरिक और सीमावर्ती सड़कों के नि		(g)	₹ 450 crore for constructi	on of strategic	and bord	der roads.	
	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामि	नेल होगा;		The above expenditure wi	ill entail cash c	utgo;		

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व) **DEFENCE SERVICES (REVENUE)**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

							(₹ कर	गॅड़) (In ₹ crore
				भारित		स्वीकृत		जॊड़
				Charged		Voted		Total
।. मूल अनु	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
ाजस्व		Revenue		98.04		239645.67		239743.71
् जी		Capital						
गोड़		Total		98.04		239645.67		239743.71
स समय ३	भावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	t now required:					
जस्व		Revenue		0.70		19999.30		20000.00
्जी		Capital						***
गोड़		Total		0.70		19999.30		20000.00
जोड़ (मूल ३	भौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		<i>98.74</i>		259644.97		259743.71
राजस्व		Revenue		98.74		259644.97		259743.71
 ्जी		Capital						
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	म्ख्य शीर्षों के अ	तर्गत दिखाया जायेग	Т:			
		II. This Supplementary Grants/Appropri				owing Major H	leads:	
				भारित		स्वीकृत		ऒड़
				Charged		Voted		Total
राजस्व भ	<i>ग</i> ग	REVENUE SECTION						
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
-	सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army		0.20	(क a)	5612.00	(खb)	5612.20
2077-रक्षा	सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy				3136.00	(गc)	3136.00
2078-रक्षा सेवाएं-वाय् सेना		2078-Defence Services - Air Force		0.50	(घd)	11251.30	(ਤ _e)	11251.80
जोड़ (राजस	व भाग)	Total (Revenue Section)		0.70		19999.30		20000.00
यह परक अ	न्दाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अ	पेक्षित है:	The supplem	entary Grants/App	ropriatio	ns are require	d for:	
(क)		वेरूद्ध अदालती आदेशों से उत्पन्न 0.20 करोड़	(a)			•		arising out of co
. ,	रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा		()	orders against N				Ü
		ा में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें		Taking into acco	ount the	savings availa	able in t	he Capital Grant
ख)		के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (500	(b)	Defence Service			_	re for transportati
G)		शिदायी स्वास्थ्य योजना (1,000 करोड़ रुपये),	(b)	_				th Scheme (₹ 1,0
	***	कार्य (700 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर					-	ore), National Ca
		अन्य व्यय (500 करोड़ रु.)। ईंधन तेल स्नेहक						500 crore) of Arr
		और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत				-		and ₹ 1,000 crore
		इ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।		ECHS sanctione				idia are sought to
	रक्षा मेताओं के एंजीग्रन थनटान	न में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें		recouped.	sount th	o cavinge av	ailabla	in Capital Grant
	नकद ट्यय नहीं होगा।	। न उपलब्द बंदत का ट्यान न रखत हुर, इसन		Defence Service		-		= -
ग)		के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (150	(c)	meeting addition	al expe	nditure of ₹ 3	,136 cro	re for transportati
	करोड़ रूपये), मरम्मत और दु	रूस्त करने के लिए (400 करोड़ रूपये), स्टोर				-		re), stores (₹ 1,7
	(1,700 करोड़ रूपये), कार्य (20	0 करोड़ रूपये), संयुक्त स्टाफ (386 करोड़ रूपये)				-		86 crore) and oth
	और नौसेना के अन्य व्ययों को	पूरा करने के लिए (300 करोड़ रुपये)। भारत के				-		₹ 200 crore for f
	आकस्मिकता कोष से स्वीकृत	ईंधन तेल स्नेहक के लिए 200 करोड़ रूपये के		oil lubricants sar	nctioned	from Continge	ency Fur	nd of India is sou
	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की मांग की			to be recouped.				
		ा में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें		=		-		in Capital Grant
	नकद व्यय नहीं होगा।			Defence Service	s, this w	ill not entail ca	sh outgo	D.

(e)

वाय् सेना के विरूद्ध न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न 0.50 करोड़ रुपये के (ঘ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अन्दान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

परिवहन के 11,251.30 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ङ) (9.03 करोड़ रुपये), स्टोर (10,644.06 करोड़ रुपये), कार्य (386 करोड़ रुपये) और वायु सेना के अन्य व्यय (212.21 करोड़ रुपये)। भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईंधन तेल स्नेहक के लिए (1,500 करोड़ रूपये) के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।

रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत 3620.91 करोड़ रूपये को ध्यान में रखते हुए, इससे 7,630.39 करोड़ रूपये का निवल नकद व्यय होगा।

meeting additional expenditure of ₹ 0.50 crore arising out of Court Orders against Air Force.

Taking into account the savings available in Capital Grant of Defence Services, this will not entail Cash outgo.

transportation (₹ 9.03 crore), stores (₹ 10,644.06 crore), works (₹ 386 crore) and other expenditure (₹ 212.21 crore) of Air Force. Advance of (₹ 1,500 crore) for fuel oil lubricants sanctioned from

Taking into account the savings available in capital grant of Defence Services ₹ 3620.91 crore, this will entail net cash outgo ₹ 7,630.39 crore.

Contingency Fund of India is sought to be recouped.

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(111)		,	(₹	करोड़) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•		
राजस्व	Revenue			···
पूंजी	Capital	89.27	152280.34	152369.61
जोड़ जोड़	Total	<i>89.27</i>	152280.34	152369.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़ जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>89.27</i>	152280.35	152369.62
राजस्व	Revenue	•••		
पूंजी	Capital	89.27	152280.35	152369.62
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		lead:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
् मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्न के तहत (i) नौसेना के लिए निर्माण कार्य (800 करोड़ रुपये) (ii) विमान और एयरो-इंजन (252.22 करोड़ रुपये), भारी और मध्यम वाहन (183.75 करोड़ रुपये) और वायु सेना के लिए विशेष परियोजना (एसईएसएफ) के तहत (0.01 करोड़ रुपये) 1,235.98 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1,235.98 crore under (i) construction works (₹ 800 crore) for Navy (ii) aircraft & aeroengines (₹ 252.22 crore), heavy & medium vehicles (₹ 183.75 crore) and special project (SESF) (₹ 0.01 crore) for Air Force.

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i>	स्वीकृत		जोड़ र-4-1
l. मूल अन् दा न:	I. ORIGINAL GRANT:	Charged	Voted		Total
१. मूल अन्यान. राजस्व	Revenue		2140.04		2140.04
	Capital	•••	670.96		670.96
पूंजी जोड़	Total	***	2811.00		2811.00
जाड़ इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	***	2011.00		2011.00
राजस्व	Revenue		0.02		0.02

पूंजी	Capital		80.00		80.00
जोड़	Total		80.02		80.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2891.02		2891.02
राजस्व	Revenue	***	2140.06		2140.06
पूंजी	Capital		750.96		750.96
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत II. This Supplementary Grants will be accounted for und	र्गत दिखाया जायेगा: der the following Major H	lead		
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02
पुंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		80.00	(गc)	80.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		80.02	V =/	80.02

(c)

यह पुरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) विज्ञापन और प्रचार के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

(i) उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं के तहत प्रावधान में वृद्धि - 57.45 करोड़ (ख) रुपये के लिए विशेष विकास पैकेज जिसमें सहायता अनदान सामान्य (5.62 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अन्दान (अन्स्चित जाति उप घटक सहित 51.83 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (5 करोड़ रुपये) और आदिवासी क्षेत्र उप घटक (30 करोड रुपये); (ii) बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए पंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 95.03 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज (23.58 करोड़ रुपये) (आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए 17 करोड़ और 6.58 करोड़ रुपये) कांबीं आंगलोंग स्वायत प्रादेशिक परिषद (38.45 करोड़ रुपये) (12 करोड़ रुपये सहित 26.45 करोड़ रुपये) आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए) और दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद (33 करोड़ रुपये जिसमें आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए 18 करोड़ रुपये शामिल हैं); और (iii) पूर्वीत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) 20 करोड़ रुपये के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (आदिवासी क्षेत्र उप योजना (5 करोड़ रुपये) सहित), और अनुसूचित जाति उप योजना (5 करोड़ रुपये)) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अन्दान के रूप में 30 करोड़ रुपये (आदिवासी क्षेत्र उप योजना (10 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जाति उप योजना (5 करोड़ रुपये) सहित)। अन्दान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, इसके लिए अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) पूर्वीतर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि के प्रमुख कार्यों के लिए धन की वृद्धि, जिसमें अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 110 करोड़ रुपये शामिल हैं। 80 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के राजस्व खंड से तकनीकी अभ्यर्पण द्वारा पूरी की जानी है। अनुदान के राजस्व खंड के तहत उपलब्ध 80 करोड़ रुपये की बचत के समर्पण का उपयोग करने और अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 270 करोड़ रुपये का उपयोग करने के बाद, यह अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

 augmenting the provision by ₹ 10 crore towards advertisement and publicity. Taking into account savings available in same section of the grant, this will not entail cash outgo.

augmenting the provision under (i) Schemes of North Eastern Council- Special Development Package for ₹ 57.45 crore comprising of grants-in-aid general (₹ 5.62 crore) and grants for creation of capital assets amounting to ₹ 51.83 crore (of which general component (₹ 16.83 crore, scheduled caste sub component (₹ 5 crore) and tribal area sub component (₹ 30 crore)); (ii) Special Development Package amounting to ₹ 95.03 crore as grants for creation of capital assets for Bodoland Territorial Council amounting to ₹ 23.58 crore [(of which general (₹ 17 crore and ₹ 6.58 crore for tribal area sub plan)]. Karbi Anglong Autonomous Territorial Council amounting to ₹ 38.45 crore [of which, (general ₹ 12 crore and ₹ 26.45 crore for tribal area sub plan)] and Dima Hasao Territorial Council amounting to ₹ 33 crore [of which, general ₹ 15 crore and ₹ 18 crore for tribal area sub plan)]; and (iii) Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) for ₹ 20 crore as grants-in-aid-general [of which, general (₹ 10 crore), tribal area sub plan (₹ 5 crore) and scheduled caste sub plan (₹ 5 crore)] and ₹ 30 crore as grants for creation of capital assets [(of which, general ₹ 15 crore, tribal area sub plan (₹ 10 crore) and scheduled caste sub plan (₹ 5 crore)]. Taking into account savings available in same section of the grant, this will not entail cash outgo.

augmenting of funds towards major works amounting to ₹ 350 crore for Prime Minister's Development initiative for North East region (PM-DevINE), of which ₹ 100 crore for scheduled caste sub-plan and ₹ 110 crore for scheduled tribe sub-plan. The amount of ₹ 80 crore to be met by technical surrender from revenue section of the grant. After utilizing surrender of savings of ₹ 80 crore available under revenue section of the grant, and availing ₹ 270 crore available in the same section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ करोड़) (In ₹ crore
	भारित	स्वीकृत		जॊड़
	Charged	Voted		Total
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue		2207.94		2207.94
Capital		450.00		450.00
Total		2657.94		2657.94
Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
Revenue		0.02		0.02
Capital				
Total		0.02		0.02
Total (Original plus Supplementary)		2657.96		2657.96
Revenue		2207.96		2207.96
Capital		450.00		450.00
II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	ज्ञंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		Head		
	भारित	स्वीकृत		जॊड़
	Charged	Voted		Total
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
3403-Oceanographic Research		0.01	(कa)	0.01
3455-Meteorology		0.01	(खb)	0.01
Total (Revenue Section)		0.02		0.02
The supplem	entary Grants are required	for:		
लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान (a)	meeting additional expe	enditure towa	rds Grant	ts-in-aid Sala
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now require Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे III. This Supplementary Grants will be accounted for REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3403-Oceanographic Research 3455-Meteorology Total (Revenue Section)	ChargedJ. ORIGINAL GRANT:RevenueCapitalTotalSupplementary Estimate of the amount now required:RevenueCapitalTotal (Original plus Supplementary)RevenueCapitalII. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नित्यित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major to Angular Supplementary Grants will be accounted for under the following Major to Angular Supplementary Grants are required to August HeadREVENUE SECTIONMAJOR HEAD3403-Oceanographic Research3455-MeteorologyTotal (Revenue Section) The supplementary Grants are required to the supplementary Grants are requir	Revenue 2207-94 Capital 2657.94 Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 2657.94 Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 0.02 Capital 0.02 Total (Original plus Supplementary) 2657.96 Revenue 2207.96 Capital 450.00 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head ***REVENUE SECTION** MAJOR HEAD 3403-Oceanographic Research 0.01 3455-Meteorology 0.01 Total (Revenue Section) 0.02 **The supplementary Grants are required for: The supplementary Grants are required for:	शारित Charged VotedI. ORIGINAL GRANT:Revenue

(क) डीए और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए राष्ट्रीय धुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के स्वायत निकायों को सहायता अनुदान वेतन (4.30 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) डीए के भुगतान के लिए स्वायत निकायों राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) को सहायता अनुदान वेतन (1.01 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (a) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 4.30 crore) to Autonomous Bodies National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) towards payment of DA and Gratuity. Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries
(₹ 1.01 crore) to Autonomous Bodies National Centre for Earth Science Studies (NCESS) towards payment of DA.

मांग संख्या DEMAND NO 25

विदयालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		111549.37	111549.37
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		111549.37	111549.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		111549.39	111549.39
राजस्व	Revenue		111549.39	111549.39
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc		r Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(1) (i) केन्द्रीय विंद्यालय संगठन (केवीएस) (26.50 करोड़ रुपये), (ii) नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) (225.15 करोड़ रुपये) (iii) समग्र शिक्षा (12.64 करोड़ रुपये)की योजना में सामान्य सहायता अनुदान , (2) (i) केवीएस (0.50 करोड़ रुपये), (ii) एनवीएस (17.08 करोड़ रुपये), (iii) समग्र शिक्षा (50 करोड़ रुपये) की योजना में प्ंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। , (3) (i) केवीएस (35 करोड़ रुपये), (ii) एनवीएस (522.57 करोड़ रुपये) वेतन सहायता अनुदान और (4) समग्र शिक्षा योजना में व्यावसायिक सेवाएं (384.76 करोड़ रुपये)।

अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(1) (i) पीएम-पोषण (80 करोड़ रुपये) और (ii) एनवीएस (5 करोड़ रुपये) की (ख) योजना में सामान्य अन्दान। (2) एनवीएस की योजना में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)। (3) एनवीएस की योजना में सहायता वेतन अन्दान (35 करोड़ रुपये)।

अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(1) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 26.50 crore), (ii) Navodaya Vidyalaya Sangathan (NVS) (₹ 225.15 crore) (iii) Samagra Shiksha (₹ 12.64 crore), (2) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of (i) KVS (₹ 0.50 crore), (ii) NVS (₹ 17.08 crore), (iii) Samagra Shiksha (₹ 50 crore), (3) Grants in Aid Salaries in the Scheme of (i) KVS (₹ 35 crore), (ii) NVS (₹ 522.57 crore) and (4) Professional Services in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 384.76 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) PM-POSHAN (₹ 80 crore) and (ii) NVS (₹ 5 crore). (2) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of NVS (₹ 0.50 crore). in Aid Salaries in the Scheme of NVS (₹ 35 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		55060.34		55060.34
पूंजी	Capital		18.01		18.01
जोड़	Total	***	55078.35		55078.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	55078.38		55078.38
राजस्व	Revenue	•••	55060.37		55060.37
पूंजी	Capital	•••	18.01		18.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 🖰	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	he following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(1) योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [230 करोड़ रुपये], (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [रु. 925 करोड़], (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [रु. 925 करोड़], (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालय रुपड़ेएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि [रु. 10 करोड़], (iv) केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [रु. 1.50 करोड़], (v) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय [रु. 0.50 करोड़], (vi) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान [रु. 4 करोड़], और (vii) भारतीय ज्ञान प्रणाली [रु. 6 करोड़] (2) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्त्यियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [रु. 65 करोड़], (ii) आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन [रु. 27.24 करोड़], और (iii) भारतीय ज्ञान प्रणाली [रु. 4 करोड़] (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन [590 करोड़ रुपये] और (4) यूनेस्को को योगदान [5.8 करोड़ रुपये]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(1) योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अन्दान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [323 करोड़ रुपये], (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [10 करोड़ रुपये], (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता [170 करोड़ रुपये], (iv) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को समर्थन [35.34 करोड़ रुपये], (v) भारतीय संस्थान को समर्थन विज्ञान (आईआईएससी) [53.54 करोड़ रुपये], (vi) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलप्र और कांचीप्रम) को सहायता [3 करोड़ रुपये], (vii) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई [रु.11.05 करोड़], (viii) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्संधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) [रु. 2 करोड़], (ix) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकता, कानपुर और चेन्नई [रु. 1.2 करोड़], (x) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता [रु.22.49 करोड़], (xi) इम्प्रिंट रिसर्च इनिशिएटिव का कार्यान्वयन [रु. 9 करोड़], (xii) पीएम रिसर्च फेलोशिप [रु.100 करोड़], (xiii) विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (एसटीआरएएस) [रु.15 करोड़], और (xiv) तकनीकी शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई) [रु.८ करोड़] (2) योजनाओं के तहत वेतन सहायता- अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [75 करोड़ रूपये],

The supplementary Grants are required for:

(1) Grants-in-Aid General under the schemes (i)Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 230 Crore], (ii) Grants to Central Universities [₹ 925 Crore], (iii) Central Universities- Funds for Payment of Interest under HEFA Loan [₹ 10 Crore], (iv) Central University, Andhra Pradesh [₹ 1.50 Crore], (v) Andhra Pradesh &Telangana Tribal Universities [₹ 0.50 Crore], (vi) Grants for promotion of Indian languages [₹ 4 Crore], and (vii) Indian Knowledge System [₹ 6 Crore] (2) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Grants to Central Universities [₹ 65 Crore], (ii) National Mission in Education through ICT [₹ 27.24 Crore], and (iii) Indian Knowledge System [₹ 4 Crore] (3) Grants-in-Aid Salaries under the scheme Grants to Central Universities [₹ 590 Crore] and (4) Contribution to UNESCO [₹ 5.8 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants-in-Aid General under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 323 Crore], (ii) Support to Indian Institutes of Management [₹ 10 Crore], (iii) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 170 Crore], (iv) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 35.34 Crore], (v) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 53.54 Crore], (vi) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 3 Crore], (vii)National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 11.05 Crore], (viii) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 2 Crore], (ix) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 1.2 Crore], (x) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 22.49 Crore], (xi) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 9 Crore], (xii) PM Research Fellowship [₹ 100 Crore], (xiii)Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) [₹ 15 Crore], and (xiv) Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education-EAP

(ख)

(ii) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (आईआईएसईआर) के भारतीय संस्थानों को सहायता) [3 करोड़ रुपये], (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) [52 करोड़ रुपये], (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) [6.08 करोड़ रुपये], और (v) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बॉम्बे, कलकता, कानपुर और चेन्नई [3.23 करोड़ रुपये] (3) तकनीकी शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएंईएपी (मेराइट) [5 करोड़ रुपये] और (4)) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्त्रियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [300 करोड़ रुपये], (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद (ईएपी) [150 करोड़ रुपये], (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता [80 करोड़ रुपये], (iv) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के भारतीय संस्थानों को समर्थन (आईआईएसईआर) [रु.15 करोड़], (v) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकता, कानपुर और चेन्नई [रु.0.3 करोड़], और (vi) इम्प्रिंट रिसर्च इनिशिएटिव का कार्यान्वयन [रु.6 करोड़]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग)

(1) योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान-[75 करोड़ रुपये], और (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [2 करोड़ रुपये] (2) अनुदान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत पूंजी निर्माण के लिए- [35 करोड़ रुपये] और (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत सहायता अनुदान- [80 करोड़ रुपये] अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(MERITE) [₹ 8 Crore] (2) Grants-in-Aid Salaries under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 75 Crore], (ii) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 3 Crore], (iii) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 52 Crore], (iv) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 6.08 Crore], and (v) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 3.23 Crore] (3) Professional Services under the scheme Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education-EAP (MERITE) [₹ 5 Crore] and (4) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 300 Crore], (ii) Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 150 Crore], (iii) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 80 Crore], (iv) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 15 Crore], (v) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.3 Crore], and (vi) Implementation of the IMPRINT Research Initiative[₹ 6 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants-in-Aid General under the schemes (i) Grants to Central Universities- [₹ 75 Crore], and (ii) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 2 Crore] (2) Grants for Creation of Capital under Grants to Central Universities- [₹ 35 Crore] and (3) Grants-in-Aid Salaries under Grants to Central Universities- [₹ 80 Crore] Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	13911.99	13911.99
पूंजी	Capital	•••	388.01	388.01
जोड़	Total	•••	14300.00	14300.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		320.01	320.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		320.01	320.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14620.01	14620.01
राजस्व	Revenue		14232.00	14232.00
पूंजी	Capital	•••	388.01	388.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	5 अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	0.01	(क a) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	***	320.00	(खb) 320.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		320.01	320.01

यह पुरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(ख)

निम्नलिखित 'अन्य शुन्क' के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हाईवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स) का संवर्धन (77.35 करोड़ रुपये) (ii) 'भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास' (20 करोड़ रुपये) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 'डिजिटल भुगतान का संवर्धन' (200 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

निम्नलिखितों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (i) बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के संबंध में 'व्यावसायिक सेवाएं' (2 करोड़ रुपये) (ii) प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) के संबंध में सामान्य सहायता अन्दान (1 करोड़ रुपये) (iii) भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, जिसमें सामान्य सहायता अन्दान (22.80 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अन्दान (0.20 करोड़ रुपये), अन्य शुल्क (132 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (15 करोड़ रु.), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (10 करोड़ रु.) जिसमें से भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 13 करोड़ रुपये आहरित की गई (iv) स्चना प्रौद्योगिकी और स्चना प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के तहत सामान्य सहायता अनुदान (14.25 करोड़ रुपये) (v) डिजिटल भगतान को बढ़ावा देने के तहत अन्य शॅ्ल्क (1457 करोड़ रुपये), अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (164 करोड रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (131 करोड़ रुपये) (vi) "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैन्यफैक्चरिंग का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स) के संबंध में अन्य शुल्क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए 79.70 करोड़ रुपये और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए 67.84 करोड़ रुपये) और (vii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जो डीओएस से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एबी अंतरण है के लिए सामान्य सहायता अन्दान (169.35 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (85.16 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (65.49 करोड़ रुपये)।

मांग संख्या-95 अंतरिक्ष विभाग में उपलब्ध 320 करोड़ रुपये की अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards 'Other Charges' in respect of (i) Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing clusters) (₹ 77.35 crore) (ii) 'Development Semiconductor and Display Ecosystem in India' (₹ 20 crore) and (iii) 'Promotion of Digital Payments' (₹ 200 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) 'Professional Services' in respect of PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware (₹ 2 crore) (ii) Grants-in-aid General in respect of Controller of Certifying Authorities (CCA) (₹ 1 crore) (iii) Development of Semiconductor and Display Ecosystem in India, of which Grants in Aid General (₹ 22.80 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 132 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 10 crore), out of which ₹ 13 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India. (iv) Grants-in-Aid General (₹ 14.25 crore) under Promotion of IT and ITeS Industries (v) Other Charges (₹ 1457 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 164 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 131 crore) under Promotion of Digital Payments (vi) Other Charges in respect of "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters) (₹ 79.70 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 67.84 crore for Tribal Area Sub-Plan) and (vii) Grants-in-aid General (₹ 169.35 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 85.16 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 65.49 crore) for Semi Conductor Laboratory, an AB transfer from DoS to MeITY.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 320 crore available in the Demand No. 95 - Department of Space, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक

(i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (1 करोड़ रुपये) और (ii) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक

(1 करोड़ रुपये) के लिए प्रम्ख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करना ।

की मांग की जाती है

की मांग की जाती है

(ङ)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3170.00 3170.00 पंजी Capital 115 00 115 00 जोड़ 3285.00 3285.00 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.03 0.03 Revenue पुंजी Capital 0.02 0.02 ... जोड Total 0.05 0.05जोड़ (मूल और पूरक) 3285.05 3285.05 Total (Original plus Supplementary) ... Revenue 3170.03 3170.03 ... पुंजी Capital 115.02 115.02 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड भारित Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी और वन्य जीवन 2406-Forestry and Wild Life 0.01 (**क**a) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 0.01 0.01 2552-North Eastern Areas (खb) 3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण 3435-Ecology and Environment 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय 4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life 0.01 (घd) 0.01 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर 5425-Capital Outlay on Other Scientific and 0.01 (ਤ_e) 0.01 पूंजी परिव्यय **Environmental Research** जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.05 0.05 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: (i) सामान्य सहायता अनुदान (11.14 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 11.14 (क) स्जन के लिए अनुदान (5.50 करोड़ रुपये) और भारतीय वानिकी अनुसंधान crore). Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.50 crore) and और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (रु. 1 करोड़) (ii) भारतीय Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) for Indian Council of Forestry वन्यजीव संस्थान के लिए वेतन सहायता अन्दान (1 करोड़ रुपये) के व्यय को Research and Education and (ii) Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) पूरा करने के लिए for Wildlife Institute of India. अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है the Grant, a token supplementary is sought. (ख) प्रदुषण नियंत्रण के तहत सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेत् (8 करोड़ (b) meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 8 crore) रुपये under Control of Pollution. अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है the Grant, a token supplementary is sought. प्रदूषण नियंत्रण के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (125.10 करोड़ रुपये) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 125.10 (ग) और सहायता अनदान (एससीएसपी के लिए 20 करोड़ रुपये और टीएसपी के crore) and Grants-in-aid General (₹ 20 crore for SCSP and 10 लिए 10 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए सामान्य सहायता crore for TSP) under Control of Pollution (ii) Grants-in-aid General अन्दान (0.20 करोड़ रुपये) (iii) पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अन्दान (₹ 0.20 crore) for National Green Tribunal (iii) Grants for Creation of (1 करोड़ रुपये) और जीपी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान के Capital Assets (₹ 1 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1 crore) for लिए वेतन सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये)। GP Pant Himalayan Institute of Environment and Development. अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रमुख कार्यों के व्यय को पूरा करने हेत् (1 करोड़ (ঘ) meeting expenditure towards Major Works (₹ 1 crore) for Forest Survey of India

(e)

Taking into account the savings available in the same section of

meeting expenditure towards Major Works for (i) Botanical Survey

Taking into account the savings available in the same section of

of India (₹ 1 crore) and (ii) Zoological Survey of India (₹ 1 crore).

the Grant, a token supplementary is sought.

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

प्रशेश पर समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	(See pa		Grants of Central Government f I. ORIGINAL GRANT: Revenue	for the ye	ear 2022-2023) आरित Charged 0.03	स्वीकृत Voted 15838.74	(₹ करोंड़	ह) (In ₹ crores) जोड़ Total 15838.77		
स्वता समय आपन स्वता प्रकार क्ष मा पूर अपन मा प्रकार मा प्रकार मा प्रकार क्ष मा प्रकार क्ष मा पूर अपन मा प्रकार क्ष मा प्रकार क्ष मा प्रकार मा प्रकार क्ष मा प्रकार क्ष मा प्रकार मा प्रकार क्ष स्वता मा										
स्व तमान आवस कर स्वत में पूर्व अनुसान हैं शिक्षा हिंसा हैं प्रति हैं शिक्ष हैं जिस्से			·							
पंजी	•	20179712 12-11 21 HTZ 21-111-1-1		ount now ro		17254.97		17200.00		
स्वेत प्राप्त के प्रति (Capital पर्पक) 10tal (Original plus Supplementary) 0.03 17255.01 17255.04 0.04 वोह (मूल और पूरक) 10tal (Original plus Supplementary) 0.03 17255.03 17255.04		जापरयम रमन मा नूरम जनुनान.		ount now re		0.03		0.03		
कोइ (सूच को पू प्क) Total (Original plus Supplementary)					•					
सह पूरत अर्ग एक अप्राचित विकास अप्रचित विकास अप्राचित विकास अप्रचचन										
स्वनंद	. *	, , , , , , ,								
स्तेत हस प्रकाश हस प्रकाश हस प्रकाश हस प्रकाश हस प्रकाश हस प्रकाश हस विस्नात हस विद्या हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विद्या हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विद्या हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विस्नात हस विद्या हस		आर प्रक))						
श. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नासिवित सुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिवाया जायोगा: IT. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head India of Charged (Avised Total Total (Avised Prince) (0.03					
स्व सार्ग सार्	पूजी				•••	1416.24		1416.24		
स्विक्त विकास स्विक्त विकास स्विक्त के स्वक्त के स्विक्त के स्विक्त के स्विक्त के स्वक्त के स्विक्त के स्वक्त के स्विक्त के स्वक्त के स्विक्त के स्वक्त के स्			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शी	ोर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
स्व विशेष मा स्व स्व विशेष सम्भाव से साम से अपने से			II. This Supplementary Grants will I	be accounte	ed for under the following Major I					
सुन्द सीर्च (MAJOR HEAD (SQS-Serotariat-General Services					भारित	स्वीकृत		जॊड़		
पुरा से साम से 2052-सेवावायर-सामान्य सेवापं 2052-Secretarial-General Services					Charged	Voted		Total		
2052-Secretarial-General Services	राजस्व भ	<i>ग</i> ग	REVENUE SECTION							
2052-Secretarial-General Services	मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2061-External Affairs	-		2052-Secretariat-General Services			0.01	(कa)	0.01		
3605-Technical and Economic Co-operation with Other 0.01 (गट) 0.01 सहयोग Countries ाह्रा (राज्यस्व माग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 हर्ज माग पुरुष सीषे MAJOR HEAD पुरुष माग पुरुष सीषे MAJOR HEAD रहिएका Total (Supplementary) 0.01 (घंच) 0.01 वोह (पूरक अनुदान) निम्निविचित हेतु अपेक्षित हैं: Total (Supplementary) 0.04 0.04 वह पूरक अनुदान ने क्यी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) (ा) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अधिम की प्रतिपूर्त (१) आईसीसीआर के संबंध में जी-20 संगोही।बेंदिकों से संबंधित सांकृतिक समायोह के आयोजन के लिए सामान्य सहयाया अनुदान (१) गंगा वाला है। (ख) (ा) आंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अधिम की प्रतिपूर्त (१) (ा) महस्मीसीआर के संबंध में जी-20 संगोही।बेंदिकों से संबंधित सांकृतिक समायोह के आयोजन के लिए सामान्य सहयाया अनुदान (१) गंगा वाला है। (ख) (ा) अंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अधिम की प्रतिपूर्त (१) (ा) महस्मीसीआर के संबंध में जी-20 संगोही।बेंदिकों से संबंधित सांकृतिक समायोह के आयोजन के लिए सामान्य सहयाया अनुदान (१) गंगा के लिए भारत अध्येक्ष में अंगमां विश्वविद्यालय और अंगमां विश्वविद्यालय और अंगमां विश्वविद्यालय के लिए उद्योगत अधिम के एक मागा जाता है। (ख) अनुदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान को सहायता को अंतर्गत मंगेच्छू हाईडोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (१) मुदान सरकार को अध्योग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के सहायता मोग अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) भूदान के इसी भाग में अपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा जाता है। (ख) साम प्राचन साम से अपलब्ध के लिए मागा के साम से रखते हुए सांकेतिक पूरक मागा के स	2061-विदे	शी मामले	2061-External Affairs			0.01	(खb)	0.01		
सहयोग	3605-अन्	य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक	3605-Technical and Economic Co-	operation w	rith Other					
पूर्वि माग				•			` ,			
सुरक अनुदान ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं. (क) जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आरत के आकस्मिक निधि से अधिम की प्रतिपूर्ति (100 करोड रूपये) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा जाता है। (ख) (ा) अंपरेशन गंगा के लिए आरत के आविस्मक निधि से अधिम की प्रतिपूर्ति (105 करोड रूपये) आईदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए उपलब्ध कर्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए उपलब्ध कर्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (250 करोड रूपये) के लिए अन्य प्रशासनिक च्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक पूरक मांगाजा हो हो साम में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक	जोड़ (राजर	न्व भाग)	Total (Revenue Section)		•••	0.03		0.03		
सुरक अनुदान ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं. (क) जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आरत के आकस्मिक निधि से अधिम की प्रतिपूर्ति (100 करोड रूपये) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा जाता है। (ख) (ा) अंपरेशन गंगा के लिए आरत के आविस्मक निधि से अधिम की प्रतिपूर्ति (105 करोड रूपये) आईदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए उपलब्ध कर्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक संगाजा तहीं। (250 करोड रूपये) के लिए उपलब्ध कर्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (250 करोड रूपये) के लिए अन्य प्रशासनिक च्या (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक पूरक मांगाजा हो हो साम में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक पूरक मांगाजा है। (वा) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांकेतिक	पूंजी भाग	r	CAPITAL SECTION							
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम 7605-Advances to Foreign Governments 7605-Advances to Foreign Contingency Fund of India for G-20 7605-Advances to Foreign Contingency Fund of India for G-20 7605-Advances fore Contingency Fund of India for G-20 7605-Advances foreign Governments (by 100 coroe). 7605-Ad			MAJOR HEAD							
जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.04 0.04 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रित्त हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (a) प्रतिपूर्ति (100 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 Summit (₹ 100 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) अगंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) अगंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) अगंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) अगंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) अग्रिम करोय का में अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) General (2 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (1) General (2 (1) Advance from Contingency Fund of India for G-20 (2 (2 Corce) for Oxula				ments		0.01	(ঘd)	0.01		
पह पूरक अनुदाने निम्निलिखित हैंतु अपेक्षित हैं: जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रितेष्ठ (a) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ख) (i) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 (ii) अंपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (ii) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for Operation Ganga (* 155 core) (ii) Grants-in-aid General (* 14 core) and Grants-in-aid Salaries (* 6 crore) for organizing cultural events relating to G-20 seminars/meetings in respect of ICCR (iii) Grants for Creation of Capital Assets (* 9 crore) for (250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए प्रतिणी एपियोगत आस्तियों के सुजन के हिसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मंगा जाता है। (वा) अगुतान के							` '			
(क) जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के आकस्मिक निष्धि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (100 करोड रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ख) (i) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निष्धि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 summit (₹ 100 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (ii) अर्परेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निष्धि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 Suminari (₹ 165 crore) (iii) Grants-in-aid General (₹ 14 संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (१ करोड रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (६ करोड रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (६ करोड रूपये) भो के लिए पूजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना सक्वाय अग्रिम। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड रूपये)) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 अग्रिम। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक भागेता अग्रिम अग्रिम। अग्रिम अग्र										
प्रतिप्ति (100 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ख) (i) ऑपरेशन गंगा के लिए आरत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (155 करोड़ रूपये) (ii) आईसीसीआर के संबंध में जी-20 संगोछी/बैठकों से संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्ववियालय के लिए दक्षिणी एशियाई विश्ववियालय और अंशदान (250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) श्रुटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया धुगतान (6.28 करोड़ रूपये)) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ए) अुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ए) अुटान कर इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ए) अुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्ळू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (2) अुटान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (2) अुटान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (3) प्राप्त के अंतर्गत मंगेच्ळू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (2) स्वर्व के स्वर्व हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (3) अपलब्ध विवर के सांगा अपलब्ध विवर के प्रत्व के प्रत्व के प्रत्व के प्रत्व के सांवे के सुक्त के प्रत्व के स			+							
अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ख) (i) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्त (b) (i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for Operation Ganga (₹ 155 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 14 संबंधित सांस्कृतिक सागरीह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्ववियालय के लिए दक्षिणी एशियाई विश्ववियालय और अंशदान (250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) अहान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) अहान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (व) अहान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छ हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छ हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छ हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छ हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित मंगेच्छ हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रित	(4)		मारत क आकास्मक ।नाय स आग्रम का	(a)	·	rom Contingei	ncy Fund	of India for G-20		
(155 करोड़ रूपये) (ii) आईसीसीआर के संबंध में जी-20 संगोधी/बैठकों से संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा (250 करोड़ रूपये) के लिम्मीण कार्यकलामों के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन (250 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का बकाया (व्राव्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और उपलब्ध वात्र के ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपयोजना (14.65 करोड़ र		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	व्यत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक			-		e same section of		
(155 करोड़ रूपये) (ii) आईसीसीआर के संबंध में जी-20 संगोधी/बैठकों से संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा (14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा (250 करोड़ रूपये) के लिम्मीण कार्यकलामों के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन (250 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का बकाया (व्राव्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और उपलब्ध वात्र को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और उपलब्ध वात्र के ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपयोजना (14.65 करोड़ र	(ख)	(i) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत व	के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति	(b)	(i) recoupment of Advance	ce from Cont	ingency	Fund of India for		
संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोइ रूपये) और देनन सहायता अनुदान (6 करोइ रूपये) (iii) नालंदा (14 करोइ रूपये) और देनन सहायता अनुदान (6 करोइ रूपये) (iii) नालंदा (250 करोइ रूपये) के निर्माण कार्यकलापे के लिए पूजिगत आस्तियों के सृजन (250 करोइ रूपये) के निर्माण कार्यकलापे के लिए पूजिगत आस्तियों के सृजन (250 करोइ) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग (के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोइ रूपये))। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (व) भुगतान (6.28 करोइ रूपये))। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोइ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोइ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक करोइ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोइ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक करोइ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोइ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि प्रक्रिया जना (14.65 करोइ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोइ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि प्रक्रिय तथा कि ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक तथा कि ध्यान में रखते हुए सांकेतिक					Operation Ganga (₹ 155	crore) (ii) G	rants-in-a	nid General (₹ 14		
(14 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रूपये) (iii) नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय और अंशदान (250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का बकाया अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (य) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (व) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक करोड़ रूपये। के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक विश्वविद्यालय और उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक विवाद करोड़ रूपये। के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक विश्वविद्यालय और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक विश्वविद्यालय और अंशवात विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अंशवात विश्वविद्यालय अंशवात		संबंधित सांस्कृतिक समारोह के अ	ायोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान		crore) and Grants-in-aid S	alaries (₹ 6 c	rore) for	organizing cultural		
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय और अंशदान (250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया भुगतान (6.28 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के तिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Такіng into account the savings available in the same section of Bhutan. Такіng into account the savings available in the same section of Bhutan. Такіng into account the savings available in the same section of Bhutan. Такіng into account the savings available in the same section of					events relating to G-20	seminars/mee	etings in	respect of ICCR		
हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (है 250 crore) for Nalanda International University (iv) Other Administrative Expenses for Trilateral Development Co-operation under Special Programme (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (ह) उगल अनुदान के प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रक्ति प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रक्तिक प्रक मांगा जाता है। (ह) उगल अनुदान के प्रकार प्रका		अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए द	क्षिणी एँशियाई विश्वविद्यालय और अंशदान		(iii) Grants for Creation	of Capital	Assets	(₹ 9 crore) for		
के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (c) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक सिक्तिक पूरक मिग्रा आनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक सिक्तिक सिक्तिक पूरक सिक्तिक पूरक सिक्तिक सिक्तिक पूरक सिक्तिक स		(250 करोड़ रूपये) के निर्माण कार्य	कलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन		construction activities of S	South Asian l	Jniversity	and Contribution		
के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (c) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मिग्रा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक सिक्तिक पूरक मिग्रा आनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक सिक्तिक सिक्तिक पूरक सिक्तिक पूरक सिक्तिक सिक्तिक पूरक सिक्तिक स					(₹ 250 crore) for Nalan	da Internation	nal Unive	ersity (iv) Other		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (c) मुगतान (6.28 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Loans and Advances to Mangechhu Hydroelectric Project (₹ 14.65 crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of Bhutan. Bhutan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 व	_{करोड़} रूपये)।		Administrative Expenses	for Trilateral				
माँगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. (ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (c) remaining payment of Mangechhu Hydroelectric Project under Aid भुगतान (6.28 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक Bhutan. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक Taking into account the savings available in the same section of Bhutan. Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of the Saving into account the savings available in the Saving into acc		भनटान के दमी भाग में उपयन्धा	ग्चन को ध्यान में रखने दण मांकेनिक एउक		,	,	hle in the	e same section of		
(ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया (c) remaining payment of Mangechhu Hydroelectric Project under Aid भुगतान (6.28 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Таking into account the savings available in the same section of butan. Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of Taking into account the savings available in the same section of					•	•		Jame Section Of		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Loans and Advances to Mangechhu Hydroelectric Project (₹ 14.65 crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of Bhutan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Loans and Advances to Mangechhu Hydroelectric Project (₹ 14.65 crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of Bhutan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Loans and Advances to Mangechhu Hydroelectric Project (₹ 14.65 crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of Bhutan.	(ग) भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगे		च्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना का बकाया	(c)	remaining payment of Ma	-	-	Project under Aid		
(घ) भुटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65 (d) Loans and Advances to Mangechhu Hydroelectric Project (₹ 14.65 करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और उत्तराह के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	व्यत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		•	•		e same section of		
करोड़ रूपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रूपये) के लिए ऋण और crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of अग्रिम। Bhutan. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of	(ঘ)	· ·	मंगेच्छ् हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (14.65	(d)		-	_	ic Project (₹ 14.65		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of				• •						
· 4.		अग्रिम।			Bhutan.					
· 4.		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	वचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		Taking into account the s	avings availa	ble in the	e same section of		
			· ·		the Grant, a token supplen	nentary is sou	ght.			

मांग संख्या DEMAND NO 30 आर्थिक कार्य विभाग **DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

(केंद्रीय सर	कार की वर्ष 2022-2023 की 3	निदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये))					
		Grants of Central Government		2-2023)				
, , ,			•	•		(₹ करों	ਭ) (In ₹ crores)	
				भारित Charged	स्वीकृत Voted	(, , , , , ,	जोड़ Total	
l. मूल अन् द	ान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue		•••	6736.88		6736.88	
पूंजी		Capital			13189.92		13189.92	
जोड़		Total		•••	19926.80		19926.80	
इस समय आव	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now required:					
राजस्व		Revenue			575.43		575.43	
पूंजी		Capital			0.01		0.01	
जोड़		Total		***	575.44		575.44	
जोड़ (मूल और	र पूरक)	Total (Original plus Supplementary		20502.24	20502.24			
राजस्व		Revenue			7312.31		7312.31	
पूंजी		Capital			13189.93		13189.93	
~		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्षों के भंतर	र्गत दिखारा जारोगाः	.0.00.00			
		II. This Supplementary Grants will	be accounted for unde	er the following Major	Head			
		,		<i>भारित</i> ं	स्वीकृत		जॏड़	
	_	DEL/ENUE OFOTION		Charged	Voted		Total	
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष	/	REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	.		23.62	(कa)	23.62	
2416-कृषि वि		2416-Agricultural Financial Instituti		•••	14.40	(এb)	14.40	
	मामान्य आर्थिक सेवाएं	•			510.61	, ,	510.61	
	शों के साथ तकनीकी और आर्थिक	3605-Technical and Economic Co-		***	26.80	(ঘd)	26.80	
सहयोग	त्सा क साच सक्लाका आर आवका	Countries	operation with other				20.00	
जोड़ (राजस्व	भारत)	Total (Revenue Section)			575.43		575.43	
पजी भाग	onor)	CAPITAL SECTION			070.40		070.40	
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5466-अंतर्राष्ट्र	रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International F	Financial Institutions		0.01	(ਝe)	0.01	
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			575.44		575.44	
यह पूरक अन्	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary	y Grants are required	for:			
(क)		ी स्थापना से संबंधित व्यय (27.60 करोड़	(a) esta	blishment related ex	xpenditure of	Departm	nent of Economic	
	रूपये)।		Affa	irs Secretariat (₹ 27.6	0 crore).			
	अनुदान के पुंजी भाग में उपलब्ध ब	वचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के	Taki	ing into account the	savings availal	ole in the	Capital Section of	
	इसी भाग के बचत का उपयोग क	रने के पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय		Grant, and after utilisi				
	नहीं होगा।			Grant, the above expe				
(ख)	अंतर्राष्टीय कषि विकास निधि (आर्ड	एफएडी) में अंशदान (14.40 करोड़ रूपये)।		tributions to Internati			-	
` /	~ 2	,		AD) (₹14.40 crore).		5		
	अनदान के पंजी भाग में उपलब्ध उ	अभ्यर्पित बचत राशि को ध्यान में रखते हुए	,	ing into account the	surrender o	fsavings	s available in the	
		च्या में कोई करत च्या की होगा।	- Tuni					

तकनीकी पुरक मांगा जाता है। उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) अवसंरचना विकास- व्यवहार्यता अंतर-निधियन (671.80 करोड़ रूपये), स्वर्ण आरक्षित निधि (सॉवरेन स्वर्ण बॉड स्कीम 2015) (62 करोड़ रूपये) के लिए

(ঘ)

(ङ)

अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि के लिए पुरक मांगा जाता है। पुंजी भाग में उपलब्ध बचत पर विचार करते हए इसमें कोई नेकद व्यय नहीं होगा।

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएएस) (रणनीतिक विदेशी परियोजना के लिए रियायती वित्तपोषण) के अंतर्गत ऋण सीमा हेत् ब्याज समीकरण सहायता (20 करोड़ रूपये), एससीओ बैठक के लिए व्यय (4.26 करोड़ रूपये) और वैश्विक पर्यावरण स्विधा के लिए अंशदान (9.50 करोड़ रूपये)।

अनदान के पंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए और अनदान के इसी भाग के बचत का उपयोग करने के पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्नःनिर्माण और विकास बैंक में सदस्यता हेत् सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए भुगतान (20.55 करोड़ रूपये) और चुनिंदा पूंजी वृद्धि (एससीआई) के लिए भ्गतान (7.13 करोड़ रूपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक पुरक मांगा जाता है।

Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail cash outgo.

assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding (₹671.80 crore), Gold Reserve Fund (Sovereign Gold Bond Scheme 2015) (₹62 crore),

Taking into account the savings available in the same section of the Grant supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo considering the savings available in the capital section.

interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) (Concessional Financing for Strategic Overseas Projects) (₹20 crore), Expenditure for SCO meetings (₹ 4.26 crore) and Contribution for Global Environment Facility (₹.9.50 crore),

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

payment for General Capital Increase (GCI)(₹20.55 crore) and payment for Selective Capital Increase (SCI) (₹7.13 crore) towards Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

						(₹ करोड़) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुद	रान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			1102.71		1102.71
पूंजी		Capital			6072.06		6072.06
जोड़		Total			7174.77		7174.77
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the ar	mount now requ	uired:			
राजस्व		Revenue		0.65	261.48		262.13
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total		0.65	261.49		262.14
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplemental	ry)	0.65	7436.26		7436.91
राजस्व		Revenue		0.65	1364.19		1364.84
पूंजी		Capital			6072.07		6072.07
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्ना	लेखित मख्य शीष	र्गें के अंतर्गत दिखाया जायेगा			
		II. This Supplementary Grants/Ap				or Heads:	
		, , .		भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	T	REVENUE SECTION		· ·			
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Service	es.	0.65	(क a)		0.65
	मशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Service			10.77	(खb)	10.77
	जेक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare			96.94	(गc)	96.94
	और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries			153.77	(घd)	153.77
जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)		0.65	261.48	(0)	262.13
पूंजी भाग	,	CAPITAL SECTION		0.00			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
-	और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Ind	ustries and Min	perale	0.01	(ਝe)	0.01
जोड़ (पूरक)	जार खाराजा गर जार में रूजा गर रचम	Total (Supplementary)	astrics and iviii	0.65	261.49	(30)	262.14
		- 7					
यह पूरक अनुः (क)	दाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित भारत के उच्चातम न्यायालय के आर्ट	। हः १श के अनुपालन में औद्योगिक और वितीय	The supplen (a)	nentary Grants/Appropria making payment of o	· ·		o casual labour
(47)		नैमितिक श्रमिक कर्मचारियों को देय राशि	(a)	employees of the Boa		_	
	और बकाया मजदूरी का भुगतान करन			(BIFR) in compliance			
		 ध्यान में रखते ह्ए, उपरोक्त व्यय में नकद		Taking into account the	•		
	परिवयय शामिल नहीं होगा;	ज्यान में रखरा हुर, उनरात ज्यय में मन्य		above expenditure wil	=		roted Section, the
(ख)		ना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	meeting additional e			nditure of Debts
(G)	25-1 a (fell a al all a 1/4-11 a / 41 a	ा राजवा आसारता व्यव यम मूरा यम्रवाम	(b)	Recovery Tribunals.	stabilistifficiti. Tele	ileu expe	nature of Debts
	भनटान के पंजीगत भाग में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय		Taking into account the	ne savings availal	ole in the (Canital Section of
	में नकद परिव्यय शामिल नहीं होगा:	44(1) 11 -41-101 (4(1) 6(1) 6(1)		the Grant, the above	=		· ·
(ग)		न वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के	(c)	(i) reimbursement of	-		=
(-/	_	करोड़ रुपये), (ii) अटल पेंशन योजना के	(-)	Citizens under Varish	-		
		i (2.99 करोड़ रुपये), (iii) अटल पेंशन		(ii) promotional cam		-	
		2 करोड़ रुपये), (iv) स्वावलंबन योजना के		(₹ 2.99 crore), (iii) ga			
	लिए सरकारी सह-योगदान (1.31 कर			crore), (iv) Governme			
	• • •			(₹ 1.31 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में बचत के	उपयोग और अनुदान के पूंजीगत भाग में		Taking into account ut	ilisation of saving	s within th	e same section of
		र, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल		the Grant and savings	_		
	नहीं होगा।			the above expenditure			
(ঘ)	तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निर्व (254.99 करोड़ रुपये)।	धे को जारी की गई प्रतिभूतियों का शोधन	(d)	redemption of securit		essed As	sets Stabilisation
		उपयोग और अनुदान के पूंजीगत खंड में		Taking into account ut		s within th	e same section of
		र, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल		the Grant and savings			
	नहीं होगा।	-,		the above expenditure			cash of the Grafft,
(량)		00 करोड़ रुपये) की शेयर पूंजी के लिए	(e)	subscription to the sh		•	ance Corporation
(-)	अंशदान।		(~)	of India (₹ 400 crore).	a.o oapitai oi illu	aouiui i ili	and dorporation
	-	ात को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account t	he savinos availa	ble in the	same section of
	की मांग की जाती है			the Grant, a token sup	=		230 0000011 01
				5.4, 4 (5)(6)7 544	p. 5	J	

मांग संख्या DEMAND NO 33

लोक उद्यम विभाग DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: . राजस्व Revenue 30.00 30.00 पुंजी Capital जोड 30.00 30.00 Total Supplementary Estimate of the amount now required: इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व 3.00 3.00 Revenue पूंजी Capital 150.00 150.00 जोड Total 153.00 153.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 183.00 183.00 राजस्व Revenue 33.00 33.00 ... पूंजी Capital 150.00 150.00 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड़ भारित Charged Total Voted राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं (कa) 3.00 3451-Secretariat-Economic Services 3.00 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4875-Capital Outlay on Other Industries 150.00 150.00 (खb) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 153.00 153.00 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को विशिष्ट उद्देश्य माध्यम (3.00 करोड़ रुपये) के (क) meeting additional expenditure towards the incorporation of रूप में शामिल करने की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पुरा करना। National Land Monetization Corporation as a Special Purpose Vehicle (₹ 3.00 crore). उपरोक्त व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के The above expenditure will entail a cash outgo for recoupment of लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी। advance from Contingency Fund of India. राष्ट्रीय भूमि मद्रीकरण निगम को वाणिज्य योगदान के लिए अतिरिक्त व्यय को (ख) meeting additional expenditure towards equity contribution to पुरा करना (150.00 करोड़ रुपये)। National Land Monetization Corporation (₹ 150.00 crore). .. उपरोक्त व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के The above expenditure will entail a cash outgo for recoupment of लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी। advance from Contingency Fund of India.

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये) (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(See page	38 of the Deman	ds for Grants of Central Government	for the year	2022-2023)			
						(₹ क	रॉड़) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जৗड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदाव	7 :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			227548.22		227548.22
पूंजी		Capital			4.30		4.30
जोड़		Total			227552.52		227552.52
इस समय आवश	यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:	*	required:					
राजस्व		Revenue			19698.49		19698.49
पूंजी		Capital			30.00		30.00
जोड़		Total			19728.49		19728.49
जोड़ (मूल और प	गूरक)	Total (Original plus Supplementary)			247281.01		247281.01
राजस्व		Revenue			247246.71		247246.71
पूंजी		Capital		•••	34.30		34.30
"		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be account			lead		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		•			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 2047-अन्य राज	कोषीरा मेताएं	2047-Other Fiscal Services			0.01	(कa)	0.01
2875-अन्य उद्य		2875-Other Industries			37.11	(ন্যু) (खb)	37.11
				•••		` '	
	कारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments			14075.71	(गc)	14075.71
अनुदान							
3602-संघ राज्य	र क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Govern	ments		5585.66	(घd)	5585.66
सहायता अनुदा	न						
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			19698.49		19698.49
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059-लोक निर	र्नाण कार्यो पर	4059-Capital Outlay on Public Works			30.00	(ਭ e)	30.00
पूंजीगत परिव्य	•					()	
जोड़ (पूरक)	7	Total (Supplementary)			19728.49		19728.49
आइ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	19720.49		19720.49
			अनमानों में नीचे :	दर्शार्द गयी वसलियों व	ने शामिल नहीं किया	गया है जिन्हें	ट्यय में मे
		घटाकर समायोजित किया जाता है !	0.13	44		((
		Note: The above estimates of additional requ	irements do no	t take into account	the recoveries sho	own below,	which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2070-अन्य प्रश	गसनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			(-)0.95		(-)0.95
2875-अन्य उद्		2875-Other Industries			(-)37.11		(-)37.11
	कारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments			(-)6993.33		(-)6993.33
अनुदान	· •				.,		• •
	र क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Govern	ments		(-)2668.67		(-)2668.67
सहायता अनुदान	न						
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)		•••	(-)9700.06		(-)9700.06
यह पूरक अनुदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेर्ा		The supplem	nentary Grants are	required for:		
(क)		और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी 0.08 करोड़ रुपये)	(a)	meeting addition	nal release of Gra	ants-in-Aid	Salaries to National
	की वेतन सहायताअनु						P ₹ 0.08 crore) and
		करोड़ रुपये) को पूरा करना।		additional exper	diture of Enforcen	nent Directo	rate (₹ 41.33 crore).
		उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		=	=		the same section of
(—)	की मांग की जाती है।				n supplementary i		
(ख)		दन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (40.89 करोड़ रुपये)	(b)	=	· ·	ent (₹ 40.	89 crore) for higher
	को पूरा करने के लिए।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		alkaloid producti			
		र्भ उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों और बचत को ध्यान में					and saving available
(TT)	रखते हुए, इसमें नकद व		(-)		ion of the grant, th		
(ग)		में अतिरिक्तअंतरण (7083 करोड़ रुपये) और राज्यों को	(c)				d (₹ 7083 crore) and
	जारी राशि (6993.33 क	হাই হরন)।		releases to State	es (₹ 6993.33 crore	÷).	

	अनुदान और अतिरिक्त प्राप्तियों (47 करोड़ रुपये) और अतिरिक्त वसूली (6994.28 करोड़ रुपये) के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 7034.43 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the grant and additional receipts (₹ 47 crore) and additional recovery (₹ 6994.28 crore), this will entail cash outgo of ₹ 7034.43 crore.
(ঘ)	जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (2917.99 करोड़ रुपये) और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी (2668.67 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 2916.99 करोड़ रुपये का	(d)	additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 2917.99 crore) and releases to UTs (₹ 2668.67 crore). Taking into account the additional recoveries, this will entail cash
	नकद व्यय शामिल होगा।		outgo of ₹ 2916.99 crore.
(ទ)	प्रवर्तन निदेशालय के लिए भूमि और तैयार कार्यालय आवास की खरीद।	(e)	purchase of land and ready built office accommodation for
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		Enforcement Directorate. The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर **DIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

						(₹ करोड़) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जৗड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान	<i>T:</i>	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			8866.80		8866.80
पूंजी		Capital			442.00		442.00
जोड़		Total		,,,	9308.80		9308.80
इस समय आवश्	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now requ	ired:			
राजस्व		Revenue					
पूंजी		Capital		***	229.72		229.72
जोड़		Total		***	229.72		229.72
जोड़ (मूल और पृ	रक)	Total (Original plus Supplementary	<i>(</i>)		9538.52		9538.52
राजस्व		Revenue			8866.80		8866.80
पूंजी		Capital		***	671.72		671.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will			Head		
				भारित	स्वीकृत		जৗड़
				Charged	Voted		Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	णि कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Wor	ks		69.72	(क a)	69.72
4216-आवास पर	र पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			160.00	(खb)	160.00
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		***	229.72		229.72
यह पूरक अनुदान	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplem	nentary Grants are required f	or:		
(क)		मरम्मत और नवीनीकरण और निर्माण	(a)	acquisition, repair & renov	ation and cons	struction	of office buildings
	(69.72 करोड़ रुपये)			(₹ 69.72 crore)			
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल ह			The above expenditure wi	l entail a cash	outgo;	
(ख)	भूमि का अधिग्रहण और आवासीय भ		(b)	acquisition of land and co	nstruction of re	esidential	buildings.
	अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते			Taking into account the	surrender of	savings	available in the
	हुए, 52.63 करोड़ रुपये के नकद व्यर	I की आवश्यकता होगी।		Revenue Section of the G	rant, this will e	ntail cash	n outgo of ₹ 52.63
	-			crore.			

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

				(m(15) (III (CIUIES	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		39739.17	39739.17	
पूंजी	Capital		1400.00	1400.00	
जोड़	Total		41139.17	41139.17	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी जोड़	Capital				
	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		41139.18	41139.18	
राजस्व	Revenue		39739.18	39739.18	
पूंजी	Capital		1400.00	1400.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs		0.01	0.01	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल योजना) बकाया के एकमुश्त भुगतान के रूप में 208.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

additional requirement of ₹ 208.92 crore under Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL scheme) as One Time Payment of Arrears .

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores,
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2093.90	2093.90
पूंजी जोड़	Capital	***	24.57	24.57
जोड़	Total		2118.47	2118.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी जोड़	Capital			
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2118.49	2118.49
राजस्व	Revenue		2093.92	2093.92
पूंजी	Capital	···	24.57	24.57
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2 405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मतस्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि के तहत (i) सहायता अनुदान सामान्य (7 करोड़ रुपये) (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) (2 करोड़ रुपये) और (iii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) (1 करोड़ रुपये) हेतु । अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) मत्स्य पालन और एक्वाकल्चरअवसंरचना विकास निधि, के तहत (i) 1 करोड़ रु. की राशि का सामान्य सहायता अनुदान, (ii) एससीएसपी के लिए 0.20 करोड़ रु. और (iii) टीएएसपी के लिए 0.20 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

 (i) Grants-in-aid General (₹ 7 crore), (ii) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 2 crore) and (iii) for Tribal Area Sub Plan (TASP)
 (₹ 1 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 1 crore), (ii) for SCSP (₹ 0.20 crore) and (iii) for TASP (₹ 0.20 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund.

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(15) (111 \ CIUIES)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4232.80	4232.80
पूंजी	Capital	***	56.04	56.04
जोड़	Total	···	4288.84	4288.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4288.85	4288.85
राजस्व	Revenue		4232.81	4232.81
पूंजी	Capital	***	56.04	56.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पश् पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	0.01
3				

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान (रु. 2.78 करोड़), (ii) वेतन सहायता अनुदान (रु. 2.20 करोड़) (iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति (5 करोड़ रु.) के सृजन के लिए अनुदान(iv) पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid General (₹ 2.78 crore),(ii) for Grants-in-aid-Salary (₹ 2.20 crore), (iii) for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under Veterinary Council of India and (iv) Grants-in-aid General under Livestock Census and Integrated Sample Survey (₹ 5 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2941.99	2941.99
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total		2941.99	2941.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total	***	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2942.01	2942.01
राजस्व	Revenue		2942.01	2942.01
पूंजी	Capital	***		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए आधारभूत संरचना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएएसपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (6.00 करोड़ रुपये)।

(ii) अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष घटक योजना (0.73 करोड़ रुपये) और टीएएसपी (2.85 करोड़ रुपये) के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड श्रंखला के निर्माण के लिए योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना हेतु योजना के तहत 'पूर्वीतर क्षेत्र (एनईआर)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (6.90 करोड़ रुपये)

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub Plan (TASP) under Infrastructure for Agro Processing Cluster (₹ 6.00 crore),

(ii) Grants-in-aid General for Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) ($\stackrel{?}{}$ 0.73 crore) and (iii) for TASP ($\stackrel{?}{}$ 2.85 crore) under Scheme for Creation of Backward and Forward Linkages.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for 'North Eastern Region (NER)' under Scheme for Infrastructure for Agro Processing Cluster (₹ 6.90 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		भारित			
		मारत	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		107825.41		107825.41
ज़ी	Capital		5632.57		5632.57
ोड़	Total		113457.98		113457.98
स समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
नुमान:	required:				
जस्व -	Revenue	***	0.06		0.06
जी	Capital		0.02		0.02
ोड़	Total	***	0.08		0.08
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	113458.06		113458.06
जस्व	Revenue	•••	107825.47		107825.47
नी	Capital		5632.59		5632.59
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
 छय शीर्ष	MAJOR HEAD				
)71-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	2071-Pensions and other Retirement Benefits		0.01	(कa)	0.01
ाभ -				, ,	
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(खb)	0.01
211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(गc)	0.01
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(घd)	0.01
601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(ङ e)	0.01
नुदान					
506-सहायता सामग्री और	3606-Aid Materials and Equipment		0.01	(च f)	0.01
नस्कर					
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.06		0.06
जी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	•••	0.01	(<u>छ</u> g)	0.01
र पूंजी परिव्यय				. •	
216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(जh)	0.01
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	***	0.02	, ,	0.02
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.08		0.08
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में ब घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do adjusted in reduction of expenditure.				
ज र व भाग	·				
	REVENUE SECTION		()4000 1=		()4000 :=
606-सहायता सामग्री और	3606-Aid Materials and Equipment		(-)1098.47		(-)1098.47

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ (पीओआरबी) (1995 करोड़ रुपये) अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 1744 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख)
1) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 706.03 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 577.74 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 1173.70 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान। (4) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम-कंडोम की आपूर्ति योजना के तहत आपूर्ति और सामग्री (47.70 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Pension & Other Retirement Benefits (PORB) (₹ 1995 crore)

 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought to regularize excess expenditure of ₹ 1744 crore.
 - 1) Grants in Aid General of ₹ 706.03 crore under the various Schemes/Institutions (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 577.74 crore under the various Schemes/Institutions (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 1173.70 crore under the various Schemes/Institutions and (4) Supplies and Materials under the scheme National AIDS and STD control programme-Supply of Condoms (₹ 47.70 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 46.94 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

- (ग) 1) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 10.64 करोड़ रुपये का सामान्य (c) सहायता अनुदान। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 0.10 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 2.72 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) 1) (i) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों और (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 167.54 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान (25.87 करोड़)। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत 309.38 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 51.11 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान (4) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आपूर्ति और सामग्री-कंडोम की आपूर्ति (5.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 13.55 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

(इ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुद्दक्षेकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (ईएपी) के लिए फ्लेक्सिबल पूल योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1056.15 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 12.14 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

(च) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए सामग्री सहायता के लिए अन्य संविदात्मक सेवाएं (1098.47 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(छ) (1) योजना के तहत मशीनरी और उपकरण (i) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (7 करोड़ रुपये), (ii) केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (0.23 करोड़ रुपये), (iii) केंद्रीय मनिषकित्सा संस्थान, रांची (5 करोड़ रु.) (iv) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और नई दिल्ली (40 करोड़ रुपये), (v) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (104.58 करोड़ रुपये) (2) योजना के तहत मोटर वाहन (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (0.15 करोड़ रुपये), और (ii) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (0.03 करोड़ रुपये) और (3) योजना के तहत प्रमुख कार्य (i) डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (60 करोड़ रुपये), (ii) आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली (18.43 करोड़ रु.), (iii) रक्त आधान सेवाएं - केंद्र क्षेत्र परियोजना, मेट्रो ब्लड बैंक (25 करोड़ रु.) और (iv) केंद्रीय मनिष्विकित्सा संस्थान, रांची (2 करोड़ रु.)

(ज)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

केंद्रीय मनिश्विकित्सा संस्थान, रांची योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य (1 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of \ref{thm} 46.94 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.

- 1) Grants in Aid General of ₹ 10.64 crore under the various Schemes/Institutions (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 0.10 crore under the various Schemes/Institutions and (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 2.72 crore under the various Schemes/Institutions Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- 1) Grants in Aid General of ₹ 167.54 crore under (i) various Schemes/Institutions and (ii) National Health Mission ₹ 25.87 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 309.38 crore under the various Schemes/Institutions (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 51.11 crore under the various Schemes/Institutions and (4) Supplies and Materials under the scheme National AIDS and STD control programme-Supply of Condoms (₹ 5.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of ₹ 13.55 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.

Grants in aid General under the scheme National Health Mission - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (EAP) (₹ 1056.15 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of ₹ 12.14 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.

Other Contractual Services for Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication (₹ 1098.47 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Machinery & Equipment under the scheme (i) Central Drugs Standard Control Organization (₹ 7 crore), (ii) Central Government Health Scheme (₹ 0.23 crore), (iii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 5 crore) (iv) Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kripalani Hospital & New Delhi (₹ 40 crore), and (v)Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 104.58 crore) (2) Motor Vehicle under the scheme (i) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 0.15 crore), and (ii) Central Research Institute Kasauli (₹ 0.03 crore) and (3) Major Works under the scheme (i) Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 60 crore), (ii) RAK College of Nursing, New Delhi (₹ 18.43 crore), (iii) Blood Transfusion Services - Center Sector Project, Metro Blood Bank (₹ 25 crore) and (iv) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 2 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 1 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये) (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

						(₹ करॉड़	r) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदाव	<i>न:</i>	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			3200.65		3200.65
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			3200.65		3200.65
इस समय आवश	थ्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requir	ed:			
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल और प	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			3200.67		3200.67
राजस्व		Revenue			3200.67		3200.67
पूंजी		Capital		•••			
		II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिरि	वेत मुख्य शीर्षी वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be			ead		
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	। और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health			0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षे	त्रि	2552-North Eastern Areas			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			0.02		0.02
यह पूरक अनुदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplem	nentary Grants are required for	or:		
(क)	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	द की योजना के तहत अनुदान सहायता	(a)	Grant-in-Aid Salaries und	er the scher	me of Ir	ndian Council for
	वेतन (10 करोड़ रुपये			Medical Research (₹ 10 cro	ore)		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बच	त को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	•		same section of
	की मांग की जाती है।			the Grant, a token supplem	entary is sou	ght.	
(ख)		द की योजना के तहत अनुदान सहायता	(b)	Grant-in-Aid Salaries und		me of Ir	ndian Council for
	वेतन (1 करोड़ रुपये)			Medical Research (₹ 1 cror	•		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बच	ात को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	-		same section of
	की मांग की जाती है।।			the Grant, a token supplem	nentary is sou	ght.	

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उद्योग विभाग MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

उद्यमों को सहायता' योजना के तहत ऋण और अग्रिम (43.97 करोड़ रुपये)।

की मांग की जाती है।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(See page	53 of the Demands for	Grants of Central Government for	or the year	2022-2023)					
							(₹ करोड़)) (In ₹ c.	rores)
					भारित	स्वीकृत		जॊड़	
					Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदाव	न:	I. ORIGINAL GRANT:							
राजस्व		Revenue				3213.79		3213.79	
पूंजी		Capital				92.21		92.21	
जोड़		Total				3306.00		3306.00	
इस समय आवध	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	ınt now requir	red:					
राजस्व	, 3	Revenue				0.02		0.02	
पूंजी		Capital				0.01		0.01	
जोड़		Total				0.03		0.03	
जोड़ (मूल और प	पुरक)	Total (Original plus Supplementary)				3306.03		3306.03	
राजस्व		Revenue				3213.81		3213.81	
पूंजी		Capital				92.22		92.22	
^		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	ोन माद्या शीर्षी दे	के अंतर्गत टिखारा	 1 जारोगाः	·			
		II. This Supplementary Grants will be				Head			
		ii. This supplementary status will be	accounted to	ander the fell	भारित	स्वीकृत		जॊड	
					Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				7 5.52			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
	य- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services				0.01	(कa)	0.01	
2852-उद्योग	प- आपिका राषार	2852-Industries				0.01	(प [,] a) (खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भ	Tar\	Total (Revenue Section)			•••	0.01	(GD)	0.01	
पूंजी भाग	101)	CAPITAL SECTION			•••	0.02		0.02	
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
	उद्योगों के लिए ऋण					0.01	(TIO)	0.01	
	उचाना क लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	•			0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			***	0.03		0.03	
यह परक अनदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants	are required	for:			
(क)	सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न स	थापना व्यय (2.80 करोड़ रुपये)।	(a)	-	-	Expenditure	(₹ 2.80	crore)	under
. ,		, ,	,	Secretariat.		•	,	,	
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into	account the	savings availa	ble in the	same sed	ction of
	की मांग की जाती है	3 "		-		mentary is sou			
(ख)	(i) 'भारत में हाइब्रिड एंड विद्युत	न चलित वाहनों (एफएएमई-इंडिया) का शीघ्र	(b)	(i) Various	Establishme	ent Expenditu	- re (₹ 23.	28 crore	e) and
	अनुकूलन और विनिर्माण योजना	-' योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थापना व्यय		Subsidies (₹	1900.00 cro	re) under the s	scheme 'Sc	heme for	Faster
		डी (1900.00 करोड़ रुपये), (ii) ऑटोमोबाइल		Adoption and	d Manufactur	ing of Hybrid a	nd Electric	Vehicle	in India
	एंड ऑटो कंपोनेंट्स' योजना के लि	रेए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई)		- (FAME-Inc	dia)′, (ii) Var	ious Establish	ment Expe	enditure ((₹ 7.74
		स्थापना व्यय (7.74 करोड़ रुपये) और		crore) unde	r the schei	me 'Productio	n Linked	Incentive	e (PLI)
	(iii) 'ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्ये	ोगों के लिए विकास परिषद ' योजना के तहत		Scheme for	Automobiles	and Auto Com	ponents' ar	nd (iii) Gra	ants-in-
	सामान्य सहायता अनुदान (1.00	करोड़ रूपये)।		aid General	(₹ 1.00 crore)	under the sch	eme 'Deve	lopment	Council
	5 ·				ile and Allied				
	अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक		Taking into	account the	savings availa	ble in the	same sed	ction of
	की मांग की जाती है	3 "		the Grant, a	token supple	mentary is sou	ght.		
(ग)	भारत की आकस्मिकता निधि की	ो प्रतिपूर्ति के लिए 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के	(c)	Loans and A	dvances (₹ 4	3.97 crore) un	der the sch	eme 'Su	pport to
•				0					

Central Public Sector Enterprises' for recoupment of Contingency

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

Fund of India.

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

की मांग की जाती है।

की मांग की जाती है।

(ঘ)

"राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)" योजना के लिए

केंद्रीय क्षेत्र योजना से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए स्थानांतरण श्रेणी (270.00

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(केंद्रीय सर	कार की वर्ष 2022-2023 की अन्	नुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये))					
		ants of Central Government f		2022-2023)				
\ 10			,	,			(₹ करोंद	·) (In ₹ crores)
				भारि) _न	स्वीकृत	((4/(1)	<i>ਗੋ</i> ड਼
				Char		Voted		Total
। ग्रस्त भवत	na·	I. ORIGINAL GRANT:		Onar	yeu	Volca		Total
<i>I. मूल अनुद</i> राजस्व	107.	Revenue		,	0.03	7384.59		7384.62
पूंजी		Capital		· ·		236.38		236.38
्रे ^{जा} जोड		Total		,	 2.03	7620.97		7621.00
•	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	mount now rea			1020.31		7021.00
राजस्व	arra (m. m. Kraenigama	Revenue		4		0.04		0.04
पूंजी		Capital				0.02		0.02
जोड़		Total				0.06		0.06
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplementa	ry)	<i>i</i>	0.03	7621.03		7621.06
राजस्व		Revenue		<i>(</i>	0.03	7384.63		7384.66
पूंजी		Capital				236.40		236.40
^		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निर्म्ना	लिखित मख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जा	येगा.			
		II. This Supplementary Grants wi				Head		
		то серрения, стана		भारि		स्वीकृत		जॊड़
				Char	ged	Voted		Total
राजस्व भाग	τ	REVENUE SECTION		`				
	•							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052-सचिवा	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Service	es			0.01	(कa)	0.01
2070-अन्य प्र	ग्शासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Service	es			0.01	(खb)	0.01
2245-प्राकृति	क आपदा राहत	2245-Relief on account of Natura	I Calamities			0.01	(गc)	0.01
3601-राज्य र	मरकारों को सहायता अन्दान	3601-Grants-in-aid to State Gove	ernments			0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)				0.04	(- /	0.04
· ·	•11•1)	•			•••	0.04		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4070-अन्य प्र	शासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Ad	ministrative Se	ervices		0.01	(ङ e)	0.01
4250-अन्य र	नामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Soc	cial Services			0.01	(चf)	0.01
जोड़ (पूंजी भा	 ग)	Total (Capital Section)				0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	•	Total (Supplementary)				0.06		0.06
راب (بردار)		rotal (Supplementary)			•••	0.00		0.00
यह परक अन	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	mentary Grants are re	auired fo	or:		
(क)	शत्रु संपति का अभिरक्षक - कार्याल	नय व्यय के तहत सर्वेक्षण (0.25 करोड़	(a)	Custodian of Ener			y under	Office Expenses
	रुपये)।	<u> </u>		(₹ 0.25 crore).	. 4 4 1			
	अनुदान के इसा खंड में उपलब्ध बचा की मांग की जाती है।	तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into accour		•		same section of
(Tal)	• •	विच आगोग वेचच (०६६ स्मोर सामे)	(b)	the Grant, a token s		-		(LITa) Salarias
(ख)		वित आयोग - वेतन (0.66 करोड़ रुपये), येक सेवाएं (0.14 करोड़ रुपये), एकम्शत	(b)	(i) Finance Comn(₹ 0.66 crore), D.T				
		वसायिक सेवा के तहत राजभाषा (रु. 0.02		crore), Lump sum				
	करोड़) और (iii) पुलिस पदक – अन्य			under Professiona	•	•	, , , ,	
	17(19) 5117 (111) 317 (111) 515 4	3(1) (0.00 11(0 (.))		Other Charges- (₹		-	o) and (iii) i diidd ividdai
	अनदान के इसी खंड में उपलब्ध बच	तों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक		Taking into accour		•	ole in the	same section of
	की मांग की जाती है।			the Grant, a token		-		
(ग)	•	न्य प्रशासन - रसद की लागत (6.00 करोड़	(c)	(i) National Disast				I Administration –
		इ रुपये), (ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष -	• •	Cost of Ration (₹ 6				
		और उपकरण का रखरखाव - अल्प कार्य		(ii) National Disast				
		ष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना		Disaster Response				
		ज्द्रीय क्षेत्र योजना से केंद्र प्रायोजित योजना		Works (₹ 0.70		-		
	के लिए स्थानांतरण श्रेणी(30.00 करो	ाड़ रुपये।		"National Cyclone				
				Sector Scheme to 0	Centrally	Sponsored S	Scheme(₹	30.00 crore).
		तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into accour	nt the sa	avings availat	ole in the	same section of
	की मांग की जाती है।	-		the Grant a token	sunnlam	ontany is sour	tht	

the Grant, a token supplementary is sought.

the Grant, a token supplementary is sought.

Sponsored Scheme(₹ 270.00 crore).

shifting category for scheme "National Cyclone Risk Mitigation

Project (NCRMP)" from Central Sector Scheme to Centrally

Taking into account the savings available in the same section of

- (ङ) (i) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के लिए मोटर वाहनों के तहत मोटर (e) वाहनों की खरीद (8.67 करोड़ रुपये) और (ii) मशीनरी और उपकरण के तहत लंबित दावों का निपटान (1.16 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रमुख कार्यों के तहत कार्यालय भवन (6.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (i) procurement of Motor Vehicles for National Fire Service College under Motor Vehicles (₹ 8.67 crore) & (ii) clearing pending claims under Machinery & Equipment (₹ 1.16 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- National Institute of Disaster Management Office Building under Major Works (₹ 6.10 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ क	रॉड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1202.22	1202.22
पूंजी	Capital		508.82	508.82
जोड़	Total	•••	1711.04	1711.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1711.05	1711.05
राजस्व	Revenue		1202.23	1202.23
पूंजी	Capital		508.82	508.82
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाः	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fol	lowing Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय - तालमेल परियोजना (26.73 करोड़ रूपये) (ii) अन्य प्रशुल्क के अंतर्गत वीवीआईपी के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र हवाई यात्रा संचालन (263.30 करोड़ रूपये) (iii) - "अन्य प्रशुल्क" के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए (9.50 करोड़ रूपये)। इसमें भारत के आकस्मिकता निधि से 15.16 करोड़ रूपये की अग्रिम वसूली शामिल है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्धे बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i) O/o Principal Scientific Adviser - Synergy Project under Grants-in-Aid(GiA)- General (₹ 26.73 crore), (ii) Special Extra Session Flight Operations for VVIP under Other Charges (₹ 263.30 crore) and (iii) National Security Council Secretariat -National Security under Other Charges (₹ 9.50 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 15.16 crore drawn from Contingency Fund of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(Occ page of of the Demands for e	rants of octilial devertificant for the year 2022 2	020)			_
				<i>(₹ कर</i>	ोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	7.78	108498.01		108505.79
पूंजी	Capital	6.57	10521.98		10528.55
जोड़	Total	14.35	119019.99		119034.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue	***	2982.36		2982.36
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01
जोड़	Total	•••	2982.37		2982.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>14.35</i>	122002.36		122016.71
राजस्व	Revenue	<i>7.78</i>	111480.37		111488.15
पूंजी	Capital	6.57	10521.99		10528.56
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	Γ:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police		2982.34	(कa)	2982.34
3601-राज्य सरकारों को सहायता अन् दा न	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(खb)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(गc)	0.01
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		2982.36		2982.36
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (पूरॅक)	Total (Supplementary)		2982.37		2982.37

यह पुरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(i) विज्ञापन और प्रचार (रु. 1.12 करोड़), शस्त्र और गोला-बारूद- (रु. 1.45 करोड़); कपड़े और टेंटेज - (95.61 करोड़ रुपये); राशन की लागत-(670.80 करोड़ रुपये); डीटीई-(762.36 करोड़ रुपए); एफटीई (5.13 करोड़ रुपये); पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अन्दान - (22.03 करोड़ रुपये); सहायता अनुदान (जीआईए)- सामान्य (833.16 करोड़ रुपये), जीआईए- वेतन- (0.41 करोड़ रुपये), चिकित्सा उपचार- (148.50 करोड़ रुपये); लघु कार्य-(44.55 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय-(414.31 करोड़ रुपये); अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई) (21.31 करोड़ रुपये), अन्य शुल्क (109.81 करोड़ रुपये), पीओएल- (129.02 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएं- (787.62 करोड़ रुपये), प्रकाशन- (2.52 करोड़ रुपये) , किराया, दर और कर - (3.46 करोड़ रुपये), प्रस्कार - (1.03 करोड़ रुपये), ; वेतन (2833.97 करोड़ रु.), ग्प्त सेवा व्यय (9.50 करोड़ रु.); आपूर्ति और सामग्री (0.30 करोड़ रु.), भत्ते (1.71 करोड़ रु.), (ii) विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) पुंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान के तहत (5.00 करोड़ रु), ओएई (0.01 करोड़ रु.),व्यावसायिक सेवाएं (0.02 करोड़ रु.) (iii) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)/स्वच्छता लघ् कार्यों के तहत (1.00 करोड़ रु.), अन्य शुल्क (2.00 करोड़ रु.) और कार्यालय व्यय- (2 करोड़ रु.)। इसमें भारत की ऑकस्मिकता निधि से 24.61 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 1600 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 1382.34 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय होगा।

(i) पूंजीगत संपत्ति के सृजन के तहत विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम (वीवीपी) के लिएअनुदान के तहत (29.97 करोड़ रु.) और (ii) जीआईए-सामान्य के तहत (64.75 करोड़ रु.) सुरक्षा संबंधी व्यय (एनई)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 29.97 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Advertising & Publicity(₹ 1.12 crore), Arms & Ammunition-(₹ 1.45 crore); Clothing & Tentage-(₹ 95.61 crore); Cost of Ration-(₹ 670.80 crore); DTE-(₹ 762.36 crore); FTE(₹ 5.13 crore); Grants for creation of capital assets-(₹ 22.03 crore); Grants in Aid (GiA)-General(₹ 833.16 crore), GIA-Salaries-(₹ 0.41 crore), Medical Treatment(₹ 148.50 crore); Minor Works(₹ 44.55 crore), Office Expenses-(₹ 414.31 crore); Other Administrative Expenses (OAE)(₹ 21.31 crore), Other Charges-(₹ 109.81 crore), P.O.L-(₹ 129.02 crore), Professional Services-(₹ 787.62 crore), Publications-(₹ 2.52 crore), Rent, Rate & Taxes-(₹ 3.46 crore), Rewards-(₹ 1.03 crore), Salaries (₹ 2833.97 crore), Secret Service Expenditure(₹ 9.50 crore); Supplies & Material(₹ 0.30 crore), Wages(₹ 1.71 crore), (ii) Village Vibrant Programme (VVP) under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 5.00 crore), OAE (₹ 0.01 crore), Professional Services (₹ 0.02 crore) (iii) Sashastra Seema Bal(SSB)/Swatchta under Minor works(₹ 1.00 crore), Other Charges (₹ 2.00 crore) and Office Expenses-(₹ 2 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 24.61 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the surrender of savings of amount ₹ 1600 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1382.34 crores.

(i) Village Vibrant Programme(VVP) under Grants for creation of Capital Assets (₹ 29.97 crore) and (ii) Security Related Expenditure(NE) under GIA-General (₹ 64.75 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 29.97 crore drawn from Contingency Fund of India.

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (24.68 करोड़ रुपये) के तहत पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और (ii) अनुदान सहायता सामान्य के तहत जम्मू-कश्मीर-राहत और पुनर्वास के लिए (268.05 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 24.68 करोड़ रुपये के अग्रिम की वसूली शामिल है।

(ग)

(ঘ)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) मशीनरी और उपकरणों के तहत दिल्ली पुलिस (4.99 करोड़ रुपये), (ii) प्रमुख कार्यों के तहतअसम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), दिल्ली पुलिस; सीमा प्रबंधन, विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) और राष्ट्रीय असूचना ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए (1387.91 करोड़ रुपये) (iii) प्रमुख कार्यों के तहत विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) के लिए (15.00 करोड़ रुपये) (iv) असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), दिल्ली पुलिस, आंसू धुआँ इकाई (टीएसयू), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), मोटर वाहर्नों के तहत फॉरेंसिक साइंस निदेशालय (डीएफएस-एमवी) (127.68 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 338.00 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपृति शामिल है।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Modernisation of Police Forces under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 24.68 crore) and (ii) Jammu & Kashmir-Relief & Rehabilitation under GIA-General(₹ 268.05 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 24.68 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Delhi Police under Machinery & Equipments(₹ 4.99 crore), (ii) Assam Rifles, Border Security Force(BSF), Indo-Tibetan Border Police(ITBP), Special Protection Group(SPG), Delhi Police; Border Management, Village Vibrant Programme(VVP) and National Intelligence Grid(NATGRID) under Major Works (₹ 1387.91 crore) (iii) Village Vibrant Programme(VVP) under Major Works (₹ 15.00 crore) (iv) Assam Rifles, Border Security Force(BSF), Central Reserve Police Force(CRPF), Indo-Tibetan Border Police(ITBP), North Eastern Police Academy(NEPA), Delhi Police, Tear Smoke Unit(TSU), National Crime Record Bureau(NCRB), Directorate of Forensic Science(DFS-MV) under Motor Vehicles(₹ 127.68 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 338.00 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 52

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करौड़) (।	In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	;	जॊड़
		Charged	Voted	Т	otal
I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT	•				
राजस्व Revenue		0.01	5176.42	51	76.43
पूंजी Capital			587.22	5	87.22
जोड़ Total		0.01	5763.64	57	63.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate	of the amount now require	d:			
राजस्व Revenue			0.03		0.03
पूंजी Capital		***			
जोड़ Total		***	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supp	lementary)	0.01	5763.67	57	63.68
राजस्व Revenue		0.01	5176.45	51	76.46
पूंजी Capital			587.22	5	87.22
II. इस पुरक अनुदान का हिस	ब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		under the following Major H	ead		
		भारित	स्वीकृत	,	जॊड़
		Charged	Voted	Т	otal
राजस्व भाग REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD					
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता 2215-Water Supply and	Sanitation		0.01	(कa)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515-Other Rural Develo	pment Programmes		0.01	(खb)	0.01
3054-सड़क और पुल 3054-Roads and Bridges			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section)			0.03		0.03
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		entary Grants are required for			
(क) पंचायत समितियों को अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को (0.15 करोड़ रुपये)।	नूरा करना (a)	meeting additional exper Samities (₹ 0.15 crore).	nditure towa	rds grants t	o Panchayat
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांवे की मांग की जाती है।	तिक पूरक	Taking into account the satthe Grant, a token supplem	•		me section of
(ख) पंचायत समितियों को अन्दान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा कर	ना (13.18 (b)	meeting additional exper	-	-	o Panchavat
करोड़ रुपये)।	(, ,	Samities (₹ 13.18 crore).		Ü	,
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांवे की मांग की जाती है।	तिक पूरक	Taking into account the satthe Grant, a token supplem	-		me section of
(ग) पंचायत समितियों को अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को	पूरा करना (c)	meeting additional exper	•	•	o Panchavat
(6.45 करोड़ रुपये)।	•	Samities (₹ 6.45 crore).	iditure towa	as grants t	o i unonuyat
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांवे की मांग की जाती है।	तिक पूरक	Taking into account the sa the Grant, a token supplem	-		me section of

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

					/ (111 (6101	
		भारित	स्वीकृत	Г	जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	36.41	4807.0	5	4843.46	
पूंजी	Capital	1.00	538.3	3	539.33	
जोड़ जोड़	Total	37.41	5345.3	8	5382.79	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	1.49	461.7	2	463.21	
पूंजी	Capital		0.0	7	0.07	
जोड़ जोड़	Total	1.49	461.7	9	463.28	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	38.90	5807.1	7	5846.07	
राजस्व	Revenue	37.90	5268.7	7	5306.67	
पूंजी	Capital	1.00	538.4	0	539.40	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा	:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acc			ajor Heads:		
	Ch	भारित	स्वीकृत	-	जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	1.49	(कa) 132.0	0 (खb)	133.49	
2055-पुलिस	2055-Police		100.0	, ,	100.00	
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works		19.6		19.63	
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		92.2		92.21	
 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		37.8	, ,	37.86	
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation		5.8		5.88	
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.0	,	0.01	
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.0		0.01	
2801-विद्युत	2801-Power		40.0	,	40.00	
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		34.1		34.12	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.49	461.7		463.21	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
^ मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.0	1 (রা)	0.01	
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.0	` '	0.01	
परिव्यय	Culture		0.0	. (0)	0.0.	
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.0	1 (णn)	0.01	
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development		0.0	` '	0.01	
4235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण पर पूंजी	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare		0.0	, ,	0.01	
परिव्यय	1200 Supital Sullay Sir Social Sociality and Worland	•••	0.0	· (.P)	0.01	
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport		0.0	1 (दq)	0.01	
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		0.0	(' ' 1/	0.01	
पर पूंजी परिव्यय	Environmental Research		0.0	. ()	5.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.0	7	0.07	
* 10 7	(F)		0	-	463.28	

यह पूरक अनुदा	ने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplem	entary Grants/Appropriations are required for:
(क)	माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और	(a)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears
	बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (1.49 करोड़ रुपये) को पूरा करना।		of judges of Hon'ble Punjab and Haryana High Court (₹ 1.49 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए निवल नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail a net cash outgo;
(ख)	माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के	(b)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears
	कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भ्गतान के लिए अतिरिक्त व्यय (132.00		of employees of Hon'ble Punjab and Haryana High Court and
	करोड़ रुपये) को पूरा करना।		District Court (₹ 132.00 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ग)	प्लिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भ्गतान हेत्	(c)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears
	अंतिरिक्त व्यय (100.00 करोड़ रुपये) को पूरा करना।		of employees of police department (₹ 100.00 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ঘ)	इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भ्गतान के लिए	(d)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears
	अतिरिक्त व्यय (19.63 करोड़ रुपये) को पूरा करना।		of employees of engineering department (₹ 19.63 crore).

(₹)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा; वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (वेतन 77.00 करोड़ रुपये और जीआईए-वेतन 15.21 करोड़ रुपये)को पूरा करना ।	(e)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for payment of salaries and arrear (Salaries ₹ 77.00 crore and GiA-Salary ₹ 15.21 crore).
	अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 44.00 करोड़ रु. की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए 48.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 44.00 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 48.21 crore.
(च)	स्वास्थ्य विभाग (22.86 करोड़ रु.) और सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (15.00 करोड़ रु.) के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrear of employees of Health Department (₹ 22.86 crore) and Government Medical College and Hospital (₹ 15.00 crore).
	अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध 22.86 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय पर 15.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा		Taking into account savings of ₹ 22.86 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 15.00 crore
(ন্ড)	इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (5.88 करोड़ रुपये) को पूरा करना। उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;	(g)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrear of employees of engineering department (₹ 5.88 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
(ज)	नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय (13.18 करोड़ रुपये)को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(h)	meeting additional expenditure for providing grants-in-aid to the Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 13.18 crore). Taking into account the savings available in the same section of
झ)	की मांग की जाती है चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए	(i)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for payment of arrears to staff of Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology
	(0.95 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Chandigarh (₹ 0.95 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	वियुत विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया के भुगतान के लिए (40.00 करोड़ रुपये) तथा नगर निगम, चंडीगढ़ को संपत्ति कर के भुगतान के लिए (5.62 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(j)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrear to employees of Electricity Department (₹ 40.00 crore) and for payment of property Tax to the Municipal Corporation, Chandigarl (₹ 5.62 crore).
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 5.62 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 40.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 5.62 crore available in the sam- Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 40.00 crore.
(চ)	परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान (34.12 करोड़ रुपये) और पी.ओ.एल. के भुगतान के लिए (18.00 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 18.00 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते	(k)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrear to employees of Transport Department (₹ 34.12 crore) and for payment of P.O.L. (₹ 18.00 crore).
	जुदान के उसा खंड ने उपलब्दा 18.00 करोड़ रुपय का बयत का ट्यान ने रखत हुए, उपरोक्त व्यय में 34.12 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 18.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgot of ₹ 34.12 crore.
(इ)	चंडीगढ़ के पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (21.42 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(1)	meeting additional expenditure for payment of installed CCTV Cameras in Police Stations of Chandigarh (₹ 21.42 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Crost a taken supplementary is cought.
(ভ)	कार्यशाला के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (6.84 करोड़ रुपये) को पूरा करना।	(m)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction of workshol (₹ 6.84 crore).
(呵)	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है ईडब्ल्यूएस घरों, धनास के पास पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय (0.06	(n)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for development of parks nea
,	करोड़ रुपये) को पूरा करना । अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	()	EWS Houses, Dhanas (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ਜ)	नए सचिवालय भवन और पांच सामुदायिक केंद्रों को पूरा करने के लिए (20.83 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(o)	meeting additional expenditure for completion of new Secretaria Building and five Community Centers (₹ 20.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(획)	की मांग की जाती है आशादीप, ग्रुप होम में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय (6.99 करोड़ रुपये) को पूरा करना।	(p)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction of additional bloc in Ashadeep, Group Home (₹ 6.99 crore).
(द)	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है रायपुर कलां में कार्यशाला के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय (10.45 करोड़	(q)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction work of Worksho
	रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		in Raipur Kalan (₹ 10.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	वर्षा जल संचयन प्रणाली के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपये) को पूरा करना ।	(r)	meeting additional expenditure for construction of rain water harvesting system ($\stackrel{?}{\text{c}}$ 0.20 crore).
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 54

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक

चिकित्सालयों के लिए विभिन्न मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की खरीद हेत्

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (12.00 करोड़ रूपये)।

की मांग की जाती है।

(ग)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 2906.00 2906.00 पुंजी Capital 875 10 875 10 जोद Total 3781.10 3781.10 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 46 96 46 96 पूंजी Capital 54.06 54.06 जोड 101.02 Total 101.02 जोड (मल और परक) Total (Original plus Supplementary) 3882.12 3882.12 ... राजस्व Revenue 2952.96 2952.96 पुंजी Capital 929.16 929.16 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (**क**a) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा (खb) 0.01 2203-Technical Education 0.01 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 0.01 (गc) 2217-शहरी विकास 46 90 2217-Urban Development (된d) 46 90 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515-Other Rural Development Programmes 0.01 (ਤ_e) 0.01 2852-उद्योग 2852-Industries 0.01 0.01 (चf ... 3053-नागर विमानन 3053-Civil Aviation 0.01 0.01 (छg) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 46.96 46.96 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय 4055-Capital Outlay on Police 5.00 (जh) 5.00 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 18.00 (झi) 18.00 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and 0.01 (टj) 0.01 परिव्यय Culture 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पंजी परिव्यय 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 7.00 7.00 (ਨk) 4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय 4405-Capital Outlay on Fisheries 0.01 (롱) 0.01 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय 4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life 0.01 (ढm) 0.01 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजी परिव्यय 0.01 4705-Capital Outlay on Command Area Development 0.01 (णn) 4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पुंजी परिव्यय 4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy 0.01 0.01 5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 0.01 0.01 (থp) 5452-पर्यटन पर पुंजी परिव्यय 5452-Capital Outlay on Tourism 24.00 24.00 जोड़ (पुंजी भाग) Total (Capital Section) 54.06 54.06 जोड़ (पूरक) 101.02 101.02 Total (Supplementary) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (8.30 करोड़ रुपये), गुजरात राष्ट्रीय विधि meeting additional expenditure for grants-in-aid to National (a) विश्वविद्यालय (4.60 करोड़ रुपये) और शिक्षा संस्थानों (4.00 करोड़ रुपये) को Institute of Fashion Technology (₹ 8.30 crore), Gujarat National सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। Law University (₹ 4.60 crore) and to Education Institutions (₹ 4.00 crore) अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना हेत् अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (9.45 करोड़ रुपये)। (ख) (b) meeting additional expenditure for establishment of smart classes

Taking into account the savings available in the same section of

meeting additional expenditure for purchase of various medical

instruments and medicines for hospitals (₹ 12.00 crore).

the Grant, a token supplementary is sought.

	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ)	विभिन्न संस्थानों अर्थात दीव स्मार्ट सिटि लिमिटेड, सिलवासा महानगरपालिका आदि को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (200.00 करोड़ रूपये)।	(d)	meeting additional expenditure for grants-in-aid to various institutions i.e. Diu Smart City Limited, Silvassa Municipal Council etc. (₹ 200.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 153.10 करोड़ रूपये के बचतों को ध्यान में रखा गया, अतः उपर्युक्त व्यय में 46.90 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 153.10 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 46.90 crore.
(ङ)	संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (20.00 करोड़ रूपये)।	(e)	meeting additional expenditure for developmental works in the rural areas of the UT (₹ 20.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	निवेश संवर्धन स्कीम और औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत विकास हेतु स्कीम के क्रियान्वयन हेतु सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (22.00 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक	(f)	meeting additional expenditure for subsidies for implementation of Investment Promotion Scheme and scheme for infrastructure development in industrial areas (₹ 22.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(ন্ড)	की मांग की जाती है। पवनहंस हेलीकोप्टर सेवा, डोनियर एयरक्राफ्ट सेवा आदि के लिए अतिरिक्त	(g)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for Pawanhans Helicopter
	व्य्य को पूरा करना (16.00 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Services, Donier Aircraft Services etc. (₹ 16.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	पुलिस वाहन, पुलिस हेतु नए एचएफ/वीएचएफ संचार उपकरण की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.00 करोड़ रूपये)।	(h)	meeting additional expenditure for purchase of Police Vehicle, new HF/VHF communication equipment for Police (₹ 5.00 crore).
(耔)	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा। विभिन्न सरकारी भवनों के नवीनीकरण, पुनरुद्धार और निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रूपये)।	(i)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for renovation, restoration and construction of various government buildings (₹ 30.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 12.00 करोड़ रूपये की शेष राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 18.00 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 12.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 18.00 crore.
(ट)	शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.00 करोड़ रूपये)।	(j)	meeting additional expenditure for various developmental works related to education department (\ref{eq} 6.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.00 करोड़ रूपये)।	(k)	meeting additional expenditure for various developmental works related to medical & public health department (₹ 10.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 3.00 करोड़ रूपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 7.00 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 3.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 7.00 crore.
(롱)	समुद्र नारायण जेट्टी का पैदल पथ सेतु तक विस्तार और बोट पार्किंग के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.05 करोड़ रूपये)।	(1)	meeting additional expenditure for extension of Samudra Narayan Jetty upto Pedestrian Bridge and Development of Boat Parking (₹ 2.05 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ভ)	वानिकी और वन्यजीव हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.00 करोड़ रूपये)।	(m)	meeting additional expenditure for forestry and wildlife (₹ 6.00 crore).
(m)	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(n)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	पाती डिस्ट्रिब्यूटरी कैनाल के नवीनीकरण और पुनरुद्धार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.50 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक	(n)	meeting additional expenditure for renovation and restoration of Pati Distributory Canal (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(त)	की मांग की जाती है। सौर विद्युत संयंत्र की क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(o)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for enhancement of capacity of
. ,	(5.00 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक	. ,	solar power plant (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(খ)	की मांग की जाती है। सड़कों और सेतुओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (50.00 करोड़ रूपये)।	(p)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for various projects related to roads & bridges (₹ 50.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	पर्यटन विभाग के अधीन विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रूपये)।	(q)	meeting additional expenditure for various development works under Tourism Department (₹ 30.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 6.00 करोड़ रूपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 24.00 करोड़ रूपये का व्यय होगा।		Taking into account savings of ₹ 6.00 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 24.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 55

लददाख **LADAKH**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 2553 29 2553 29 पुंजी Capital 3404.71 3404.71 जोड Total 5958.00 5958.00 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.04 राजस्व Revenue 0.04 पूंजी Capital 0.14 0.14 जोड Total 0.18 0.18 जोड (मल और परक) Total (Original plus Supplementary) 5958.18 5958.18 ... राजस्व Revenue 2553.33 2553.33 पूंजी Capital 3404.85 3404.85 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2202-सामान्य शिक्षा 0.01 2202-General Education 0.01 (कa) 2217-शहरी विकास 0.01 (खb) 0.01 2217-Urban Development 2235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण 2235-Social Security and Welfare 0.01 (गc) 0.01 2245-प्राकृतिक आपदा राहत 2245-Relief on account of Natural Calamities 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 0.01 (ङe) 0.01 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत 0.01 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and 0.01 (चf) 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (छg) 0.01 4401-फसल कार्य पर पंजी परिव्यय 0.01 0.01 4401-Capital Outlay on Crop Husbandry (जh) 4403-पश्पालन पर पूंजी परिव्यय 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry 0.01 0.01 (झi) ... 4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय 4405-Capital Outlay on Fisheries 0.01 (टj) 0.01 4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पंजी 4408-Capital Outlay on Food Storage and 0.01 (ठk) 0.01 परिव्यय 4425-सहकारिता पर पुंजी परिव्यय 0.01 (롱) 0.01 4425-Capital Outlay on Co-operation 4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय 4435-Capital Outlay on Other Agricultural 0.01 (ढm) 0.01 Programmes 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय 4575-Capital Outlay on Other Special Areas (णn) 0.01 0.01 Programmes 4702-लघ् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय 4702-Capital Outlay on Minor Irrigation 0.01 (ਰಂ) 0.01 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पंजी परिव्यय 0.01 0.01 4711-Capital Outlay on Flood Control Projects (থp) 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिवयय 0.01 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (दq) ... 5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 0.01 (धr) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 0.14 0.14 Total (Supplementary) जोड़ (पूरक) 0.18 0.18

यह पूरक अनुदा	र्ने निम्निलेखित हेत् अपेक्षित है:	The supplem	entary Grants are required for:
(क)	लद्दाख विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(a)	meeting additional expenditure for grant-in-aid to University of
	(6.00 करोड़ रूपये)।		Ladakh (₹ 6.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए भारत की		Taking into account the savings available in the same section of
	आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सांकेतिक पूरक की मांग की जाती		the Grant for recoupment of advance from the Contingency Fund
	है।		of India, a token supplementary is sought.
(ख)	शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा	(b)	meeting additional expenditure for grant-in-aid to Urban Local
	करना (4.73 करोड़ रूपये)।		Bodies (₹ 4.73 crore).
	अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, टोकन पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भूतपूर्व सैनिक और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजना हेतु अतिरिक्त व्यय	(c)	meeting additional expenditure for welfare scheme for
	को पूरा करना (0.05 करोड़ रूपये)।		ex-serviceman and widows (₹ 0.05 crore).

	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ)	प्राकृतिक आपदाओं के चलते अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.00 करोड़ रूपये)।	(d)	meeting additional expenditure on account of Natural Calamities (₹ 10.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	कार्यालय भवन के निर्माण और स्टाफ रूम को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.33 करोड़ रूपये)।	(e)	meeting additional expenditure for construction of office building and upgradation of staff rooms (₹ 2.33 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	शिक्षा, खेल और संस्कृति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.75 करोड़ रूपये)।	(f)	meeting additional expenditure towards Educational & Cultural activities (₹ 3.75 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ন্ড)	मेडिकल सब सेंटर बिल्डिंग के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.60 करोड़ रूपये)।	(g)	meeting additional expenditure for construction of medical subcentre building ($\ref{1.60}$ crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	मॉडल बगीचा सह नर्सरी खुर्बथंग में निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.25 करोड़ रूपये)।	(h)	meeting additional expenditure for construction at model orchard cum Nursery Khurbthang (₹ 1.25 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(朝)	पशुपालन से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.13 करोइ रूपये)।	(i)	meeting additional expenditure for construction work related to animal husbandry ($\ref{2.13}$ crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	कृषि अवसंरचना के उन्नयन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.30 करोड़ रूपये)।	(j)	meeting additional expenditure for upgradation of farm infrastructure (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.40 करोड़ रूपये)।	(k)	meeting additional expenditure for construction of office complex ($\ref{1.40}$ crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(롱)	कार्यालय परिसर और बहु-उद्देशीय गैराज शेड के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.54 करोड़ रूपये)।	(I)	meeting additional expenditure for Construction of office complex and multipurpose garage shed (₹ 0.54 crore)
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ত্ত)	फल और सब्जी बाजार के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.89 करोड़ रूपये)।	(m)	meeting additional expenditure for construction of fruit and vegetable market (0.89 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	2020-21 (एलएएचडीसी) के चल रहे कार्यों और भवन निर्माण के नए कार्यों एवं फार्मों की अवसंरचना के उन्नयन संबंधी कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त	(n)	meeting additional expenditure for completion of ongoing works of 2020-21 (LAHDC) and new works of construction of building and
	व्यय को पूरा करना (22.59 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक		upgradation of farms infrastructure ($\ref{22.59}$ crore). Taking into account the savings available in the same section of
(त)	की मांग की जाती है। ज़ारा सिंचाई नहर आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.90	(o)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction of Zara irrigation
	करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक		canal etc. (₹ 0.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(왼)	की मांग की जाती है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधी कार्यों और नाला आदि को श्रंखलाबद्ध करने हेत् अतिरिक्त	(p)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for Channelization of flood
	व्यय को पूरा करना (4.90 करोड़ रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक		protection works and channelization of nallah etc. (₹ 4.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(द)	की मांग की जाती है। विद्युत क्षेत्रों में निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (7.00 करोड़	(q)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction works in Power
•	रूपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक	e er	Sector (₹ 7.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(ध)	की मांग की जाती है। सड़कों और सेतुओं से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा	(r)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for construction works under Roads
(~)	करना (50.50 करोड़ रूपये)।	(1)	and Bridges (₹ 50.50 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 56

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(19)	RIS) (III R CIUIES)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1199.60	1199.60
पूंजी जोड़	Capital		221.90	221.90
जोड़	Total		1421.50	1421.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :		
राजस्व	Revenue			
पूंजी जोड़	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1421.51	1421.51
राजस्व	Revenue		1199.60	1199.60
पूंजी	Capital		221.91	221.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		l:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	0.01
= :				

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भारतीय रिजर्व बटालियन के स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.03 करोड़ रुपये)। अनटान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए मांकेतिक परक

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for renewal of spectrum license charges of Indian Reserve Battalion (\mathfrak{T} 0.03 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये) (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			•	राइ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	35581.44	35581.44
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total		35581.44	35581.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		8956.69	8956.69
पूंजी जोड़	Capital			
जोड़	Total	***	8956.69	8956.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	44538.13	44538.13
राजस्व	Revenue		44538.13	44538.13
पूंजी	Capital		•••	
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
उँ602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	***	8956.69	8956.69

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व/संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए (8106.69 करोड़ रुपये) और झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उकत व्यय में 8956.69 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting revenue/resource gap of the UT (₹ 8106.69 crore) and ₹ 850 crore is provisioned against Jhelum Tawi Flood Recovery Project (JTFRP).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8956.69 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 59

पुडुचेरी को अंतरण TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड़ Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 1729.78 Revenue 1729 78 पुंजी Capital 0.01 0.01 जोड Total 1729.79 1729.79 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 1400.00 1400.00 Revenue पूंजी Capital जोड 1400.00 1400.00 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3129.79 3129.79 ... राजस्व Revenue 3129.78 3129.78 पूंजी Capital 0.01 0.01 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान 1400.00 1400.00 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व/संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय

उपरोक्त व्यय के लिए निवल नकद परिव्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

additional Central Assistance to meet the revenue/ resource gap of

the U1.

The above expenditure will entail a net cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

					(₹ करोड़	₹) (In ₹ cro
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
्र. जस्व	Revenue	108.70		49268.75		49377.45
जी	Capital	38.02		27303.00		27341.02
ोड़	Total	146.72		76571.75		76718.47
स समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	:				
जस्व	Revenue	8.66		2283.95		2292.61
जी	Capital	1.91		0.03		1.94
ोड़	Total	<i>10.57</i>		2283.98		2294.55
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>157.29</i>		78855.73		79013.02
जस्व	Revenue	117.36		51552.70		51670.06
जी	Capital	39.93		27303.03		27342.96
	DEL/FAULE OF OTION	Charged		Voted		Total
		Charged		स्वीकृत Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works			0.01	(कa)	0.01
216-आवास	2216-Housing	8.66	(खb)	0.01	(गc)	8.67
217-शहरी विकास	2217-Urban Development			350.90	(ਬd)	350.90
475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services			283.93	(ङ e)	283.93
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			1649.10	(चf)	1649.10
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	8.66		2283.95		2292.61
ांजी भाग	CAPITAL SECTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	***		0.01	(<u>छ</u> g)	0.01
216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	1.91	(जh)	0.01	(झi)	1.92
217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development			0.01	(टj)	0.01
				0.00		1.94
गोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	1.91		0.03		1.54

जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		10.57	2283.98	2294.55
यह पूरक अनुद	प्राने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The sup	plementary Grants/Appropriati	ons are required for:	
(क)	अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली के प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजे की राशि के रूप में भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भुगतान (3.39 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	payment by Land an amount to affected land Delhi under Other Admi Taking into account the Grant, a token supp	d owners of Rama R nistrative Expenses (e savings available in	toad, Kirti Nagar, New (₹ 3.39 crore).
(ख)	लघु-निर्माण (सी) के तहत राष्ट्रपति संपदा के लिए व्यय (8.66 करोड़ रुपये)।	(b)	expenditure towards F (₹ 8.66 crore).	Presidents' Estate u	nder Minor Works(C)
	अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यपर्ण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the Revenue (Voted) Section not entail any additional	on of the Grant, the	=
(ग)	प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई (यू)) योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लाभार्थियों को सब्सिडी शीर्ष-क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत लंबित देनदारियों के लिए निधि जारी करना (11,221.73 करोड़ रुपये)।	(c)	releasing of funds towa Credit Linked Subsidy Section (EWS)/ Lower I Mantri Awas Yojana-I crore).	Scheme (CLSS) for ncome Group(LIG) be	Economically Weaker eneficiaries of Pradhan
(ঘ)	अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के अंतर्गत वितीय वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-Iए के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के	(d)	Taking into account the Grant, a token supp (i) meeting the requiren in Financial Year 2022	lementary is sought. nent for Kochi Metro	Rail Project Phase-IA
	तहत अनुदान (46.74 करोड़ रुपये), (ii) संपत्ति कर के बकाया के भुगतान और		Grants for Creation of C	Capital Assets (₹ 46.7	74 crore), (ii) payment

of outstanding arrears of property tax (₹ 0.47 crore) and for

renovation of Delhi Urban Art Commission (DUAC)(₹ 0.49 crore)

premises under Grants-in-Aid(GiA)- General, (iii) completion of

दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) (0.49 करोड़ रुपये) परिसर के नवीनीकरण

के लिए सामान्य सहायता अनुदान- (0.47 करोड़ रुपये) और (iii) स्मार्ट सिटी

मिशन परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (15.00 करोड़

(h)

रुपये), बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) और प्ंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (330.90 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध 350.90 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी खंड में बचत का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त ट्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद ट्यय नहीं होगा।

(ङ) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के लिए जीआईए-सामान्य के तहत क्रेडिट गारंटी योगदान से संबंधी व्यय के साथ-साथ कॉर्पस फंड की स्थापना के लिए (283.93 करोड़ रुपये)।इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए 80 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्यक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(च) राज्यों के लिए सामान्य अनुदान के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (100 करोड़ रुपये) और राज्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अन्दान (1549.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त ट्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद ट्यय नहीं होगा।

(छ) प्रमुख कार्यों के तहत नए संसद भवन के निर्माण की चल रही परियोजनाएं और मंत्रालय से संबंधित अन्य परियोजना अर्थात लेखापरीक्षा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) (सीबीडीटी/सीबीईसी आदि के लिए (70 करोड़ रुपये)। अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(ज) प्रमुख कार्यों के तहत राष्ट्रपति संपदा (प्रभारित) (1.91 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजीगत खंड (स्वीकृत) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

की मांग की जाती है।

(झ) (i) प्रमुख कार्यों के तहत दिल्ली और पूरे देश में सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) भवन के संबंध में चल रहे कार्य (150 करोड़ रुपये) और (ii) बीकेएस मार्ग पर लोकसभा आवास इकाइयों की परियोजनाएं, लेखापरीक्षा के तहत परियोजना, प्रमुख कार्यों के तहत सीबीईसी/सीबीडीटी (50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ट) (i) निवेश के तहत एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के तहत वित वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण- II (431.79 करोड़ रुपये) (ii) निवेश के तहत हैमिस्फेयर प्रॉपटींज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) की इक्विटी में वृद्धि (10 करोड़ रुपये) I

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। project under Smart Cities Mission under Other Administrative Expenses (₹ 15.00 crore), GiA-General for Union Territories (UTs) without legislatures (₹ 5.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 330.90 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 350.90 crores available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

establishment related expenditure as well as Corpus Fund for Credit Guarantee Contribution under GIA-General for Pradhan Mantri Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme (₹ 283.93 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 80 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

completion of projects under Smart Cities Mission under Grants-in-Aid General for States- (₹ 100 crore) and Grants for creation of Capital Assets for States (₹ 1549.10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

ongoing projects of construction of new Parliament Building and other Ministry related project i.e. Audit, Central Board of Direct Taxes/Central Board Excise & Customs (CBDT/CBEC) etc. under Major Works(₹ 70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Presidents' Estate under Major Works(Charged) (₹ 1.91 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section(Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

(i) Ongoing Work in respect of General Pool Residential Accommodation (GPRA) Building in Delhi and all over the country under Major Works(₹ 150 crore) and (ii) projects of Lok Sabha Housing Units at BKS Marg, project under Audit, CBEC/CBDT under Major Works (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Kochi Metro Rail Project Phase-II in FY 2022-23 under MRTS & Metro Projects (₹ 431.79 crore) under Investment (ii) augmentation to Equity of Hemisphere Properties India Limited(HPIL) (₹ 10 crore) under Investment.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़)) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3955.12		3955.12
पूंजी जोड़	Capital		25.65		25.65
जोड़	Total		3980.77		3980.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		201.23		201.23
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		201.23		201.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4182.00		4182.00
राजस्व	Revenue		4156.35		4156.35
पूंजी	Capital		25.65		25.65
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(कa)	0.01
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity		10.34	(खb)	10.34
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting		190.88	(गc)	190.88
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		201.23		201.23

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) के रिक्रिएशन क्लब की गतिविधियों को 'सामान्य अनुदान' सहायता (जीआईए) (0.04 करोड़ रूपये) के तहत पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) राज्य विशिष्ट अभियान और 'न्यु इंडिया समाचार' का मुद्रण और वितरण (ख) और साथ ही, एनिमेटेड वीडियो श्रृंखला के आयोजन के लिए, विज्ञापन और प्रचार के तहत विकास संचार और सचना प्रसार (डीसीआईडी) के तहत सरकार की पहल पर अभियान हेत् (10.35 करोड़ रुपये), ii) अन्दान(जीआईए)-सामान्य के तहत राष्ट्रीय फिल्म डवलपमेंट कोर्पोरेशन (एनएफडीसी) (10.00 करोड़ रुपये), पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अन्दान (0.01 करोड़ रुपये), जीआईए-वेतन (0.01 करोड़ रुपये) और जीआईए-सामान्य [स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)] (0.01 करोड़ रुपये) (iii) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अन्दान के तहत दो इनडोर स्ट्रिडियों के निर्माण के लिए (11.69 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (1.45 करोड़ रूपये), (iv) जीआईए-जनरल के तहत महामारी के बाद की स्थिति में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में अकादमिक गतिविधियों के बैकलॉग को परा करना और समाशोधन करना (1.00 करोड़ रूपये) और के तहत डवलपमेंट कम्यूनिकेशन और (v) सामान्य सहायताअनदान डिस्सेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कन्टेन्ट (डीसीडीएफसी) के कार्यान्वयन के लिए एनएफडीसी को (55.00 करोड़ रूपये) और पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन के लिए (0.01 करोड़ रूपये)।

. अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 10.34 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा ।

(ग) ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना के अंतर्गत (i) जीआईए-वेतन (209.22 करोड़ रुपये) के तहत प्रसार भारती के लिए वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना और (ii) जीआईए-जनरल के तहत जी-20 के आयोजनों से संबंधित व्यय (73.12 करोड़ रुपये) को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 190.88 करोड़ रुपये का नकट व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

 activities of Information & Broadcasting(I&B) Recreation Club under 'Grants-in-Aid (GiA)-General' (₹ 0.04 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) state specific campaigns and printing & distribution of 'New India Samachar' and also, for organising animated video series, campaign on Government initiative under Development Communication & Information Dissemination (DCID) under Advertising & Publicity (₹ 10.35 crore), (ii) National Film Development Corporation (NFDC) under Grant-in-aid(GIA)-General (₹ 10.00 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore), GIA-Salary(₹ 0.01 crore) and GIA-General [Swachchata Action Plan(SAP)] (₹ 0.01 crore), (iii) construction of two indoor studios for Film and Television Institute of India (FTII) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 11.69 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 1.45 crore), (iv) offsetting and clearing backlog of academic activities in Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) in the post pandemic situation under GIA-General (₹ 1.00 crore) and (v) NFDC for implementing Development Communication & Dissemination of Filmic Content(DCDFC) scheme under GIA-General(₹ 55.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 10.34 crore.

(i) meeting expenditure for Prasar Bharati under GIA-Salaries
 (₹ 209.22 crore) and (ii) expenditure related to G-20 events under GIA-General (₹ 73.12 crore) in scheme Broadcasting Infrastructure
 & Network Development (BIND).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 190.88 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये) (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करॉड़	r) (In ₹ crores, जॊइ
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:		J			
राजस्व		Revenue			18608.17		18608.17
पूं जी		Capital			438.83		438.83
जोड़		Total		•••	19047.00		19047.00
इस समय अ	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now require	ed:			
राजस्व		Revenue			0.04		0.04
पूंजी		Capital			•••		•••
जोड़		Total			0.04		0.04
जोड़ (मूल अ	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	19047.04		19047.04
राजस्व		Revenue		•••	18608.21		18608.21
पूंजी		Capital			438.83		438.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षी वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted for				_
				भारित	स्वीकृत		जोड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	~ · ·	MAJOR HEAD					
	ग्रालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्त 		2552-North Eastern Areas			0.01	(खb)	0.01
	और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		***	0.01	(गc)	0.01
		3435-Ecology and Environment		•••	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व	,	Total (Revenue Section)		•••	0.04		0.04
यह पूरक अन्	नुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are required	d for:		
(क)	स्थापना व्यय (रु. 1.26 करोड़) बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएस	के तहत विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत राष्ट्रीय ए) के लिए व्यय को पूरा करना।	(a)	meeting expenditure for under the various of Expenditure (₹ 1.26 crore	bject heads	-	
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध की मांग की जाती है।	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token suppl	savings availa		same section of
(ख)	(i) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि	ो प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम)	(b)	(i) Grants-in-aid Genera	I (₹ 0.30 crore) and Grai	nts for creation of
		ान (0.30 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के		Capital Assets (₹ 7.0	7 crore) unde	r North E	Eastern Regiona
		करोड़ रुपये)। (ii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तहत अनुदान		Institute of Water a		-	
	सहायता वेतन (5.00 करोड़ रुपये			(ii) Grants-in-aid Salary			=
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध की मांग की जाती है।	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token suppl	_		same section of
(ग)	_ ` .	के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.8 करोड़	(c)	(i) Grants-in-aid Salary	•	•	tional Institute
(*1)		म एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के तहत सामान्य	(0)	Hydrology. (ii) Grants-ir			
	सहायताअनुदान (11 करोड़ रुपये	••		Water Development Age			o, ando nanon
		,. बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token suppl	savings availa		same section of
(ঘ)	जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10	के तहत व्यय के अतिरिक्त व्यय को नियमित	(d)	Grants-in-aid General	-	_	s for creation of
		जना नॉन-ईएपी के तहत सहायताअनुदान -		Capital Assets (₹ 1350 c	rore) under Na	tional Gan	ga Plan Non-EA
		र पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान		for regularizing the exce	ss expenditure	incurred u	nder Appendix 1
	(1350 करोड़ रुपये)।			of GFR 2017.			
	भनटान के दमी खंद में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availa	able in the	same section of
	की मांग की जाती है।	4.44 11 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		the Grant, a token suppl	•		

मांग संख्या DEMAND NO 63

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ कर	ॏड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		134413.12		134413.12
पूंजी	Capital	***			***
जोड़	Total	•••	134413.12		134413.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requir	ed:			
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी जोड़	Capital				•••
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		134413.14		134413.14
राजस्व	Revenue		134413.14		134413.14
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted fo		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2 215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	***	0.01	(क a)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) 'जल जीवन मिशन' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) 'जल जीवन मिशन' के तहत अनुसूचित जाति योजना घटक के लिए (319.20 करोड़ रुपये) और आदिवासी उपयोजना घटक (1,696.20 करोड़ रुपये) के तहत पूंजीगत संपित के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 2,015.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing grants-in-aid general (₹ 10 crore) under 'Jal Jeevan Mission'. Taking into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

provision of ₹ 2,015.40 crore as grants for creation of capital assets towards scheduled caste plan component (₹ 319.20 crore) and tribal sub plan component (₹ 1,696.20 crore) under 'Jal Jeevan Mission'. Taking into account the savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		, , ,	1.9 / ((0.0.0)
	भारित	स्वीकृत	जॊड़
	Charged	Voted	Total
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	***	1978.48	1978.48
Capital	***	1615.00	1615.00
Total	•••	3593.48	3593.48
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	***	29.65	29.65
Capital	***		•••
Total	•••	29.65	29.65
Total (Original plus Supplementary)	***	3623.13	3623.13
Revenue		2008.13	2008.13
Capital	•••	1615.00	1615.00
II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
		l:	
	भारित	स्वीकृत	जॊड़
	Charged	Voted	Total
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2014-Administration of Justice		29.65	29.65
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	Charged I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलेखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head अगरित Charged REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014 Administration of Justice	शारित Chargedस्वीकृत VotedI. ORIGINAL GRANT:1978.48Revenue1978.48Capital3593.48Supplementary Estimate of the amount now required:29.65Revenue29.65CapitalTotal29.65Total (Original plus Supplementary)3623.13Revenue2008.13Capital1615.00II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:शारित Chargedस्वीकृत VotedREVENUE SECTION MAJOR HEAD

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- एलएडीसीएस के वृद्धिशील विस्तार और अन्य कानूनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना (20 करोड़ रुपये)।
- (II) भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान प्रारूप योजना (दिशा) (8.15 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।
- (III) भारतीय मध्यस्थता परिषद को सामान्य-सहायता-अनुदान (0.75 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.75 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- providing additional Grants-in-aid to National Legal Services Authority for meeting incremental expansion of LADCS and other legal activities(₹ 20 crore).
- (II) providing additional Grants-in-aid to the scheme of Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA) (₹ 8.15 crore).
- (III) providing Grants-in-aid-General (₹ 0.75 crore) and Grants-in-aid-Salary (₹ 0.75 crore) to Arbitration Council of India.
 Taking into account the surrender of savings available in the

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(/					
			(₹ कर	ोंड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़			
		Charged	Voted	Total			
l. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		253.00	253.00			
पूंजी	Capital		7.00	7.00			
जोड़	Total		260.00	260.00			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:					
राजस्व	Revenue		67.24	67.24			
पूंजी	Capital						
जोड़	Total		67.24	67.24			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	327.24	327.24			
राजस्व	Revenue		320.24	320.24			
पूंजी	Capital		7.00	7.00			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	ऒड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
3 2015-चुनाव	2015-Elections		67.24	67.24			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सूचना प्रौद्योगिकी (73.35 करोड़ रूपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 6.11 करोड़ रूपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसके तहत 67.24 करोड़ रूपये का निवल व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

for meeting additional expenditure under Information Technology (₹ 73.35 crore).

Taking into account the savings of \mathfrak{T} 6.11 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of \mathfrak{T} 67.24 crore.

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ कर	ौड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	401.46		401.46
पूंजी जोड़	Capital			
जोड़	Total	401.46		401.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	4.01		4.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	4.01		4.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	405.47		405.47
राजस्व	Revenue	405.47		405.47
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for		or Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	4.01		4.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सर्वोच्च न्यायालय संग्रहालय के उन्नयन और स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Office Expenses for upgradation of Supreme Court Museum and outsourcing of staff. The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	20916.00	20916.00
पूंजी	Capital	***	506.00	506.00
जोड़	Total		21422.00	21422.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		21422.02	21422.02
राजस्व	Revenue		20916.02	20916.02
पूंजी	Capital		506.00	506.00
	 इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3 	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(কa) 0.01
ू 2851-ग्राम एवं लघ् उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग) [ँ]	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'खादी विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (0.40 करोड़

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।

(ख) (i) 'खादी अनुदान' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (1.00 करोड़ रूपये), (ii) 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (0.94 करोड़ रूपये), (iii) 'जूट विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (0.25 करोड़ रूपये), (iv) 'खादी विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (3.60 करोड़ रूपये) (v) 'प्रापण और प्रचार समर्थन स्कीम' के तहत सबसिडियाँ (22.31 करोड़ रूपये), (vi) 'टूल रूम और तकनीकी संस्थाओं' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (1.00 करोड़ रूपये), (vii) 'एमएसएमई निष्पादन को बढ़ाने और उसमें तेजी लाने- आरएएमपी' स्कीम के तहत सबसिडियाँ (100.00) करोड़ रूपये और सहायता अनुदान सामान्य (98.95 करोड़ रूपये), और (viii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता समर्थन- ईएपी घटक' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (5.00 करोड़ रूपये)।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General (₹ 0.40 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana'.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.94 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation', (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.25 crore) under the scheme 'Coir Vikas Yojana' (iv) Grants-in-aid General (₹ 3.60 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana', (v) Subsidies (₹ 22.31 crore) under the scheme 'Procurement and Marketing Support Scheme', (vi) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Tool Rooms & Technical Institutions', (vii) Subsidies (₹ 100.00 crore) and Grants-in-aid General (₹ 98.95 crore) under the scheme 'Raising and Accelerating MSME Performance-RAMP' and (viii) Grants-in-aid Salaries (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building-EAP Component'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(See page 89 of the Demands for Gran	is of Central Government for the year 2022-2023	5)				
				(₹ करॉड़) (In ₹ crores))
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		6888.94		6888.94	
पूंजी	Capital		11.74		11.74	
जोड़	Total		6900.68		6900.68	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		132.33		132.33	
पूंजी	Capital		2.00		2.00	
जोड़	Total		134.33		134.33	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7035.01		7035.01	
राजस्व	Revenue		7021.27		7021.27	
पूंजी	Capital	•••	13.74		13.74	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	। दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a)	0.01	
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	•••	132.32	(खb)	132.32	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		132.33		132.33	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy		2.00	(गc)	2.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		134.33		134.33	

(a)

(c)

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'सौर ऊर्जा (ग्रिड)' के तहत पूंजीगत आस्तियों (13 करोड़ रुपये) के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

- providing grants for creation of capital assets (₹ 13 crore) under 'Solar Power (Grid)' for North-Eastern Region. Taking into account savings available in same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
- (ख)

 (i) 495.43 करोड़ रुपये की राशि की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना [सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 398.97 करोड़ रु.; बायो-पावर (ग्रिड) के लिए 2.46 करोड़ रु.; अनुसंधान और विकास के लिए 10 करोड़ रुपये: अनुसूचित जाति उप-योजना-सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 34 करोड़ रुपये ; और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 50 करोड़ रुपये] (ii) 100.40 करोड़ रुपये की राशि का सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना [अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए 100 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के लिए 0.40 करोड़ रुपये।] (iii) अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये सहित पवन ऊर्जा (ग्रिड) के तहत 368 करोड़ रुपये की सब्सिडी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 831.51 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए 132.32 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (i) providing grants for creation of capital assets amounting to ₹ 495.43 crore [₹ 398.97 crore for Solar Power (Grid); ₹ 2.46 crore for Bio-Power (Grid); ₹ 10 crore for Research and Development: ₹ 34 crore for Solar Power (Grid) Scheduled Caste Sub-plan; and ₹ 50 crore for Solar Power (Grid) Tribal Area Sub-plan]. (ii) providing grants-in-aid general amounting to ₹ 100.40 crore [₹ 100 crore for International Solar Alliance (ISA) and ₹ 0.40 crore for National Institute of Bio Energy] (iii) subsidy of ₹ 368 crore under Wind Power (Grid) including ₹ 50 crore each for Scheduled Caste Sub-plan and Tribal Area Sub-plan. Taking into account savings of ₹ 831.51 crore available in same section of the Grant this will entail cash outgo of ₹ 132.32 crore.
- (ग) "अटल अक्षय ऊर्जा भवन" के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्तता। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- additionality of ₹ 2 crore for construction of "Atal Akshay Urja Bhawan". Taking into account savings available in revenue section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 72

पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(See page 30 of the Demands for Gr	ants of Central Government for the year 2022-202	.3)				
				(₹ करोड़)) (In ₹ crores)	J
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		868.57		868.57	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		868.57		868.57	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		37.21		37.21	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		37.21		37.21	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		905.78		905.78	
राजस्व	Revenue		905.78		905.78	
पूंजी	Capital					
	II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिर	खाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		ead			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(कa)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		37.20	(खb)	37.20	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		37.21		37.21	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'अन्य प्रशास

(i) 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (0.01 करोड़ रुपये), 'विज्ञापन और प्रचार' (6.41 करोड़ रुपये), 'पेशेवर सेवाएं (0.08 करोड़ रुपये) और योगदान (0.20 करोड़ रुपये) और "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (6.50 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ii) "पंचायतों के प्रोत्साहन" के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' के लिए 0.82 करोड़ रु. । अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के तहत 37.20 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को (b) अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) meeting additional expenditure for 'Other Administrative Expenses' (₹ 0.01 crore), 'Advertising and Publicity' (₹ 6.41 crore), 'Professional Services' (₹ 0.08 crore), and contribution(₹ 0.20 crore) and 'Grants-in-aid-General' (₹ 6.50 crore) under the "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan". (ii) ₹ 0.82 crore towards 'Grants-in-aid-General' for "Incentivization of Panchayats". Taking into account savings available in the same section of grant, a Token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		•		, (,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				जॏड़
	Charged	Voted		Total
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	24.23	2087.65		2111.88
Capital	12.00	213.30		225.30
Total	36.23	2300.95		2337.18
Supplementary Estimate of the amount now requi	ired:			
Revenue	***	0.03		0.03
Capital	165.46	0.01		165.47
Total	<i>165.46</i>	0.04		165.50
Total (Original plus Supplementary)	201.69	2300.99		2502.68
Revenue	24.23	2087.68		2111.91
Capital	177.46	213.31		390.77
II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
			Heads:	
, ,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
	Charged	Voted		Total
REVENUE SECTION	_			
MAJOR HEAD				
2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa)	0.01
2051-Public Service Commission		0.01	(खb)	0.01
2070-Other Administrative Services		0.01	(गc)	0.01
Total (Revenue Section)		0.03		0.03
CAPITAL SECTION				
MAJOR HEAD				
	165.46	(घd) 0.01	(ਭ e)	165.47
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो III. This Supplementary Grants/Appropriations will REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2052-Secretariat-General Services 2051-Public Service Commission 2070-Other Administrative Services Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	I. ORIGINAL GRANT: Revenue 24.23 Capital 12.00 Total 36.23 Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital 165.46 Total 165.46 Total (Original plus Supplementary) 201.69 Revenue 24.23 Capital 177.46 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under आदित Charged REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2052-Secretariat-General Services 2051-Public Service Commission 2070-Other Administrative Services Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	ChargedVotedI. ORIGINAL GRANT:Revenue24.232087.65Capital12.00213.30Total36.232300.95Supplementary Estimate of the amount now required:Revenue0.03Capital165.460.01Total165.460.04Total (Original plus Supplementary)201.692300.99Revenue24.232087.68Capital177.46213.31II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major#गिरत स्वीकृतChargedVotedREVENUE SECTIONMAJOR HEAD2052-Secretariat-General Services0.012051-Public Service Commission0.012070-Other Administrative Services0.01Total (Revenue Section)0.03CAPITAL SECTIONMAJOR HEAD	Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: Revenue 24.23 2087.65 Capital 12.00 213.30 Total 36.23 2300.95 Supplementary Estimate of the amount now required: 0.03 Revenue 0.03 Capital 165.46 0.04 Total (Original plus Supplementary) 201.69 2300.99 Revenue 24.23 2087.68 Capital 177.46 213.31 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: ARRA Edक्त Voted REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2052-Secretariat-General Services 0.01 (कa) 2051-Public Service Commission 0.01 (उत्त) 2070-Other Administrative Services 0.01 (उत्त) Total (Revenue Section) 0.03 CAPITAL SECTION MAJOR HEAD

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) सहायता अनुदान - सामान्य (जीआईए-जनरल) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के स्वायत निकायों - (क) गृह कल्याण केंद्र (1.25 करोड़ रु.) और (ख) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (0.80 करोड़ रु.) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) (1.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) व्यावसायिक सेवाओं के तहत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के व्यय (227 करोड़ रूपये) और अन्य शुल्कों (0.01 करोड़ रूपये) को पूरा करना। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 100.00 करोड़ रूपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यक्रम-सूचना का अधिकार अधिनयम का प्रचार-प्रसार सहायता अनुदान सामान्य (जीआईए सामान्य) के तहत (1.30 करोड़ रु.), (ii) पेंशनभोगी पोर्टल-सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत (0.07) करोड़ रु.), (iii) सुशासन-अनुदान के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना (7.50 करोड़ रुपये) (iv) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान (10.50 करोड़ रुपये) और (v) प्रशासनिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेत् (3.00 करोड़ रु.)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(i) Autonomous Bodies of Deptt. of Personnel and Training(DoPT) (a) Grih Kalyan Kendra(₹ 1.25 crore) and (b) Central Civil Services
Cultural and Sports Board (₹ 0.80 crore) under Grants in aidGeneral(GIA-General) and (ii) Department of Administrative
Reforms and Public Grievances(DARPG) under Professional
Services (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure of Staff Selection Commission(SSC) under (i) Professional Services (₹ 227 crore) and (ii) Other Charges (₹ 0.01 crore). It includes recoupment of advance of ₹ 100.00 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Programme of Department of Personnel & Training-Propagation of Right to Information Act under Grant-in-aid General (GiA General) (₹ 1.30 crore), (ii) Pensioners' Portal-under GiA-General (₹ 0.07 crore), (iii) Setting up of National Centre for Good Governance-Grants (₹ 7.50 crore) (iv) Grants to Indian Institute of Public Administration (₹ 10.50 crore) and (v) World Bank Assistance for National Programme for Civil Services and Capacity Building under Professional Services (₹ 3.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) लोकपाल के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन का निर्माण प्रमुख कार्य (d) (165.46 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से 95.911 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है। अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ङ) प्रमुख कार्यों के तहत सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) (e) के एकीकृत सभागार के निर्माण के लिए व्यय (40.00 करोड़ रुपये)।
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- Acquisition of land & construction of Building for Lokpal Major Works(₹ 165.46 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 95.911 crore drawn from Contingency Fund of India(CFI).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- Construction of Integrated Auditorium of Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) under Major Works (₹ 40.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 75 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(/		
		(₹ करोड़) (In ३		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोगः	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	41.96		41.96
पूंजी	Capital	···		
जोड़	Total	<i>41.96</i>		41.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d :		
राजस्व	Revenue	1.50	***	1.50
पूंजी	Capital		***	•••
जोड़	Total	1.50		1.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>43.46</i>	•••	43.46
राजस्व	Revenue	<i>43.46</i>		43.46
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be account			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	1.50		1.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

चिकित्सा उपचार (0.15 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (0.15 करोड़ रुपये) और कार्यालय व्यय (1.20 करोड़ रुपये) के तहत स्थापना व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting establishment expenditure under Medical Treatment ($\ref{thm:prop}$ 0.15 crore), Domestic Travel Expenses($\ref{thm:prop}$ 0.15 crore) and Office Expenses($\ref{thm:prop}$ 1.20 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(<i>t 4tl\$)</i>		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	8339.86	8339.86
पूंजी	Capital		600.00	600.00
जोड़	Total		8939.86	8939.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		25503.68	25503.68
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		25503.68	25503.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		34443.54	34443.54
राजस्व	Revenue		33843.54	33843.54
पूंजी	Capital	•••	600.00	600.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		25503.68	25503.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) तेल विपणन कंपनियों को उनके घरेलू एलपीजी परिचालन में कम वसूली के मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना; (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 245 करोड़ रूपये; (iii) भारत के लिए त्यापारिक जहाजों हेतु फ्लैंग संवर्धन के लिए 215.62 करोड़ रुपये की राशि; और (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 7210 करोड़ रुपये प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध 4166.94 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के पूंजीगत खंड के अंतर्गत उपलब्ध 560 करोड़ रुपये की बचतों के अश्चर्पण के उपयोग करने के बाद, इसमें 24,943.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद त्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) providing additional funds amounting to ₹ 22,000 crore towards payments to Oil Marketing Companies as compensation for under recoveries in their Domestic LPG Operations; (ii) ₹ 245 crore as grants-in-aid-general for Numaligarh Refinery Expansion Project; (iii) funds amounting to ₹ 215.62 crore for promotion of flagging of Merchant Ships for India; and (iv) ₹ 7210 crore for providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). Taking into account the savings of ₹ 4166.94 crore available in same section of the grant, and after utilizing surrender of savings of ₹ 560 crore available under Capital Section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹ 24,943.68 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 77

योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ करौड़)) (In ₹ crore	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
गजस्व	Revenue		310.67		310.67	
र् र्जी	Capital		10.75		10.75	
नोड़	Total		321.42		321.42	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
ाजस्व	Revenue		612.44		612.44	
र् ची	Capital		10.00		10.00	
गोड़	Total		622.44		622.44	
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		943.86		943.86	
जस् व	Revenue		923.11		923.11	
ज ी	Capital	***	20.75		20.75	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		21.94	(कa)	21.94	
475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		590.50	(खb)	590.50	
गोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		612.44		612.44	
वंजी भाग	CAPITAL SECTION					
् गुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
, 475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		10.00	(गc)	10.00	
रिव्यय	Services			. ,		
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		622.44		622.44	
यह परक अनदाने निम्नलिखित हेत अपेक्षित है:	The supplementary Gran	to are required for				

(b)

(c)

यह पूरक अनुदान	ो निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	नीति आयोग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹21.94 करोड़)।
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान (१९० करोइ) में अटल नवाचार मिशन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; राज्य सहायता मिशन के तहत व्यय पूरा करना (१०.५० करोइ); सहायता अनुदान सामान्य (१४९७.१.१० करोइ) और अन्य मदों (१२.९० करोइ) में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के तहत व्यय को पूरा करना, और इसमें से एक एसडीजी के लिए जेआईसीए से ओडीए के कारण आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए नीति आयोग को १४०० करोइ का आवंटन।
(ग)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा; अटल इनोवेशन मिशन (₹10 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards NITI Aayog (₹ 21.94 crore). (a)

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting additional expenditure under Atal Innovation Mission in Grant-in-Aid General (₹ 90 crore); meeting expenditure under State Support Mission (₹ 0.50 crore); meeting expenditure under Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (SDGs) in Grants-in-Aid General (₹ 497.10 crore) and other heads (₹ 2.90 crore), and out of this an Allocation of ₹ 400 crore to NITI Aayog towards recoupment of Contingency Fund, on account of ODA from JICA for SDGs.

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting additional expenditure under Atal Innovation Mission (₹ 10 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 1495.19 1495.19 पंजी Capital 749 31 749 31 जोड़ 2244.50 2244.50 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 13.09 13 09 Revenue पुंजी 70.80 70.80 Capital ... जोड Total 83 89 83 89 जोड़ (मूल और पुरक) 2328.39 2328.39 Total (Original plus Supplementary) ... Revenue 1508.28 1508.28 पुंजी Capital 820.11 820.11 II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ 3051-Ports and Light Houses 0.01 (**क**a) 0.01 3052-नौवहन 3052-Shipping 13.08 (खb) 13.08 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 13.09 13.09 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय 5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses 70 79 (गc) 70 79 5052-नौवहन पर पृंजी परिव्यय 5052-Capital Outlay on Shipping 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 70.80 70.80 ... 83.89 83.89 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: सागरमाला परियोजनाओं के अंतर्गत प्ंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान Grants for creation of Capital Assets under Sagarmala projects (क) (a) अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. (i) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमय्) की अवसंरचना के विकास के (ख) (i) Grants for creation of Capital Assets under infrastructure अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अन्दान (39 करोड़ रुपये)। development of Indian Maritime University (IMU) (₹ 39 crore). (ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमय्) के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (ii) Grants-in-aid Salaries under Indian Maritime University (IMU) (22.46 करोड़ रुपये)। (₹ 22.46 crore). अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo. (i) सागरमाला के अंतर्गत एएलएचडब्ल्यू के प्रमुख कार्यों पर व्यय के लिए नया (i) opening of new head for expenditure on Major Works for ALHW (ग) शीर्ष प्रारंभ करना (33 करोड़ रुपये)। under Sagarmala Projects (₹ 33 crore). (ii) विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण, गुजरात राज्य प्रशासनिक अवसंरचना (ii) Investment for payment of equity by Sagarmala Development लिमिटेड आदि की परियोजनाओं में सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा Company Limited in projects of Vishakhapatnam Port Authority, इक्विटी के भगतान के लिए निवेश (46.57 करोड़ रुपये)। Guiarat State administrative infrastructure Ltd. etc. (₹ 46.57 crore). अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, इसमें नकद व्यय Taking into account the savings available within the same section शामिल होगा। of the Grant, this will entail a cash outgo (ঘ) स्चना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अन्य शुल्क (7.20 करोड़ रुपये)। (d) Other charges under Information Technology (₹ 7.20 crore). अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये) (See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ c</i> जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	- Chargou	70.04	i otai
राजस्व	Revenue		18421.11	18421.11
	Capital		13.11	13.11
गूंजी जोड़	Total	***	18434.22	18434.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require			
, ू ग्राजस्व	Revenue		0.02	0.02
j ंजी	Capital		10.00	10.00
र्गुजी नोड़	Total		10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18444.24	18444.24
। जस्व	Revenue		18421.13	18421.13
ं जी	Capital	•••	23.11	23.11
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगाः		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		Head	
	,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	· ·		
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(क a) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	***	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
^ मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
१८०१-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		10.00	(गc) 10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		10.02	10.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली ट्यवस्था में सुधार के लिए (i) "वियुत प्रणालियों का सुद्दीकरण" पर ट्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना, सामान्य-सहायता-अनुदान (177 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियां निर्माण के लिए अनुदान (148.50 रुपये) और पेशेवर सेवाएं (3.50 करोड़ रुपये); और (ii) पूंजीगत आस्तियां (483.57 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान की दिशा में "सुधार संबंधी वितरण योजना"। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) पूंजीगत आस्तियां (रु. 195.52 करोड़), स्मार्ट ग्रिड के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (रु. 6.70 करोड़) और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लिए रु. 0.04 करोड़। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) सइकों और पुलों की अवसरंचना के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

The supplementary Grants are required for:

Providing additional funds for expenditure on (i) "Strengthening of Power Systems" for power system improvement in North Eastern States excluding Sikkim and Arunachal Pradesh towards grants-in-aid-general (₹ 177 crore), grants for creation of capital assets (₹ 148.50) and professional services (₹ 3.50 crore); and (ii) "Reform Linked Distribution Scheme" towards grants for creation of capital assets (₹ 483.57 crore). Taking into account savings available in same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

"Power System Development Fund" towards provision for creation of capital assets (₹ 195.52 crore), grants–in-aid-general for Smart Grid (₹ 6.70 crore) and ₹ 0.04 crore for Central Transmission Utility. Taking into account savings available in same section of the grant, a Token Supplementary is sought.

Providing additional funds amounting to ₹ 10 crore for creation of infrastructure i.e., roads and bridges. Taking into account surrender of savings available in the revenue section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये) (See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
<i>।.विनियोग:</i>	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	79.45		79.45
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total	<i>79.45</i>		79.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	5.35		5.35
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	<i>5.35</i>		5.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	84.80		84.80
राजस्व	Revenue	84.80		84.80
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the	e following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	<i>5.35</i>		5.35

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करना। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for: meeting additional establishment expenditure. The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 81

लोक सभा LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(,		/ ≠ = 1	ड़ि) (In ₹ crores)
		4		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	799.00	800.00
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total	1.00	799.00	800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.02		0.02
पूंजी जोड़	Capital	***		•••
जोड़	Total	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.02	799.00	800.02
राजस्व	Revenue	1.02	799.00	800.02
प <u>ू</u> ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेग	Π:	
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted			d:
		भारित	स्वीकृत	जৗड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	_		
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु बकाया दावों के निपटान के लिए (0.21 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.19 करोड़ रुपये की बचत और अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में 0.02 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses to settle outstanding claims (0.21 crore).

Taking into account the savings of $\ref{thmodel}$ 0.19 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of $\ref{thmodel}$ 0.02 crore in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 82

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ करो	ड़) (In ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue	1.21	429.75	430.96			
पूंजी	Capital		***	***			
जोड़	Total	1.21	429.75	430.96			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:						
राजस्व	Revenue	0.75		0.75			
पूंजी	Capital			•••			
जोड़	Total	0.75		0.75			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>1.96</i>	429.75	431.71			
राजस्व	Revenue	1.96	429.75	431.71			
पूंजी	Capital						
	II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर	ति दिखाया जायेगा	Γ:				
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.75		0.75			

यह पूरक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

राज्यसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त आतिथ्य व्यय को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional hospitality expenditure under 'Other Administrative Expenses' of Chairman/Dy. Chairman, Rajya Sabha. The above expenditure will entail a cash outgo.

संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये) (See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(t 9h t	iş) (in < crores)			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़			
		Charged	Voted	Total			
l.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:						
राजस्व	Revenue	330.58		330.58			
पूंजी	Capital	***		***			
जोड़	Total	330.58		330.58			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:						
राजस्व	Revenue	20.67		20.67			
पूंजी	Capital			•••			
जोड़	Total	20.67		20.67			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>351.25</i>		351.25			
राजस्व	Revenue	<i>351.25</i>		351.25			
पूंजी	Capital	•••					
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:						
		भारित	स्वीकृत	जॏड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	20.67		20.67			

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों (₹20 करोड़) एवं प्रशासनिक व्यय (₹0.67 करोड़)पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Examinations and Selections ($\stackrel{<}{\approx}20$ crore) and on Administrative Expenditure.($\stackrel{<}{\approx}0.67$ crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 103-104 देखिये)

(See page 103-104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 488 NO 303064 14 303552 14 Revenue पुंजी Capital 98 00 329089 70 329187 70 जोड Total 586.00 632153.84 632739.84 Supplementary Estimate of the amount now required: इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: राजस्व Revenue पूंजी Capital 12000 00 12000 00 ... जोड 12000.00 12000.00 Total जोड (मल और परक) Total (Original plus Supplementary) 586.00 644153.84 644739.84 राजस्व Revenue 488.00 303064.14 303552.14 पंजी Capital 98.00 341089.70 341187.70 II. इस पुरक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी 12000 00 5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial 12000 00 यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grant is required for: नई लाइनों के निर्माण (₹ 1,296.48 करोड़), गेज परिवर्तन (₹ 113.50 (i) (i) meeting additional expenditure on construction of New Lines करोड़), दोहरीकरण (₹ 413 करोड़), यातायात स्विधाएं (₹ 48.02 करोड़), (₹ 1,296.48 crore), Gauge Conversion (₹ 113.50 crore), रोलिंग स्टॉक (₹ 9,000 करोड़), महानगर परिवहन योजनाएं (₹ 1,124 Doubling (₹ 413 crore), Traffic Facilities (₹ 48.02 crore), Rolling करोड़) और और अन्य विद्युत कार्य (₹ 5 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा Stock (₹ 9,000 crore), Metropolitan Transport Projects (₹ 1,124 करना के लिए । इससे नकद व्यय होगा; crore) and Other Electrical Works (₹ 5 crore). This will entail cash outgo. नई दिल्ली रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में नेविगेशन सिस्टम के साथ 3डी सी-₹ 4.26 crore towards cost of 3D C-Arm with navigation system (ii) (ii) आर्म की लागत के लिए 4.26 करोड़ रुपये; in New Delhi Railway Central Hospital. नवाचार परियोजनाओं (चरण-।) की लागत के लिए ₹ 50 करोड़। ₹ 50 crore towards cost of innovation projects (phase-I). (iii) (iii) भारतीय रेलवे पर बचे ह्ए छोटे पैच/साइडिंग के विद्यतीकरण की लागत के ₹ 100 crore towards cost of electrification of left over small (iv) लिए 100 करोड रुपये। patches/sidings over Indian Railways. वंदे भारत चेयर कार ट्रेनों की अन्रक्षण अवसंरचना के उन्नयन/विकास के ₹ 370 crore towards upgradation/development of maintenance (v) (v) लिए 370 करोड़ रुपये। infrastructure for Vande Bharat Chair Car trains. डब्ल्यूटीए 527 की शर्तों के अनुसार ऊर्जा क्शल वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की 2,500 crore towards upgradation/development of (vi) (vi) अन्रक्षण अवसंरचना के उन्नयन/विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये। maintenance infrastructure for energy efficient Vande Bharat Sleeper trains as per conditions under WTA 527. अन्य रोलिंग स्टॉक की अन्रक्षण स्विधा के विकास/उन्नयन के लिए ₹ 500 crore towards development /upgradation of maintenance (vii) (vii) ₹ 500 करोड़; facility for other rolling stock. एचएचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की अवसंरचना स्विधाओं के (viii) (viii) ₹ 900 crore towards infrastructure facilities for maintenance of HHP electric locomotives एमआर-400 सीरीज रेक्स के प्जीं और व्हील सेट और संबंधित वस्त्ओं के (ix) (ix) ₹ 12.92 crore towards creation of spares and wheel sets and निर्माण के लिए 12.92 करोड़ रुपये। associated items for MR-400 series rakes दक्षिण रेलवे में ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए 85.06 करोड़ रुपये। ₹ 85.06 crore towards track renewal works in Southern (x)(x)Railway. पूर्वीत्तर सीमांत रेलवे में वेल्ड नवीनीकरण के माध्यम से 129.22 करोड़ ₹129.22 crore towards Through Weld Renewal in Northeast (xi) (xi) Frontier Railway भारतीय रेलवे की रेल्स के परीक्षण और निरीक्षण के लिए 60 करोड़ रुपये; (xii) (xii) ₹ 60 crore towards Testing and inspection of rails for Indian Railways (xiii) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल नवीनीकरण (प्राथमिक) के माध्यम से (xiii) ₹ 31.32 crore towards Through Rail Renewal (Primary) in South East Central Railway. ₹ 31.32 करोड। ₹ 34.38 crore towards setting up of Centre of Excellence for दक्षिण मध्य रेलवे में आईआरआईएसईटी/सिकंदराबाद में सेंटर ऑफ (xiv) (xiv) एक्सीलेंस फॉर मॉडर्न सिग्नलिंग (कवच) की स्थापना के लिए 34.38 करोड़ Modern Signalling (Kavach) at IRISET/Secunderabad in South Central Railway जगाधरी - कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 30 करोड रुपये ₹ 30 crore towards Jagadhari- setting up of commando training (xv) (xv)

(xvi)	महिलाओं की सुरक्षा हेतु टैब की खरीद के लिए 6.35 करोड़ रुपये।	(xvi)	₹ 6.35 crore towards procurement of tabs for security of women.
(xvii)	उच्च क्षमता वाले IV कपलर (500 एएमपी) और 150 वर्ग मिमी फीडर केबल के प्रावधान के लिए ₹ 75 करोड़।	(xvii)	₹ 75 crore towards Provision of high capacity IV coupler (500 amp) & 150 sq. mm feeder cable.
(xviii)	मध्य रेलवे में ईएमयू के लिए सीवीवीआर ड्राइविंग कैब (322 नग) के प्रावधान के लिए 3.98 करोड़ रुपये।	(xviii)	₹ 3.98 crore towards Provision of CVVR driving cabs for EMU in Central Railway (322 Nos.).
(xix)	सीमेंस ईएमयू रेक में साइड वॉल माउंटेड एएचयूआई को रूफ माउंटेड एएचयू में संशोधित करने के लिए ₹ 62.34 करोड़;	(xix)	₹ 62.34 crore towards Modification of side wall mounted AHUI into roof mounted AHU in siemens EMU rakes.
(xx)	सीमेंस मेक ट्रैक्शन मोटर रोटर के लिए 6.09 करोड़ रुपये।	(xx)	₹ 6.09 crore towards Rotor for siemens make traction motor.
(xxi)	सीमेंस ईएमयू रेक्स के डीटीसी कोचों की डी कैब की रूफ शीट बदलने के लिए ₹ 7.08 करोड़।	(xxi)	₹ 7.08 crore towards Replacement of roof sheet of D cab of DTC coaches of siemens EMU rakes.
(xxii)	अन्य मेक ईपी यूनिट के साथ मोटर कोचों के पेंटोग्राफ एरिया में डी की रूफ शीट बदलने के लिए ₹ 30.53 करोड़।	(xxii)	₹ 30.53 crore towards Replacement of roof sheet of D at pantograph area of motor coaches with other make EP unit.
(xxiii)	ईएमयू कोचों में लगे डब्ल्यूएसएफ मेक ईपी यूनिट को अन्य मेक ईपी यूनिट से बदलने के लिए ₹ 2.53 करोड़।	(xxiii)	₹ 2.53 crore towards replacement of WSF make EP unit fitted in EMU coaches with other make EP unit.
(xxiv)	ईएमयू रेक के व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 3.21 करोड़ रुपये।	(xxiv)	₹ 3.21 crore towards Design, supply, erection, testing and commissioning of wheel flange lubrication system of EMU rakes.
(xxv)	पूर्वी रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 529 करोड़ रुपये।	(xxv)	₹ 529 crore towards Eastern Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxvi)	पूर्व मध्य रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 766 करोड़ रुपये।	(xxvi)	₹766 crore towards East Central Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxvii)	पूर्व कोस्ट रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्वार/पुनर्निर्माण के लिए 1,614 करोड़ रुपये।	(xxvii)	₹ 1,614 crore towards East Coast Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxviii)	उत्तर मध्य रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्वार/पुनर्निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये।	(xxviii)	₹ 101 crore towards North Central Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxix)	दक्षिण पूर्व रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्वार/पुनर्निर्माण के लिए 2,451 करोड़ रुपये	(xxix)	₹ 2,451 crore towards South Eastern Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxx)	दक्षिण पश्चिम रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपये।	(xxx)	₹ 117 crore towards South Western Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxxi)	पश्चिम रेलवे पर 160 किमी/घंटा मार्गों पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपये;	(xxxi)	₹ 465 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on 160 km/h routes on Western Railway.
(xxxii)	गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पश्चिम रेलवे पर गोल्डन डायगोनल -गोल्डन क्वाडिलेट्रल मार्गों पर रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये;	(xxxii)	₹600 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on Gujarat Urban Development Company Limited, Maharashtra Rail Infrastructure Development Corporation Limited, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and Golden Diagonal -Golden Quadrilateral
(xxxiii)	मध्य रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 500	(xxxiii)	routes on Western Railway. ₹500 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road
(xxxiv)	करोड़ रुपये। उत्तर रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 900 करोड़	(xxxiv)	Under Bridge on Central Railway. ₹ 900 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road
(xxxv)	रुपये उत्तर पश्चिम रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए	(xxxv)	Under Bridge on Northern Railway. ₹ 300 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road
(xxxvi)	300 करोड़ रुपये। पूर्व रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 306 करोड़ रुपये।	(xxxvi)	Under Bridge on North Western Railway. ₹ 306 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road
(xxxvii)	अर्इजीओटी मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के लिए डिजीटल रेलवे शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये	(xxxvii)	Under Bridge on Eastern Railway. ₹ 60 crore towards creation of digitised railway learning
(xxxviii)	भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के मुख्य उन्नयन के लिए ₹ 25,000 करोड़ (चरण- III)	(xxxviii)	contents for iGOT mission Karmayogi platform. ₹ 25,000 crore towards Major upgradation of stations on Indian
(xxxix)	(चरण= iii) भारतीय रेलवे पर बचे हुए गैर-विद्युतीकृत खंडों के विद्युतीकरण की लागत के लिए ₹900 करोड:	(xxxix)	Railways (phase-III). ₹900 crore towards cost of electrification of left over un-electrified sections over Indian Railways.
(xl)	साइड एंट्री कोचों के साथ 2000 आईसीएफ कोचों को न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड (एनएमजीएचएस) में बदलने के लिए ₹500 करोड़।	(xl)	₹500 crore towards conversion of 2000 ICF coaches into New Modified Goods High Speed (NMGHS) with side entry coaches.
(xli)	दक्षिण रेलवे पर थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूवल (एच-बीम), थ्रू टर्नआउट रिन्यूवल (टीटीआर) लेआउट/अलाइनमेंट करेक्शन, वक्रों का पुनर्निर्धारण (रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स) और अन्य विविध कार्यों जैसे ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए ₹ 119.98 करोड़ और	(xli)	₹ 119.98 crore towards Track Renewal works like Through Bridge Sleeper Renewal (H- Beam), Through Turnout Renewal (TTR)Layout/Alignment Corrections, Realignment of Curves and other miscellaneous works on Southern Railway and
(xlii)	उत्तर रेलवे पर प्राइमरी ट्रैक रिन्यूअल नामतः कंप्लीट ट्रैक रिन्यूवल (सीटीआर) और थ्रू रेल रिन्यूवल (टीआरआर) के लिए ₹ 265.72 करोड़।	(xlii)	₹ 265.72 crore towards Primary Track Renewal namely Complete Track Renewal (CTR) & Through Rail Renewal (TRR) on Northern Railway.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, (ii) से (xlii) में सूचीबद्ध मदों में नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, items listed at (ii) to (xlii) will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ व	न्रोड़) (In ₹ crores,
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•			
राजस्व	Revenue		22584.19		22584.19
पुंजी	Capital	5.00	369171.14		369176.14
जोड़	Total	5.00	391755.33		391760.33
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:				
पूरक अनुमान:					
राजस्व	Revenue		10.00		10.00
पूंजी	Capital	***	37117.64		37117.64
जोड़	Total		37127.64		37127.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	428882.97		428887.97
राजस्व	Revenue		22594.19		22594.19
पूंजी	Capital	5.00	406288.78		406293.78
*	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		ead		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	भारित	स्वीकृत		ਗੋਤ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	· ·			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		10.00	(क a)	10.00
पुंजी भाग	CAPITAL SECTION			, ,	
^ मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	***	2940.00	(खb)	2940.00
परिव्यय				()	
5054-सड़क और पुलों पर	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		34177.64	(गc)	34177.64
पूंजीगत परिव्यय				(- /	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		37117.64		37117.64
जोड़ (पुरक)	Total (Supplementary)		37127.64		37127.64
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अन्मानों में	नीचे दर्शाई गयी वस्तियों को	शामिल नहीं किया गय	ग है जिन्हें व्य	य में से घटाकर
	समायोजित किया जाता है !	**			
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into account tl	ne recoveries show	n below, whi	ch are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		(-)10.00		(-)10.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				• •
^ 5054-सड़क और प्लों पर	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	***	(-)18558.82		(-)18558.82
पुंजीगत परिव्यय	,		()		.,
•	Total (Supplementary)		-18568.82		-18568.82
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण के लिए सार्वजनिक सड़क परिवहन पर मिहलाओं की सुरक्षा के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये)।
(ii) राज्य सड़क परिवहन निगमों को सहायता के तहत एसटीयू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सामान्य सहायता अनुदान (रु. 25 करोड़)। (iii) भारत में दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा योजना के लिए बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं के संबंध में समकक्ष निधियों के साथ-साथ राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक नए शीर्ष खोले जाएंगे।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत और वसूली (10 करोड़ रुपये) से समत्न्य व्यय को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) एनईए के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत चल रहे कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - राष्ट्रीय निवेश कोष (20 करोड़ रुपये) से वितपोषित। (ii) एनईए के लिए रोड विंग के तहत सड़क विकास कार्यों के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - राष्ट्रीय निवेश कोष से वितपोषित (2920 करोड़ रुपये)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under Safety of Women on Public Road
Transport for disbursement to States/UTs (₹ 10 crore). (ii) Grantsin-aid General on the basis of proposals submitted by STUs under
Assistance to State Road Transport Corporations (₹ 25 crore).
(iii) New heads to be opened for Road Safety Scheme to reduce
accident and fatalities in India in respect of Externally Aided
Schemes- World Bank & Asian Development Bank for State
Support Programme along with Counterpart Funds.
Taking into account the saving available within the same Section of

Taking into account the saving available within the same Section of the Grant and expenditure to be matched by recoveries (₹ 10 crore), this will not entail any cash outgo.

(i) Additional expenditure on Major Works for ongoing works under Border Road Development Board for NEA - financed from National Investment Fund (₹ 20 crore). (ii) Additional expenditure on Major Works for Road Development Works under Road Wing for NEAfinanced from National Investment Fund (₹ 2920 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(ग)

(i) सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (13500 करोड़ रुपये) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश। (ii) परमानेंट ब्रिज शल्क निधि (पीबीएफएफ) से निवेश के तहत अतिरिक्त खर्च को परा करना (4090.62 रुपये)। (iii) बाहरी सहायता योजना के तहत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय -विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (74 करोड रुपये)। (iv) अन्य योजनाओं (जीबीएस) के तहत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (836 करोड़ रुपये)। (v) राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत सामान्य घटक के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय मूल कार्य - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (6266.40 करोड़ रुपये)। (vi) अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के अंतर्गत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (100 करोड़ रुपये)। (vii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) काउंटरपार्ट फंड (51 करोड़ रुपये) के तहत। (viii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सडक संपर्क (एनएच और राज्य सड़कों) के विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के प्रमख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (61 करोड़ रुपये)। (ix) टीएसपी घटक के लिए भारतमाला परियोजना के तहत प्रमख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (2250 करोड़ रुपये)। (x) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए सेंटल रोड एंड इंफ्रास्टक्चर फंड (सीआरआईएफ) में इंटर एकाउंट ट्रांसफर (13500 रुपये)। (xi) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं (8033.82 करोड़ रुपये) के लिए सीआरआईएफ को अंतर खाता अंतरण। (xii) अंतर खाता अंतरण स्थायी ब्रिजेज शुल्क निधि (पीबीएफएफ) (4085 करोड़ रुपये)। (xiii) उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतर खाता अंतरण (2940 करोड रुपये)।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, वसूली (18558.82 करोड़ रुपये) से मिलान किए जाने वाले व्यय, अनुदान की राजस्व खंड (639.91 करोड़ रुपये) के तहत उपलब्ध बचत का अभ्यपेण, यह एक शुद्ध नकद व्यय होगा (14978.91 करोड़ रुपये)।

(i) Investment in National Highways Authority of India (NHAI) from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 13500 crore). (ii) Meeting additional expenditure under Investment from Permanent Bridge Fee Fund (PBFF) (₹ 4090.62 crore). (iii) Additional expenditure on Major Works under Externally Aided Scheme - World Bank, Green National Highways Corridor Project (₹ 74 crore). (iv) Additional expenditure on Major Works under Other Schemes (GBS) (₹ 836 crore). (v) Additional expenditure on Major Works for General Component under National Highways Original Works -Financed from CRIF (₹ 6266.40 crore). (vi) Additional expenditure on Major Works under the Roads of Inter State or Economic Importance(₹ 100 crore). (vii) Additional expenditure on Major Works for Externally Aided Schemes - World Bank, Green National Highways Corridor Project (GNHCP) under Counterpart Fund (₹ 51 crore). (viii) Additional expenditure on Major Works for Tribal Area Sub Plan under Development of Road connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹ 61 crore). (ix) Additional expenditure on Major Works under Bharatmala Pariyojana for TSP component-Financed from CRIF (₹ 2250 crore). (x) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) meant for National Highways Authority of India (NHAI) (₹ 13500 crore). (xi) Inter Account Transfer to CRIF meant for other National Highways schemes (₹ 8033.82 (xii) Inter Account Transfer to Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) (₹ 4085 crore). (xiii) Inter Account Transfer to National Investment Fund meant for North East Region (₹ 2940

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, expenditure to be matched by recoveries (₹ 18558.82 crore), surrendering of savings available under Revenue Section of Grants (₹ 639.91 crore), this will entail a net cash outgo (₹ 14978.91 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि (85.84 करोड़ रूपये)

का प्रावधान; । अनुदान के इसी भाग में 83.41 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए , इसमें 2.43 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(See pag	ge 106 of the Dem	ands for Grants of Central Government	for the y	ear 2022-2023)			.
				. 0	•	(₹ 8	करोड़) (In ₹ crores,
				भारित	स्वीकृत		जोड़
_				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुर	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			247944.29		247944.29
पूं जी		Capital					
जोड़		Total		•••	247944.29		247944.29
	ावश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
ाजस्व		Revenue			89999.50		89999.50
j ंजी		Capital					
जोड़		Total			89999.50		89999.50
जोड़ (मूल औ	रि पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			337943.79		337943.79
ाजस्व 🏻		Revenue		•••	337943.79		337943.79
र् गुजी		Capital		•••	•••		
~		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर	ति दिखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grants will be account			· Head		
		ii. This supplementary stants will be associate	ou for union	भारित	स्वीकृत		जৗड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		Unaryeu	VOLGU		I Otal
<i>ाजस्य मार्थ</i> ग्रह्य शीर्ष	9 /						
	ग विकास के लिए विशेष	MAJOR HEAD 2501-Special Programmes for Rural Develop	mont		0.01	(कa)	0.01
-30 1-आणा हार्यक्रम	न विकास के लिए विस्त	2001-Special Flogrammes for Rural Develop	IIICIII		0.01	(4 <i>1</i> a)	0.01
^{171 व द्र} े रूप 2505-ग्रामीप	ग गोज्याग	2505-Rural Employment			27880.00	(खb)	27880.00
2552-पूर्वोत्तर		2552-North Eastern Areas				-	2.43
				•••	2.43	(गc)	
	सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments			62116.47	(घd)	62116.47
भनुदान २६०२ चंच म	्य भेर की गासमें से	2602 Create in aid to Union Torritory Coverns			0.50	(군 o)	0.50
	ाज्य क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governr	nents		0.59	(ਝe)	0.59
महायता अनु जोड़ (राजस्व	,	Total (Bayanya Sastian)			89999.50		89999.50
गां५ (राजस्य	1 min)	Total (Revenue Section)			05555.50		09999.50
			अनुमानों में ब	नीचे दर्शाई गयी वसलियों	ं को शामिल नहीं किया	गया है जिन्हें	हं व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !	3				
		Note: The above estimates of additional requi	rements do	not take into accour	nt the recoveries sh	own below,	which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भा	T	REVENUE SECTION					
 2505-ग्रामीप		2505-Rural Employment			(-)11480.00		(-)11480.00
	सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		•••	(-)33342.00		(-)33342.00
	सरकारा का सहावता	3001-Grants-in-aid to State Governments			(-)33342.00		(-)33342.00
अनुदान जोड़ (राजस्व	· 9.17.31\	Total (Revenue Section)			(-)44822.00		(-)44822.00
niş (Klorea	1 41141)	Total (Neverlue Section)		***	(-)44022.00		(-)++022.00
ाट गगळ अ	नुदाने निम्नलिखित हेत् अपे	\@ \ .	The cure	olomontory Cronto as	ro roquired for:		
				plementary Grants ar		or 'Doondo	val Antovadova Voina
क)		निधि हेतु 'दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-	(a)	_	•		yal Antayodaya Yojna
		ए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता		,	•	•	al (₹ 9.99 crore) fo
		रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान			-		Taking into accoun
	म रखत हुए, साकातक	ज्पूरक की मांग की जाती है। ज्यूरक की मांग की जाती है।		=		ection of t	the Grant, a Toke
				Supplementary	y is sought.		
ख)	., ,	रंटी कोष' (एनईजीएफ) के लिए 16,400 करोड़ रुपये की	(b)	* *	_		crore for 'Nationa
		गैर (ii) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी'		Employment	Guarantee Fund'	(NEGF);	and (ii) provision o
	योजना के अंतर्गत पूर	जीगत आस्ति के सृजन के लिए 11,480 करोड़ रुपये के		₹ 11,480 crore	towards grants for	r creation c	of capital assets unde
	अनुदान का प्रावधान।	चूंकि 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से प्राप्त राशि 11,480		'Mahatma Gan	ndhi National Rural	Employmer	nt Guarantee' scheme
	करोड़ रूपये हैं, इसके वि	लेए 16,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।		Since the amo	ount of ₹ 11,480 c	rore is to	be met from 'Nationa
				Employment G	Guarantee Fund', thi	is will entail	additional cash outgo
				of ₹ 16,400 cro	ore.		
ग)	'श्यामा प्रसाद म्खर्ज	र्भी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) के लिए	(c)	provision of a	additional funds (₹	85.84 cro	re) as grants-in-aid
	3						

general for 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission' (SPMRM);

Taking into account savings of \ref{thm} 83.41 crore available in same section of the grant, this will entail additional cash outgo of \ref{thm} 2.43

crore.

(d)

- (i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के कार्यक्रम घटक के (ঘ) अंतर्गत 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से वित्तपोषित की जाने वाली पंजीगत आस्ति (4,920 करोड रुपये) के सजन के लिए अनदान के व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान; (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर व्यय करने के लिए 28,422 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि 'केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि' (सीआरआईएफ) से प्राप्त होगी। पीएमएवाई-आर हेत् भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम के लिए 13,000 करोड़ रुपये की वसूल की जाने वाली राशि; (iii) 'श्यामा प्रसाद मखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) हेत् अतिरिक्त व्यय करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान (352.47 करोड़ रुपये), और (iv) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वद्धावस्था पेंशन' योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि (37.78 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध 37.78 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हए, इसमें 28,774.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 28,422 करोड़ रुपये व्यय के रूप में केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से तथा 4920 करोड़ रूपये 'राष्ट्रीय
- (ङ) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (रु. 0.59 करोड़) के व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान। इससे नकद व्यय होगा।

रोजगार गारंटी कोष' से प्राप्त होंगे।

(i) provision of additional funds to incur expenditure towards grant for creation of capital assets (₹ 4,920 crore) under programme component of 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme to be financed from 'National Employment Guarantee Fund'; (ii) additional funds amounting to ₹ 28,422 crore for incurring expenditure on Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural to be met from 'Central Road and Infrastructure fund' (CRIF). ₹ 13,000 crore being the amount to be recouped against advance taken from Contingency Fund of India for PMAY-R; (iii) for incurring additional expenditure on 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission'(SPMRM) towards grants-in-aid-general (₹ 352.47 crore); and (iv) additional funds (₹ 37.78 crore) for 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme towards grants-in-aid-general. Taking into account savings of ₹ 37.78 crore available in same section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹ 28.774.47 crore. as the expenditure of ₹ 28,422 crore is to be met from 'Central Road and Infrastructure Fund' for Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural and ₹ 4920 crore to be met from 'National Employment Guarantee Fund'.

provision of additional funds to incur expenditure towards grants-inaid-general (₹ 0.59 crore) under 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission' (SPMRM). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 88

भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

की मांग की जाती है।

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: 2259.34 राजस्व 2259 34 Revenue पुंजी Capital जोड 2259.34 Total 2259.34 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 10.25 0.02 10.27 पूंजी Capital जोड 10.25 0.02 10.27 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 10.25 2259.36 2269.61 राजस्व Revenue 10.25 2259.36 2269.61 पूंजी Capital II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: स्वीकृत भारित जॊड़ Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 10.26 2501-Special Programmes for Rural Development 10.25 (**क**a) 0.01 (खb) 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 10.25 0.02 10.27 यह पूरक अन्दाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता मामले से संबंधित व्यय provision of ₹ 10.25 crore towards meeting expenditure related to को पूरा करने के लिए 10.25 करोड़ रुपये का प्रावधान। अनुदान के राजस्व arbitration case in view of court decree. Taking into account भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, इसमें कोई नकद व्यय savings available in revenue voted section of the grant, this will not नहीं होगा। entail cash outgo. संघ-राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना घटक हेत् सामान्य additional fund of ₹ 0.10 crore for expenditure on Integrated (ख) सहायता अनुदान के रूप में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम पर ट्येय के लिए Watershed Development Program as grants-in-aid-general for tribal 0.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि; अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों area sub plan component for Union Territory of Ladakh; Taking को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना घटक पर व्यय के लिए एकीकृत (ग) additional fund of ₹ 18 crore for expenditure on Integrated वाटरशेड विकास कार्यक्रम पर व्यय हेत् 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि ; Watershed Development Program towards expenditure on tribal अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक area sub plan component for North Eastern Areas; Taking into

account savings available in same section of the grant, a token

supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			((4/(12 / (11) (4		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	5919.48	5919.50	
पूंजी	Capital		82.70	82.70	
जोड़	Total	0.02	6002.18	6002.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	***	0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6002.19	6002.21	
राजस्व	Revenue	0.02	5919.49	5919.51	
प् ंजी	Capital		82.70	82.70	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		l:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्निलिखित के लिए ट्यय पूरा करने हेतु (i) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (95.30 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (4.70 करोड़ रुपये) ; और (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण योजना के तहत 'अन्य शुल्क' (30 करोड़ रुपये) और 'छात्रवृति' (220.00 करोड़ रुपये)। इसमें परिशिष्ट 10 के साथ पठित जीएफआर 2017 के नियम 61 और 69 के तहत संस्वीकृत 65 करोड़ रुपये के ट्यय का नियमितीकरण भी शामिल है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 95.30 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 4.70 crore) for Technology Development Board; and (ii) 'Other Charges' (₹ 30 crore) and 'Scholarship' (₹ 220.00 crore) under the scheme Science and Technology Institutional and Human Capacity Building. It also includes regularization of expenditure of ₹ 65 crore sanctioned under Rules 61 and 69 of GFRs 2017 read with Appendix 10.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 5623 96 5623 96 पुंजी Capital 12.50 12.50 जोड Total 5636.46 5636.46 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 313.65 313.65 राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड 313.66 313.66 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5950.12 5950.12 राजस्व Revenue 5937.61 5937.61 पूंजी Capital 12.51 12.51 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3425-अन्य वैज्ञानिक अन्संधान (कa) 3425-Other Scientific Research 313.65 313.65 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजी 0.01 4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic 0.01 (खb) परिव्यय Industries जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 313.66 313.66

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (137.33 करोड़ रुपये), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फैलोशिप (104 करोड़ रुपये) और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए समर्थन (3.18 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (70 करोड़ रु.) और (iii) एपीसीटीटी (यूएन निकाय) में योगदान (0.50 करोड़ रु.)। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 8.50 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के पश्चात् उक्त व्यय 305.15 करोड़ रुपए का नकद बहिर्गमन होगा.

(ख) सीईएल (1.50 करोड़ रुपये) के निवेश के लिए व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹ 137.33 crore), Research Schemes, Scholorships and fellowships (₹ 104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹ 3.18 crores) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹ 70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings of $\ref{thmodel}$ 8.50 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of $\ref{thmodel}$ 305.15 crore.

(b) meeting expenditure towards Investments of CEL (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

	·	भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores)</i> जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		11687.51	11687.51
पूंजी	Capital		235.00	235.00
जोड़	Total	•••	11922.51	11922.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		1100.00	1100.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1100.00	1100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	13022.51	13022.51
राजस्व	Revenue		12787.51	12787.51
पूंजी	Capital		235.00	235.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		or Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		950.00	(क a) 950.00
अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		150.00	(खb) 150.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1100.00	1100.00
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीर व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do n			
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	which are adjusted in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

(1) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) योजना (१७० करोइ) और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (950 करोइ रुपये) (2) छात्रवृत्ति / स्टाइपेंड फॉर (i) टॉप क्लास स्कूल (११७८.७५ करोइ) और टॉप क्लास कॉलेज (१३८३.65 करोइ) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरिशप अवार्ड स्कीम के तहत (ii) एससी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना में एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (११४ करोइ) और (iii) पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के लिए छात्रवृत्ति (११० करोइ)।

2235-Social Security and Welfare

950 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत आवश्यक अतिरिक्त राशि (150 करोड़ रुपये)

> 150 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) से मिलेंगे, उपरोक्त खर्च के लिए कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं करना होगा;

The supplementary Grants are required for:

(1)Grants in Aid General under the scheme (i) National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) Scheme (₹ 70 crore) and (ii) Development Action Plan for SCs (DAPSC) (₹ 950 crore) (2) Scholarship/Stipend for (i) Top Class Schools (₹ 178.75 crore) and Top Class Colleges (₹ 383.65 crore) under the Scheme for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme (ii) National Overseas Scholarship for SCs (₹ 14 crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs and (iii) Scholarship for PM CARES Children scheme (₹ 10 crore)

(-)150.00

(-)150.00

Taking into account the surrender of savings of ₹ 950 crore by different Ministries/Departments under Minor Head 789-Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) as well as available savings in Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Additional amount required under the scheme Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) (₹ 150 crore)

Taking into account the amount of ₹ 150 crore to be met from Senior Citizen Welfare Fund (SCWF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग **DEPARTMENT OF SPACE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

	·	भारित		स्वीकृत	(₹ करो	इ) (In ₹ crores) जोड़
	LODIOINAL OBANT	Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.60		6233.80		6234.40
पूंजी	Capital	0.40		7465.20		7465.60
जोड़	Total	1.00		13699.00		13700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	0.60		0.01		0.61
पूंजी	Capital			0.01		0.01
जोड़	Total	0.60		0.02		0.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.60		13699.02		13700.62
राजस्व	Revenue	1.20		6233.81		6235.01
पूंजी	Capital	0.40		7465.21		7465.61
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:	:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acc			wing Major F	leads:	
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	0.60	(कa)	0.01	(खb)	0.61
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
	MAJOR HEAD					
	5402-Capital Outlay on Space Research			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.60		0.02		0.62
पूंजी आग मुख्य शीर्ष 5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5402-Capital Outlay on Space Research	•••	(47 <i>a)</i>	0.01	, ,	0.01

पूजा माग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष					0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	जनुसयान पर पूजा पारण्यय	5402-Capital Outlay on Space Resea Total (Supplementary)	icii	0.60	0.02	(*10)	0.62
यह पूरक अन्ट	प्राने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:	The supp	plementary Grants/Appropriations	are required	I for:	
(क) "	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अग्रिम की प्रतिपूर्ति के व्यय पूर	हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित करने के लिए (0.60 करोड़ रुपये)। लब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,	(a)	meeting expenditure towa (₹ 0.60 crore) for recou Contingency Fund of India. Taking into account the sun	pment of	advance o	drawn from the
	उपरोक्त व्यय के लिए कोई अति			Section of the Grant, the additional cash outgo.		_	
(ख)	अनुदान (4.95 करोड़ रुपये (6.20 करोड़ रुपये) और (1.07 करोड़ रुपये) के लिए वेतर	करने हेतु (i) रेस्पॉन्ड के लिए सामान्य सहायता) और (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला न सहायता अनुदान ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(b)	meeting expenditure toward (₹ 4.95 Crore) and (ii) Gran Laboratory (₹ 6.20 Crore) Laboratory (₹ 1.07 Crore). Taking into account the sathe Grant, a token supplement	nt-in Aid-Sal and Natio vings availa	aries to Pl nal Atmos able in the	nysical Research pheric Research
(ग)	लिमिटेड को 10 इन-ऑर्बिट उप पूरा करने के लिए 4696.60 प्लांट (4 करोड़ रुपये) के मुख्य और प्राधिकरण केंद्र (9.49 क अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (8.15 करोड़	करने हेतु (i) निवेश के रूप में न्यू स्पेस इंडिया नग्रहों के स्वामित्व के अंतरण के लिए व्यय को करोड़ रूपये (ii) सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस ब्स्टर कार्य और (iii) भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन रोड़ रुपये) के आईटी - एम एवं ई और मानव र रुपये)। ध बचर्तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(c)	meeting expenditure toward satellites to New Space Investment (ii) Major Worl Plant (₹ 4 Crore) and (iii) Promotion and Authorisati Spaceflight Centre (₹ 8.15 C Taking into account the sathe Grant, a token supplement	India Ltd. ks to Solid IT - M&E on Centre Crore). vings availa	of ₹ 46 Propellant of Indian (₹ 9.49 C	96.60 Crore as Space Booster National Space Crore) & Human

मांग संख्या DEMAND NO 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(15) (111 \ CIUIE	:3/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		5378.08	5378.08	
पूंजी	Capital	***	20.00	20.00	
जोड़	Total		5398.08	5398.08	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	j :			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5398.09	5398.09	
राजस्व	Revenue		5378.09	5378.09	
पूंजी	Capital	***	20.00	20.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 38.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants in Aid General for Indian Statistical Institute (₹ 38.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 97

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करॉड़) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		47.00	47.00	
पूंजी	Capital	***	***	***	
जोड़	Total	•••	47.00	47.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		10.72	10.72	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		10.72	10.72	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		57.72	57.72	
राजस्व	Revenue	•••	57.72	57.72	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		10.72	10.72	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

'भारत में व्यापारिक जहाजों को हरी झंडी दिखाना' योजना के तहत सब्सिडी (12.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इस पर नकद व्यय (10.72 करोड़ रुपये) होगा। The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 12.00 crore) under the scheme 'Flagging of Merchant Ships in India'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 10.72 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

`	•	,				
		भारित		(₹ करोड़	र) (In ₹ crores) जॊड	
		**	स्वीकृत		•	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		12357.11		12357.11	
पूंजी	Capital		25.03		25.03	
जोड़	Total		12382.14		12382.14	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.03		0.03	
पूंजी	Capital	•••	6.50		6.50	
जोड़	Total		6.53		6.53	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12388.67		12388.67	
राजस्व	Revenue	***	12357.14		12357.14	
पूंजी	Capital	***	31.53		31.53	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(कa)	0.01	
2851-ग्राम एवं लघ् उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb)	0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		6.50	(ঘd)	6.50	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		6.53		6.53	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (7.77 करोड़ रुपये), (ii) 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये))', (iii) सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (6.50 करोड़ रुपये) 'पूर्वोत्तर में भू टेक्सटाइल के उपयोग के लिए योजना' और (iv) अनुदान- 'सेंट्रल सिल्क बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.78 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए (0.35 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति (रु. 26.36 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान, (ii) 'कच्चा माल आपूर्ति योजना' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (रु. 25.00 करोड़), (iii) 'हथकरघा संरक्षण और हथकरघा कार्यान्वयन (उत्पादन के लिए वस्तुओं का भंडारण)' योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (1.50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (0.10 करोड़ रुपये) अधिनियम, 1985', (iv) व्यावसायिक सेवाएं (0.30 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (15.85 करोड़ रुपये) और 'हस्तकला क्लस्टर विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) - हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर', (v) 'राष्ट्रीय हस्तिशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (22.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) सहायता आनुदान (5.57 करोड़ रुपये) और 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.44 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 7.77 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)', (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.50 crore) under the scheme 'Scheme for Usage of Geotextiles in North East' and (iv) Grants-in-aid General (₹ 5.78 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.35 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.36 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grantsin-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Raw Material Supply Scheme', (iii) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.10 crore) under the scheme 'Scheme for Protection of the Handlooms and Implementation of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985', (iv) Professional Services (₹ 0.30 crore), Grants-in-aid General (₹ 15.85 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Handicraft Cluster Developoment Program - Handicraft Mega Cluster', (v) Grants-inaid General (₹ 22.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)', (vi) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.06 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 58.57 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5.44 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d)

(ग) (i) सामान्य सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान वेतन (33.89 करोड़ रुपये) 'कपड़ा समिति के लिए सहायक' योजना के तहत, (ii) सामान्य सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) 'आर एंड डी टेक्सटाइल्स' योजना के तहत, (iii) सामान्य सहायता अनुदान (252.83 करोड़ रुपये) 'पीएसयू को सहायता' योजना के तहत, (iv) लघु कार्य (0.84 करोड़ रुपये) और कार्यालय 'कपड़ा आयुक्त' योजना के तहत ट्यय (0.10 करोड़ रुपये) और (v) 'जूट आयुक्त' योजना के तहत कार्यालय ट्यय (0.13 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) (i) 'विकास आयुक्त (हथकरघा)' योजना के तहत प्रमुख कार्य (5.00 करोड़ रुपये) और (ii) 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' योजना के तहत प्रमुख कार्य (1.50 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(i) Grants-in-aid General (₹ 0.90 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 33.89 crore) under the scheme 'Assistant to Textile Committee', (iii) Grants-in-aid General (₹ 5.00 crore) under the scheme 'R & D Textiles', (iii) Grants-in-aid General (₹ 252.83 crore) under the scheme 'Support to PSU's', (iv) Minor Works (₹ 0.84 crore) and Office Expenses (₹ 0.10 crore) under the scheme 'Textile Commissioner' and (v) Office Expenses (₹ 0.13 crore) under the scheme 'Jute Commissioner'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Major Works (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Development Commissioner (Handloom)' and (ii) Major Works (₹ 1.50 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत		, আঁভ
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	4620.35	3781.57		8401.92
पूंजी	Capital		50.00		50.00
जोड़	Total	4620.35	3831.57		8451.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		9.00		9.00
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		9.00		9.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4620.35	3840.57		8460.92
राजस्व	Revenue	4620.35	3790.57		8410.92
पूंजी	Capital		50.00		50.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under t		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		3.80	(कa)	3.80
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		5.20	(खb)	5.20
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		9.00		9.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना: (i) 'वेतन'
(1 करोड रुपये), (ii) कार्यालय व्यय (2.50 करोड़ रुपये) और (iii) गैर-योजना
सचिवालय के तहत किराया दर और कर (0.30 करोड़ रुपये)
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त
व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) (1) निम्नलिखित के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना गैर-योजना "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)" के तहत (i) 'वेतन' (रू. 0.95 करोड़), और (ii)'व्यवसायिक सेवाएं (4.25 करोड़ रुपये) और (2) 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक लागत' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.05 करोड़ रुपये) और (3) निम्नलिखित योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) प्रधान मंत्री जन जाति विकास मिशन (पीएमजेवीएम) (20 करोड़ रुपये) और (ii) जनजातीय अनुसंधान संस्था को सहायता (2 रुपये करोड़)।

अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत रु. 4.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति इस पूरक के माध्यम से की जाएगी।

The supplementary Grants are required for:

(i) 'Salaries' (1 crore), (ii) Office Expenses (2.50 crore) and (iii) Rent Rates & Taxes (₹ 0.30 crore) under the Non- scheme Secretariat.

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(1) Meeting the additional requirement for expenditure towards (i) 'Salaries' (₹ 0.95 crore), and (ii) 'Professional Services' (₹ 4.25 crore) under the Non- scheme "National Commission for Scheduled Tribes (NCST)" and (2) Grant in Aid General under the scheme 'Administrative Cost to States/ UTs. (₹ 2.05 crore) and (3) Grant for creation of capital assets under the Scheme (i) Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission (PMJVM) (₹ 20 crore) and (ii) Support to Tribal Research Institute (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue (Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. ₹ 4.25 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped through this Supplementary.

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(000 000					
				(₹ करोड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		25670.28		25670.28
पूंजी	Capital		2.00		2.00
जोड़	Total		25672.28		25672.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		25672.30		25672.30
राजस्व	Revenue		25670.30		25670.30
पूंजी	Capital	***	2.00		2.00
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	ांतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	nder the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

की मांग की जाती है।

(क)

(1) निम्नलिखित योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (1.50 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) (3.68 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) (3.68 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय महिला आयोग - परिवार परामर्श केंद्र - (एनसीडब्ल्यू) (8.30 करोड़ रुपये) और (iv) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (21.48 करोड़ रुपये) और (v) महिला सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि, 31 जनवरी को एनसीडब्ल्यू के स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, घरेलू हिंसा पीड़ितों के आश्रय, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक योजना का विकास और टीआईएसएस परियोजना "हिंसा मुक्त घर (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) (एनसीडब्ल्यू) (4.60 करोड़ रुपये) और (2) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (20.32 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत 36.77 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति इस पूरक के माध्यम से की जाएगी।

(ख) निम्नलिखित योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) (0.12 करोड़ रुपये) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) (0.40 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक प्रक The supplementary Grants are required for:

(1) Grant-in-Aid General under the scheme (i) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 1.50 crore), (ii) National Commission for Child Rights (NCPCR)(₹ 3.68 Crore), (iii) National Commission for Women -Family Counselling Center -(NCW)(₹ 8.30 Crore) (iv) Central Social Welfare Board (CSWB)(₹ 21.48 crore) and (v) Additional fund required for conducting women's safety audit, International Seminar on foundation day of NCW on 31st January, Development of a scheme for shelter, care and Rehabilitation of Domestic Violence Victims and TISS Project "Violence Free home (J&K and Ladakh) (NCW) (₹ 4.60 crore) and (2) Grant in Aid Salary under the scheme Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 20.32 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. ₹ 36.77 sanctioned from Contingency Fund for India will be recouped through this Supplementary.

Grant-in-Aid General under the scheme (i) National Commission for Child Rights (NCPCR)(₹ 0.12 Crore) and (ii) National Commission for Women (NCW) (₹ 0.40 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	3057.28	3057.28
पूंजी	Capital	***	5.32	5.32
जोड़	Total		3062.60	3062.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3062.62	3062.62
राजस्व	Revenue		3057.30	3057.30
पूंजी	Capital		5.32	5.32
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	e following Major H	lead	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2 2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्न हेत् अन्पूरक अनुदान अपेक्षित है: (i) (क) नेहरू युवा केंद्र संगठन (3.00 करोड़ रूपये), (ख) राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम (3.71 करोड़ रूपये), (ग) राष्ट्रीय खेल संघ (52.50 करोड़ रूपये) और (घ) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (2.20 करोड़ रूपये) योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (ii) (क) नेहरू युवा केंद्र संगठन (27.44 करोड़ रूपये), (ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (14.00 करोड़ रूपये), (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (96.43 करोड़ रूपये) और (घ) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (1.00 करोड़ रूपये) स्कीम के तहत सहायता अन्दान वेतन, (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन (1.00 करोड़ रूपये) स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान, (iv) राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत अन्य प्रभार (0.24 करोड़ रूपये) और (v) राष्ट्रीय सेवा योजना स्कीम के तहत कार्यालय खर्च (2.00 करोड़ रूपये)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (ख) (0.40 करोड़ रूपये)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grant in aid General under the scheme (a) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 3.00 crore), (b) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 3.71 crore), (c) National Sports Federation (₹ 52.50 crore) and (d) National Dope Test Laboratory (₹ 2.20 crore) (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (a) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 27.44 crore), (b) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 14.00 crore), (c) Sports Authority of India (₹ 96.43 crore) and (d) National Dope Test Laboratory (₹ 1.00 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 1.00 crore), (iv) Other Charges under the scheme National Programme for Youth and Adolescent Development(₹ 0.24 crore) and (v) Office Expenses under the scheme National Service Scheme (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant in aid General under the scheme National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.